खण्ड-169, अंक-3
बुधवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1878
(21 मार्च, 1956 ई0)

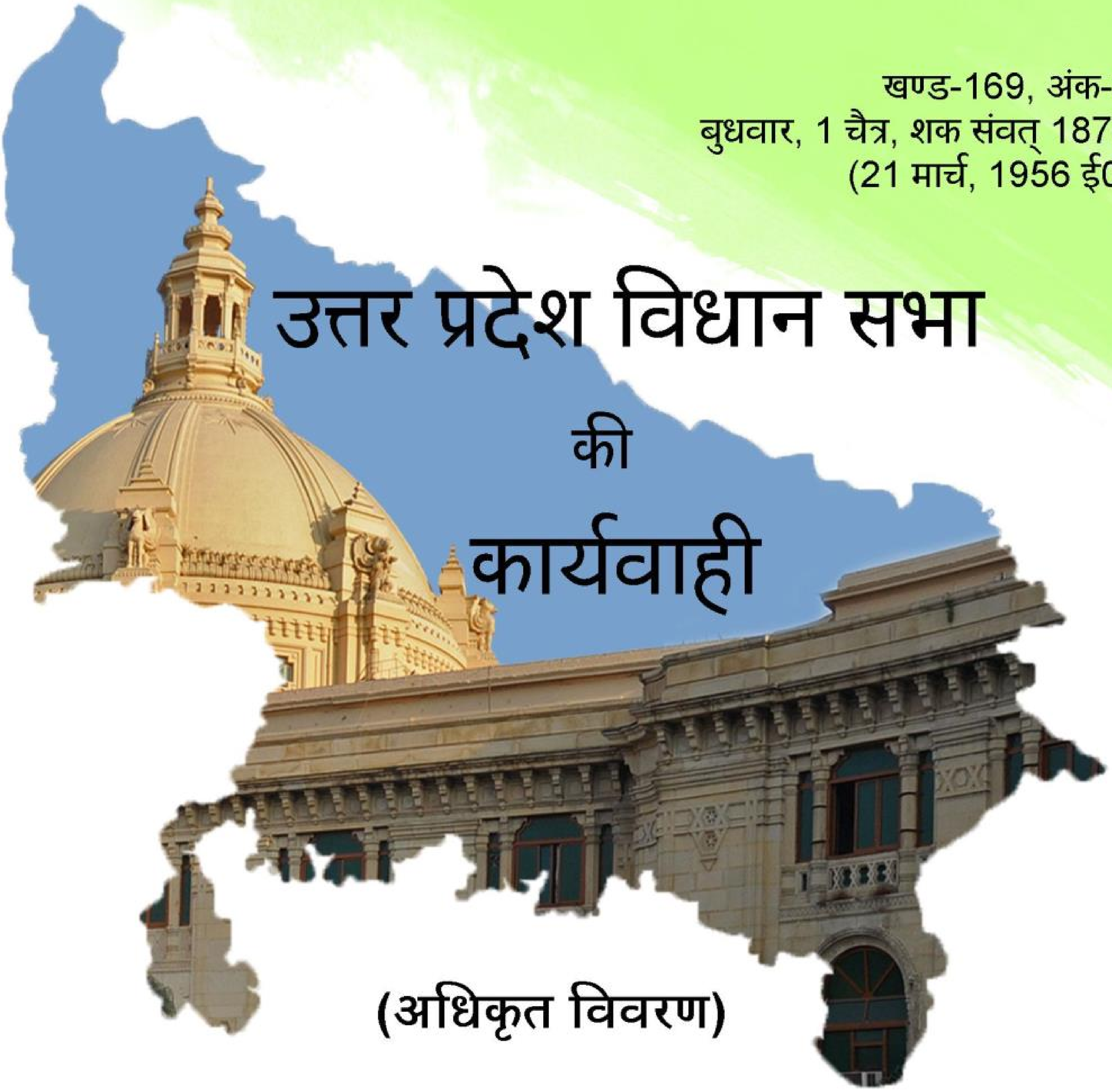

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 169 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
बनारस के हरिजन मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	१९२–१९३
१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी, अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (जारी)	१९३–२३६
गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की नामावली ..	२३६–२३७
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	२३७
नत्थियां	२३८–२४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

LEGISLA
25 JU
PRAD

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०२)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री

जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री

मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम , डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २१ मार्च, १९५६

तारांकित प्रश्न

होमियोपैथिक बोर्ड द्वारा होम्योपैथिक औषधियों की खरीदारी

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि होम्योपैथिक दवाओं को खरीदने के लिये सरकार ने कोई टेंडर मांगा था ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या थीं ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—(१) जी नहीं ।

(२) यह प्रश्न नहीं उठता ।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस फर्म का टेंडर स्वीकार किया गया है और किन शर्तों पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह प्रश्न भी नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि होमियोपैथिक बोर्ड्स की ओर से दवायें खरीदने पर सरकार कोई नियंत्रण रखती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, औषधियों को खरीदने के लिये बोर्ड स्वतंत्र है, वही खरीदता है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि होमियोपैथिक बोर्ड ने पिछले वर्ष, सरकार ने जिन १३ डिस्पेंसरियों को सहायता दी थी, उनको दवा सप्लाई की थी उसके सिलसिले में क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि वे दवायें स्टैन्डर्ड की नहीं थीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं, बोर्ड जिन औषधियों को खरीदता है वे सब स्टैन्डर्ड औषधियां होती हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को पता है कि बोर्ड साल में कितने रुपये की दवा खरीदता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है । सरकार बोर्ड को कुछ चिकित्सालयों के लिये ५ हजार रुपया सालाना सहायता देती है, बोर्ड उन चिकित्सालयों के लिये दवाइयां स्वयं खरीद करता है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो १३ डिस्पेंसरीज हैं, क्या उन पर सरकार का नियंत्रण है और अगर उनमें स्टैन्डर्ड की दवायें नहीं खरीदी जातीं, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सब्सीडी स्कीम के तहत ये जो डिस्पेंसरीज हैं उनको बोर्ड अपनी ओर से चलाता है ।

बिजनौर जिले के लिये कोयला, टीन तथा सीमेंट का कोटा और उनका वितरण

*३—**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-१९५४ में बिजनौर जिले को कोयला, टीन तथा सीमेंट का कितना कोटा दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बिजनौर जिले को सन् १९५३-५४ (अप्रैल, ५३ से मार्च, ५४ तक) में कोयला, टीन तथा सीमेंट के कोटे के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

(१) कोयला	..	३३९ वैगन
(२) टीन की चद्दर	..	२४२ टन
(३) सीमेंट	..	३,३२२ टन

४—**श्रीमती चन्द्रवती**—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कोटे का वितरण किस प्रकार किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उक्त कोटे का वितरण निम्नलिखित प्रकार किया गया :—

(१) कोयला चूर का कोटा जो उपलब्ध हुआ उसको मान्यता प्राप्त तथा लाइसेंस प्राप्त भट्ठे वालों को बांट दिया गया ।

(२) टीन की चद्दर ४० प्रतिशत नियोजन तथा विकास कार्यों के लिये, ६० प्रतिशत जनता तथा स्थानीय निकायों (Local Bodies) के लिये ।

(३) सीमेंट ६० प्रतिशत नियोजन तथा विकास कार्यों के लिये, ४० प्रतिशत जनता के लिये ।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोयले के चूरे के वितरण के आइटम तो दिये हुये हैं लेकिन कोयले का क्या हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह जो आंकड़े दिये गये हैं वे कोयले के आंकड़े हैं, उसमें चूरा भी शामिल है ।

श्रीमती चन्द्रवती--उत्तर में कोयले के चूरे का वितरण बताया गया है। लेकिन कोयले के वितरण की कोई सूचना नहीं है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--मेरे पास जो सूचना है वह कोयले के चूरे की है ।

श्रीमती चन्द्रवती--यह जो कोयले के वितरण के बारे में आंकड़े दिये गये हैं और दूकानदारों को जो लाइसेंस दिये गये हैं, क्या उनके अलावा किसी और को भी कोयले के लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कुछ तो नियोजन विभाग के द्वारा दिये गये हैं और बाकी जिनके पास लाइसेंस थे उन्हीं को दिये गये हैं और उनके अलावा किसी को नहीं दिये गये हैं ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले और सीमेंट का वितरण किन-किन आधारों पर किया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कोयले का वितरण जनसंख्या के आधार पर और जिले में कितने काम हो रहे हैं, उन तमाम बातों पर विचार करके किया जाता है ।

खाद्यान्नों के भाव + में परिवर्तन

*५--**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि चावल, दाल, गेहूं आदि जिन्सों के भाव तेजी से चढ़ रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं । अब खाद्यान्नों के भाव बढ़ नहीं रहे हैं ।

*६--**श्री झारखंडेराय**--यदि हां, तो सरकार की ओर से इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सरकार ने फरवरी के प्रथम सप्ताह से कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में फ्लावर मिलों को १५ रु० प्रति मन और उपभोक्ताओं को रिलीफ दुकानों द्वारा २ सेर १० छटांक प्रति रुपया की दर से गेहूं बेचने की व्यवस्था की है, जिसके फलस्वरूप गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि रुक गयी है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की सूचना है कि जिन्सों के दाम बढ़ने का असर देहाती क्षेत्रों में भी पड़ा है और देहातों में जिन्सों के भावों को कंट्रोल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--कीमतों का बहुत कुछ असर जब कीमतें शहर में या मंडियों में बढ़ती हैं तो गांवों पर भी पड़ती है और मुख्यतः शहर और मंडियां ही बढ़ती हुई कीमतों के लिये जिम्मेदार होती हैं । इसलिए प्रादेशिक सरकार ने जहां-जहां मंडियों में या शहरों में बढ़ती हुई कीमतें प्रतीत हुयीं वहां इस बात का प्रयास किया गया कि अपने साधनों के अनुपात से कीमतें घटायी जायं । बड़े-बड़े शहरों में फ्लोर मिल्स काफी मात्रा में गल्ला खरीदती हैं और वह अधिक कीमत बढ़ा-बढ़ा कर अधिक माल खरीदने की कोशिश करती हैं । इस प्रकार के कारणों से कीमतें न बढ़ें, ऐसा सरकार का प्रयास रहता है, ऐसे क्षेत्रों में गल्ले की कीमत न बढ़ने पाये, इसलिये निर्धारित कीमत पर गल्ले का वितरण करा के सरकार कीमतों को रोकने की कोशिश करती है और जो योजना प्राइस सपोर्ट या गल्ले के

नियंत्रण की सीमित साधनों के रहते हुए बनाई गयी उसका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में गल्ले की कीमतों को बढ़ने से रोकना है और इसीलिए देहाती क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। पहाड़ी क्षेत्रों में अलबत्ता दूकानों के द्वारा निर्धारित कीमतों पर गल्ला बिकता है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी हाल में जो ओलावृष्टि प्रदेश में हुई है उसकी वजह से गल्ले के दामों में तेजी आ गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ है और न मेरे पास कोई सूचना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि इस प्रश्न से सम्बन्धित विषयों को लेकर कोई एग्रीकल्चरल प्राइसेज के लिए कमेटी नियुक्त की गई है ? यदि हां, तो इस सरकार ने क्या सिफारिश कमेटी के सामने रखी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी हमारी सिफारिशें तो कोई गयी नहीं हैं क्योंकि वह कमेटी बैठी है और उसने इस सम्बन्ध में एक प्रश्नावली भेज रक्खी है। उसके उत्तर अभी वहां भेजे नहीं हैं। लेकिन यह प्राइस सपोर्ट का मसला काफी गम्भीर मसला है और यह प्रश्न इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइस में संतुलन लाने के लिये काफी गम्भीरता रखता है, तो इस प्रश्न के हल करने के सिलसिले में अभी हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं कर पाया कि हम कौन सी ऐसी नीति केन्द्रीय सरकार के समक्ष रक्खें जिससे दोनों चीजों की कीमतों में फूडग्रेन्स और इंडस्ट्रियल गुड्स की कीमतों में संतुलन आ सके। अभी यह मसला विचाराधीन है और जब कतई राय पर इस विषय पर पहुंचेंगे तो अपनी राय प्राइस वेरियेशन कमेटी के समक्ष रक्खेंगे। अब तक केन्द्रीय सरकार की इस विषय पर जो नीति रही है, वह जैसा कि सदन को विदित है, प्राइस सपोर्ट की नीति की रही है। अब मगर हममें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा समझते हैं कि कभी-कभी ऐसा समय आता है जब प्राइस सपोर्ट की पालिसी भी हमारी सहायता नहीं कर पाती।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गेहूं के भाव को रोकने का जो प्रबन्ध किया है, तो चावल और दाल के भाव को बढ़ने से रोकने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इन खाद्यान्नों का विषय है, हमारे गोदामों में सिर्फ गेहूं ही है जिसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है, इसलिये कि गेहूं ही अधिक मात्रा में बहुत से क्षेत्रों में वितरित भी होता है और वही बहुत सी कीमतों को घटाता और बढ़ाता है। उसी की कीमतों के घटने और बढ़ने के पीछे और खाद्यान्नों की कीमतें घटती और बढ़ती हैं। इसलिये मुख्यतः हमारा ध्यान गेहूं की कीमत की तरफ गया और चूंकि गेहूं हमारे गोदामों में था और गेहूं के वितरण से कदाचित कीमत में घटोत्तरी ला सकते थे और कंज्यूमर को सहायता दे सकते थे, इसलिये गेहूं की तरफ अधिक ध्यान देकर उसकी प्राइस को ठीक करने की व्यवस्था की। और अन्न हमारे पास भी नहीं थे, उसमें हम सहायता नहीं दे सकते, इसलिये उधर हमारा ध्यान नहीं गया।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्वी यू० पी० में इस साल रबी की फसल अच्छी न होने के अन्दाज में वहां के देहाती बाजारों में जिन्सों के भाव बढ़ रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कुछ दाम बढ़ तो रहे थे। अब आज १०, ११ रोज से पानी बरसा है, उस समय के दामों की इत्तिला मेरे पास नहीं है, लेकिन आज से महीने सवा महीने पहले पूर्वी जिलों में दाम जरूर बढ़ रहे थे।

आजमगढ़ जिले के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में कर्घा उद्योग की उन्नति के लिए सरकारी सहायता

*७--**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के बाढ़पीड़ित क्षेत्र अहरौला तथा अतरौलिया में चर्खा केन्द्र खोलने के लिए सरकार से प्रार्थना की गयी है?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)--जी हां।

*८--**श्री व्रजविहारी मिश्र**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकी है?

श्री बनारसी दास--अहरौला तथा अतरौलिया में एक-एक स्थानीय कार्यकर्त्ता नियुक्त कर खादी केन्द्र प्रारम्भ कर दिया गया है।

*९--**श्री व्रजविहारी मिश्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कर्घा उद्योग की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से सन् १९५४-५५ तथा सन् १९५५-५६ में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं और कहां-कहां?

श्री बनारसीदास--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३८ पर)

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कब से इन स्थानों पर यह कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बनारसीदास--सरकार की तरफ से २४ दिसम्बर, १९५५ को यह आदेश गया था जिसके अनुसार ५० केन्द्र कायम किये गये हैं। उसी के अनुसार वहां पर ये खादी कार्यकर्त्ता इन दोनों केन्द्रों में नियुक्त कर दिये गये हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन केन्द्रों पर अम्बर चर्खा रखा जायगा या यरवदा या कौन से चर्खे रक्खे जायेंगे?

श्री बनारसीदास--इस वक्त यहां अम्बर चर्खे का तो कोई प्रश्न नहीं है। ग्रामों का जहां तक ताल्लुक है पहले जो साधारण चर्खे थे उन्हीं को देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--इन केन्द्रों के अन्तर्गत किन-किन गांवों में यह कार्य आरम्भ किया गया है?

श्री बनारसीदास--एक केन्द्र पर निश्चित रूप से कितने गांव हैं इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक केन्द्र से सम्बन्धित जितने लोगों को सुविधा हो सकती है सभी को उसमें लगाने की कोशिश की गयी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिले के पश्चिम भाग में अतरौलिया, बूढ़नपुर और नरयांव में कर्घा उद्योग बड़े जोरों से अभी चालू है?

श्री बनारसीदास--यह सूचना तो स्वयं माननीय सदस्य को होगी और वहां पर जितनी कर्घा समितियां की गयी हैं उनकी संख्या स्वयं माननीय सदस्य को दी गयी है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात से सहमत हैं कि कर्घा उद्योग की उन्नति के लिए उस से जो माल उत्पादित होता है उसकी बिक्री का प्रबन्ध करना आवश्यक है ? यदि हां, तो आजमगढ़ में इसकी क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--करघा उद्योग के लिए, बाजार, जो चीजें बनें, प्राप्त हों, उसके लिए बराबर सारे प्रदेश में प्रयास होता रहा है और उसी की वजह से यह सम्भव हो सकता है कि कर्घा उद्योग का जो माल पहले ९० लाख या एक करोड़ का तैयार होता था इस वर्ष के अन्त तक वह माल करीब ढाई करोड़ से अधिक तैयार हो कर बाजार में अपनी जगह बना सका है और उसकी बिक्री होने लगी है। यहां भी इस उद्योग के बने हुए कपड़े की बिक्री के लिए सेल्स डिपो इत्यादि की स्थापना की गयी है और उनके द्वारा अधिक मात्रा में इस उद्योग धंधे के बने हुए कपड़े का वितरण प्रदेश और अन्य प्रदेशों में किया जा रहा है और हो रहा है।

हाथरस उत्पादन केन्द्र पर व्यय तथा बचत

*१०--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस उत्पादन केन्द्र पर १९५४-५५ में कुल कितना व्यय हुआ और कितनी बचत हुई ? इसके विस्तार तथा शिक्षा कार्य पर कितना व्यय विशेष हुआ ?

श्री बनारसीदास--इस केन्द्र पर १९५४-५५ में ३,४९३ रुपया ११ आना ९ पाई व्यय हुआ और ५८७ रुपया १३ आने ९ पाई का लाभ हुआ। इस के विस्तार पर कुछ व्यय नहीं हुआ। शिक्षा कार्य पर ३,४९३ रुपया ११ आना ९ पाई व्यय हुआ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मन्त्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि किस केन्द्र पर कितने शिक्षार्थी पिछले दो सालों में नियमित शिक्षा प्राप्त करते रहे ?

श्री बनारसीदास--कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी, इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

उन्नाव जिले में कूप निर्माण के लिए सरकारी सहायता

*११--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)----क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में पिछले तीन वर्षों में कितने कुएं सरकारी सहायता (Subsidy) देकर बनवाये गये और उनमें से कितनों को कम्पलीशन सर्टिफिकेट और सबसिडी दी जा चुकी है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--पानी पीने के १११ कुएं सहायता देकर बनवाये गये जिनमें से २९ को कम्पलीशन सर्टिफिकेट और ८२ को सबसिडी दी जा चुकी है।

सिंचाई के १०२ कुएं बनवाये गये और लगभग आधे पूरे भी हो चुके हैं, सबसिडी अभी किसी को भी नहीं दी गयी है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी पीने के २९ कुओं को और सिंचाई के १०२ कुओं को सबसिडी कब तक दी जायगी, और अभी तक क्यों नहीं दी गयी ?

श्री फूलसिंह--जो कुएं हरिजनों के पानी पीने के लिए होते हैं उनमें बीच-बीच में भी सबसिडी दी जाती है, और बाकी कुओं पर कुआं पूरा हो जाने पर, जब कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब सबसिडी दी जाती है। सिंचाई के कुओं पर पहले तकावी दी जाती है और जब कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उस तकावी का एक अंश सबसिडी में परिणत कर दिया जाता है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पानी पीने के लिये कुएं बनाने के लिए कुल कितनी दरख्वास्तें आयी थीं ?

श्री फूलसिंह--इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम्पलीशन सर्टिफिकेट देने का अधिकार किन व्यक्तियों को है ?

श्री फूलसिंह--मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ अफसरान हैं । जितनी लागत जिस चीज की है, उसके हिसाब से तय किया गया है ।

उन्नाव जिले में मुख्य गृह-उद्योग तथा विभिन्न रूप से सरकारी सहायता

*१२--**श्री देवदत्त मिश्र**--क्या सरकार यह बतायेगी कि उन्नाव जिले में मुख्यतः कौन-कौन गृह-उद्योग चल रहे हैं और उनकी प्रगति और विकास के लिए गत दो वर्षों में सरकार ने किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी है ?

श्री बनारसीदास--उन्नाव जिले में मुख्यतः निम्नलिखित गृह उद्योग चल रहे हैं :--

हस्तकर्घा उद्योग, गुड़ उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग ।

इसके अतिरिक्त धातु के बर्तन बनाने, जूता बनाने और कपड़े पर छपाई करने के उद्योग भी चल रहे हैं ।

हस्तकर्घा, गुड़ और ताड़ गुड़ उद्योगों की उन्नति के लिए गत दो वर्षों में निम्नलिखित सहायता दी गयी :--

हस्तकर्घा योजना के अन्तर्गत इस जिले में ११ कर्घा सरकारी समितियां संगठित की गयीं, जिनमें से एक उत्पादन सहकारी समिति है । दो बिक्री केन्द्र और एक रंगाईघर खोले गये । इस उद्योग की उन्नति के लिए ११,७५० रुपये ४ आने की आर्थिक सहायता दी गयी ।

गुड़ योजना के अन्तर्गत इस जिले में १९२ गांवों में गुड़ विकास कार्य चल रहा है, जिसके द्वारा उन्नतशील कोल्हू एवं कढ़ाव तकावी पर भी दिये जाते हैं । गत दो वर्षों में १६,९७० रुपये के मूल्य के ४३ कोल्हू और ३८ कढ़ाव तकावी पर बांटे गये ।

ताड़ गुड़ योजना के अन्तर्गत इस जिले में चार केन्द्र चल रहे हैं । २५ व्यक्तियों को इसके अन्तर्गत शिक्षा दी गयी और ६०० रुपये का सामान उन्हें अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बर्तन बनाने, जूता बनाने और कपड़े की छपाई करने के उद्योग को राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता दी गयी है ?

श्री बनारसीदास--यानी बर्तन बनाने वालों को क्या सहायता दी गयी, उस सहायता के लिए ऐसा है, जो प्रार्थना-पत्र देते हैं उनको सहायता दी जाती है । जहां तक कपड़े का ताल्लुक है, उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी को यह विदित है कि बर्तन बनाने वाली कोआपरेटिव सोसाइटी ने सरकार से सहायता मांगी है ?

श्री बनारसीदास--इसकी सूचना मुझे नहीं । बहरहाल अभी तक इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र जो उप-समिति सहायता देती है, उसके विचारार्थ पेश नहीं हुआ ।

चोपन (मिर्जापुर) की शराब की दुकान से सरकार को आय

*१३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार चोपन (मिर्जापुर) की शराब की दूकान के नीलाम की रकम पिछले चार वर्षों की बताने की कृपा करेगी ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—चोपन (मिर्जापुर) की शराब की दूकान की पिछले ४ वर्षों की नीलाम की रकम इस प्रकार है :—

		रु०
(१)	१९५२–५३	५,५००
(२)	१९५३–५४	६,५००
(३)	१९५४–५५	१२,२००
(४)	१९५५–५६	४५,२००

*१४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार चोपन की दुकान एक दम तोड़ देने अथवा उसे सोन नदी पर तथा उसके दक्षिण निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूरों से और अधिक दूर हटा देने के पक्ष में विचार करेगी।

श्री गिरधारीलाल—सरकार ने इस विषय पर भलीभांति विचार कर लिया है और वह इस दुकान को बन्द करना या हटाना सम्भव नहीं समझती।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिसकी वजह से नौ गुनी इस दूकान की कीमत बढ़ गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—आक्शन सिस्टम में हमेशा कम्पटीशन हुआ करता है। उस में हमेशा जिस वक्त काफी तादाद लेने वालों की रहती है, तो कम्पटीशन में हमेशा एक की दूसरे से बोली बढ़ती है और हर वर्ष बढ़ती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में सोन नदी पर पुल बनने के कारण मजदूरों की संख्या बढ़ी है और उन्हीं में शराब का प्रचार बढ़ने के कारण इसकी कीमत बढ़ गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—वहां पर मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है और यह भी ठीक है कि जो वहां पर रहते हैं, वही इस चीज का इस्तेमाल भी करते होंगे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर दूकान क्यों नहीं बन्द करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने जैसा अभी पहले प्रश्न के जवाब में बताया कि उस जिले में काफी दुकानें बन्द की गयी हैं। उसके अलावा यह भी है, जहां-जहां मजदूरों की बस्तियां हैं पूरे सूबे में, उसके सिलसिले में एक्साइज डिपार्टमेंट इस बात को एक्जामिन कर रहा है और उसके सिलसिले में जो कुछ भी मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—जो पिछले साल की नीलाम की रकम है वह सब वसूल हो चुकी है या शेष है। यदि शेष है तो कितनी, क्या मन्त्री जी बतायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इस वक्त मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है। मैं समझता हूं कि वसूल हो गयी होगी।

*१५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[२० अप्रैल, १९५६ के प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

खीरी जिलान्तर्गत थाना ईसानगर के शव परीक्षार्थ अस्पताल

*१६--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि थाना ईसानगर, जिला खीरी की शव परीक्षा किस अस्पताल में की जाती है ?

श्री बनारसीदास--थाना ईसानगर की शव परीक्षा तम्बोर, जिला सीतापुर में की जाती है। कभी कभी लाश लखीमपुर भी भेज दी जाती है।

श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार को ज्ञात है कि ईसानगर से तम्बोर अथवा लखीमपुर पहुंचने में कई नदियां बीच में पड़ जाती हैं तथा बरसात में जाना प्रायः असम्भव हो जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, यह सही है कि कई नदियां बीच में पड़ती हैं। अभी तक तो ऐसा ही इन्तजाम था और इस इन्तजाम में कोई ज्यादा इससे पहले आपत्ति नहीं आयी। यदि कुछ दिक्कतें हैं तो सरकार उन दिक्कतों को रफा करने के ऊपर विचार कर सकती है।

श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार ईसानगर थाने के शव परीक्षा का प्रबन्ध खमरिया में कराने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं ने अभी उत्तर में बताया कि यदि ऐसा सुझाव आये, और इससे अधिक वहां के रहने वालों को सुभीता मिल सकता है तो अवश्य सरकार इस पर विचार करने को उद्यत है।

*१७-१९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[१८ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

*२०-२२--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२३ अप्रैल, १९५६ के प्रश्न १०-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

श्रमदान सप्ताह में झांसी जिले के सामुदायिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*२३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत श्रमदान सप्ताह में झांसी जिले के सामुदायिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी सड़कें बनीं ?

श्री फूलसिंह--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३९-२४२ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची में लिखी हुई कच्ची सड़कों को पक्की कराने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है ?

श्री फूलसिंह--हर साल श्रमदान सप्ताह में करीब ५ हजार मील कच्ची सड़कें बनती हैं। उनको पक्की कराना सरकार के लिए असम्भव है।

*२४-२५--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--[२५ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

जिला जौनपुर की शाहगंज तहसील में प्लेग का प्रकोप

*२६--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज, जिला तहसील जौनपुर में प्लेग का प्रकोप बढ़ रहा है। यदि हां, तो उसके रोक थाम के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--प्लेग का प्रथम प्रकोप सितम्बर, १९५५ में शाहगंज तहसील में हुआ, रोग के आरम्भ होते ही जिला स्वास्थ्याधिकारी द्वारा रोग नियन्त्रण की समस्त उपलब्ध साधनों द्वारा व्यवस्था की गयी, प्लेग निरोधी टीका, डी० डी० टी० का छिड़काव व डस्टिंग, घरों की स्वच्छता तथा चूहों के बिलों को विध्वस्तन आदि कार्य आरम्भ किये गये। रोगियों की चिकित्सा का भी प्रबन्ध किया गया। विश्व स्वास्थ्य संघ की प्लेग प्रोजेक्ट टीम भी वहां भेजी गयी जिनके बतलाये हुए रोकथाम के उपायों का अनुसरण किया जा रहा है। अब तक कुल ७४०१ प्लेग निरोधक टीके लगाये जा चुके हैं।

*२७--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त तहसील में अभी तक किन-किन ग्रामों में प्लेग का प्रकोप फैला हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--निम्नांकित तीन ग्रामों में अभी तक इस रोग का प्रकोप कहा गया है, यद्यपि १० मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में इनमें कोई रोगग्रस्त या मृत्यु की घटना नहीं हुई :--

(१) ओहना, थाना बल्दापुर।

(२) शेखअशरखपुर, थाना शाहगंज।

(३) कपासिया, थाना सरपाथा।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रोगियों की चिकित्सा का क्या प्रबन्ध किया गया था और किस स्थान पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह तो प्रश्न २६ में स्पष्ट बतलाया गया है कि जहां-जहां इस रोग की शिकायत हुई वहीं वहीं स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा का कार्य किया और डी० डी० टी० का छिड़काव किया और घरों की स्वच्छता इत्यादि के काम किये। ये सारे काम स्वास्थ्य विभाग शाहगंज तहसील के उन क्षेत्रों में करता रहा जहां इस रोग की शिकायत थी।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीन ग्रामों के अलावा और कितने ग्रामों में इस रोग का प्रकोप था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जो मेरे पास सूचना है वह उसके अनुसार १२ ग्रामों में इसका प्रकोप था।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी उन १२ गावों के नाम बतलायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--गौरा, गजैनपुर, रजवाड़े का पुरवा, विरामपुर, तिआरा, मरघा, भगवानपुर, उसौरूली का टोला, बनई का टोला, ओइना, शेख असरख पुर, कपासिया। इनमें ये तीन गांव भी शामिल हैं।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन रोगों क प्रकोप से १० मार्च के पहले कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और कुल कितने व्यक्ति बीमार पड़े हुए थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--३५ बीमार पड़े और उनमें से ८ की मृत्यु हुई।

*२८--**श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी**--[११ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३१--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मिर्जापुर में मद्य निषेध प्रचारक की नियुक्ति

*३२—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या मादक कर मंत्री को यह मालूम है कि जिला मिर्जापुर में पिछले ३-४ महीने से कोई भी मद्य निषेध प्रचारक जिले के प्रचारार्थ नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस जिले में पर्याप्त संख्या में मद्य निषेध प्रचारकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—मिर्जापुर में अवैतनिक मद्य निषेध प्रचारक की नियुक्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्भवतः प्रचारकों की नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—अगले वर्ष में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में मद्यनिषेध के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है ?

श्री गिरधारीलाल—श्री डी० ई० ओ० पांच-छः जिलों के ऊपर एक प्रोहीबीशन आफिसर भी हुआ करता है जो उसको देखा करता है।

इलाहाबाद राजकीय प्रेस से छपाई का काम अराजकीय प्रेसों को दिया जाना

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद गवर्नमेन्ट प्रेस से छपाई का काम बाहरी प्रेसों को भी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—जी हां। वह कार्य जो अल्प निर्धारित समय में होना होता है, और जिसको राजकीय प्रेस, अन्य आवश्यक राजकीय मुद्रण कार्य में लगे होने के कारण नहीं कर सकते, बाहरी प्रेसों को देना पड़ता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि यह किन-किन प्रेसों में छपता है और १९५५ में इसमें कितना व्यय हुआ ?

श्री बनारसीदास—सन् १९५५-५६ में करीब-करीब १ लाख रुपया इन प्रेसों को दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय के पास कोई शिकायत ऐसी आई है कि इन बाहरी प्रेसों में छपने वाला कार्य छपने के पहले जनता को मालूम हो जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे पास तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। यह जरूर शिकायत थी कि जितना छपाई का काम होता है वह इलाहाबाद के प्रेसों को ज्यादा दिया जाता था और वह चीज सत्य निकली थी। तब ऐसे आदेश जारी किये गये कि सब जगहों के प्रेसों को छपाई के काम को प्राप्त करने का मौका होना चाहिये। शायद इस वर्ष कुछ ऐसा प्रबन्ध भी हो रहा है कि और जगहों के प्रेसों को भी कुछ कार्य मिले।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि प्रेसों को काम किस रेट से दिया जाता है ? क्या उनके रेट पहले मंगाये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---टेंडर मांगे जाते हैं और जो कम होता है उसको दिया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि गवर्नमेन्ट प्रेस के और कौन-कौन ऐसे प्रेस हैं जो खाली पड़े हैं, जिन पर कोई कार्य नहीं होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे इस बात की सूचना नहीं है। कोई मशीन इस्तेमाल न हो रही हो, बेकार हो गयी हो, तो दूसरी बात है। अब तो जितनी मशीनें हैं सब पर कार्य होता है। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी मशीनों का प्रबन्ध किया गया और काफी रुपया व्यय करके नयी-नयी मशीनें लगाने का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि काम बढ़ रहा था।

*३४---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुन्देलखंड में कारखाने खोलने की मांग

*३५---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुन्देलखंड डिवीजन के किन-किन जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय-योजना में इन्डस्ट्रियल कारखानों को खोलने की योजना है और कौन-सी इण्डस्ट्रीज खोली जायेंगी ?

श्री बनारसीदास---द्वितीय पंचवर्षीय-योजना के अन्तर्गत बुन्देलखंड में कोई कारखाना खोले जाने की योजना नहीं है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सरकार के सामने कौन सी कठिनाई है जो बुन्देलखंड डिवीजन में आगामी पंचवर्षीय योजना में कोई कारखाने नहीं खोल सकती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक सरकार के द्वारा कारखाने खोलने का विषय है तो वे ही कारखाने खुलेंगे जिनके लिए धनराशि पंचवर्षीय-योजना में रखी गयी है और उनमें सिर्फ सीमेन्ट, जिसकी कि मिर्जापुर में फैक्टरी है उसको दुगना किया जायगा। अन्य फैक्टरी की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोलने की कोई योजना नहीं है। हां, प्रदेशीय सरकार इस व्यवस्था में जरूर लगी हुई है कि उद्योगपतियों के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं कुछ फैक्टरियां और उद्योग-धंधे लगायें। उसके लिए जो अर्जियां और मांगें आयी हैं उनमें बुन्देलखंड में किसी व्यक्ति ने अभी कोई फैक्टरी लगाने की प्रार्थना तो नहीं की, हां एक अर्जी थी। वह एक ऐसे क्षेत्र से आयी है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा कि कदाचित वह सीमेन्ट की फैक्टरी बुन्देलखंड के क्षेत्र में खोलें, परन्तु प्रश्न यह है कि सीमेन्ट के लिये जिन रामैटिरियल्स की आवश्यकता है वह वहां मिल सकते हैं या नहीं। उनसे कहा गया कि वह स्वयं प्रास्पेक्टिंग करायें और हमने भी अपने जियोलाजिकल सर्वे से यह कहा कि वह इन क्षेत्रों में अनुसंधान और अन्वेषण करें और पता लगायें कि कौन-कौन से खनिज-पदार्थ वहां ऐसे मिल सकते हैं जो फैक्टरियों के लगाने में हमें मदद दें। इसलिये अभी तक जितनी हमारी सूचना है और जितने हमारे साधन हैं उनको देखते हुये अभी यह कह सकते हैं कि अभी हमने बुन्देलखंड के क्षेत्र में किसी और फैक्टरी के लगाने के लिये न तो विचारा है और न कोई योजना बनायी है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार को ज्ञात है कि बुन्देलखंड के किसी जिले में कोई उद्योग नहीं चल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो नहीं चल रहा है यह वाकया है और उसके कारणों की तरफ स्वयं सदस्यगण विचार कर सकते हैं कि क्या कारण है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के बारे में विचार किया तो उन्होंने कोई ऐसा सर्वे क्षेत्रीय कराया जिससे मालूम हो सके कि प्रदेश में किस किस जगह कौन-कौन से उद्योग-धंधे खोले जा सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बहुत से बड़े-बड़े उद्योग-धंधों का सम्बन्ध तो खनिज-पदार्थों से है । जहांतक उनका विषय है, अभी जैसा कि मैं कई मर्तबा सदन में कह चुका हूं खनिज-पदार्थ जितनी मात्रा में जिन जिन चीजों के हमको मिलने चाहिये वह हमें उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये हमने जियालाजिकल सर्वे की स्थापना की है जो विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करे और जानकारी उनके विषय में हमें प्राप्त कराये। बुन्देलखंड के विषय में भी हम इस सम्बन्ध में जानना चाहते हैं कि वहां क्या-क्या पदार्थ मिल सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब हमारे टेक्नीकल असिस्टेन्टस की संख्या बढ़ जायगी तो इन क्षेत्रों में भी हम कार्य खोलेंगे और बड़े-बड़े उद्योग-धंधों लगाने का प्रयास करेंगे ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के किसी हिस्से में कारखाने लगे या नहीं इसी के देखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश दिया है या यहां का कोई टेक्नीकल डिपार्टमेन्ट यह कहता है कि ये लगाये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तक तो हमारे विभागीय अधिकारीगण जिन्हें कि रा मैटिरियल्स की जानकारी है इस बात की जानकारी रखते हैं कि अमुक पदार्थ अमुक स्थान पर मिलता है और अमुक स्थान पर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन हैं और लेबर किस स्थान में मिल सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रख कर वह अपने विचार प्रदेशीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और सरकार को सलाह देते हैं कि अमुक कार्यों से अमुक स्थान पर बड़ा उद्योग-धंधा लग सकता है, सरकार के द्वारा या किसी उद्योगपति के द्वारा जो ऐसा उद्योग लगाने में दिलचस्पी रखता है ।

श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले की तहसील राठ मोदहा और महोबा गन्ने की उत्पति के अच्छे केन्द्र हैं ? क्या सरकार ने शुगर की योजना पर कोई विचार किया है ? यदि नहीं किया है तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक गन्ने के उद्योग को बढ़ाने और मिलों इत्यादि के निर्मित करने का विषय है सदन के सामने यह बात कई दफे आ चुकी है कि प्रदेशीय सरकार ने एक विशेषाधिकारी इस कार्य के लिये नियुक्त किया है और वह प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करके प्रदेशीय सरकार को यह सुझाव देगा कि किन-किन स्थानों में शकर की मिलें लगाई जा सकती हैं। अभी उस विशेषाधिकारी की रिपोर्ट सरकार के सामने नहीं है। वे अपने कार्य में लगे हुये हैं और जब सरकार के पास इस विषय की रिपोर्ट आ जायेगी तब सरकार को इस बात का ज्ञान हो जायगा कि किन-किन क्षेत्रों में मिलें लग सकती हैं और फिर प्रदेशीय सरकार को लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा जो इस प्रकार के उद्योग-धंधों में लगना चाहते हैं और मिलें इत्यादि खोलना चाहते हैं कि वे उन क्षेत्रों में मिलें इत्यादि लगाने का प्रयास करें। जहां तक शक्कर मिलों का सम्बन्ध है द्वितीय पंचवर्षीय-योजना

में लगाने का सम्बन्ध है, यह बातें तो सदन के सामने आ चुकी हैं कि केन्द्रीय आयोग ने सिर्फ चार कोआपरेटिव मिल्स लगाने के लिये आज्ञा प्रदान की है अगले पांच वर्षों में और उन चार में से दो मिलों का निर्णय हो चुका है और एक का भी करीब-करीब निर्णय हो चुका है। केवल एक ही मिल कोआपरेटिव की प्रदेश के किस स्थान पर लगेगी, इसका निर्णय होना अभी बाकी है। तो वह निर्णय तब लिया जायगा जब उस विशेषाधिकारी की सिफारिशें हमारे पास आयेंगी।। प्रदेश की हालत को देखते हुये निर्णय करने का हमें अवसर तब मिल सकेगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेशीय वन विभाग ने मिर्जापुर में ५० टन कागज प्रतिदिन कागज तैयार करने को कहा है तो क्या सरकार कोई कागज की फैक्टरी खोलने का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह बुन्देलखंड का सवाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के जिओलोजीकल डिवीजन ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई सर्वे कराया है और अगर कराया है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बुंदेलखंड का प्रश्न अभी नहीं आया है। अभी पहाड़ी क्षेत्रों से ही छुट्टी नहीं मिली है।

डायरेक्टरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन, रानीखेत के डाइरेक्टर, असिस्टेन्ट डायरेक्टर आदि कर्मचारियों की योग्यताएं

*३६--**श्री रामसुमेर** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डाइरेक्टरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन, रानीखेत के अन्तर्गत कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो फल संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण (टेकनिकल ट्रेनिंग) प्राप्त किये हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--डाइरेक्टरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन के 'युटिलाइजेशन' विभाग के कुल कर्मचारी फल-संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण (टेकनिकल ट्रेनिंग) प्राप्त किये हुये हैं।

डाइरेक्टरेट के "प्रोडेक्शन" विभाग के कर्मचारियों को जो उद्यान विकास का काम करते हैं और विभिन्न कृषि विद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, उक्त टेकनिकल ट्रेनिंग प्राप्त करने का सवाल नहीं उठता।

*३७--**श्री रामसुमेर** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के डाइरेक्टर, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर तथा उनके टेकनिकल एडवाइजर की योग्यता क्या है और उन्होंने फल-संक्षरण का प्रशिक्षण कहां से प्राप्त किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--(१) डाइरेक्टर ने बम्बई विश्वविद्यालय से एग्रीकलचर की डिग्री प्राप्त की है और "हार्टीकल्चर, "प्लान्ट पैथालोजी" व प्लान्ट ब्रीडिन्ग के विषयों में स्पेशलाइज किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एग्रीकल्चर कालेज, ल्यालपुर में रिफ्रेशर कोर्स भी लिया है और एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में उक्त विषयों के १९२६ से १९४० तक प्रोफेसर रह चुके हैं।

(२) इस समय डाइरेक्टरेट में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर नहीं है अतः उनकी योग्यता का प्रश्न नहीं उठता।

(३) टेकनिकल एडवाइजर उन्होंने डच विश्वविद्यालय से हार्टीकल्चर व फ्रूट और वेजीटेबुल प्रीजरवेशन में पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त की है और इन्डोनीशिया में उक्त विषयों के सरकारी एडवाइजर रह चुके हैं।

*३८—श्री रामसुमेर (अनुपस्थित)—सरकार उक्त कार्यालय के कर्मचारियों को फल संक्षरण सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फ्रूट प्रिजरवेशन व कैनिंग इन्स्टिट्यूट, लखनऊ में फल-संरक्षण सम्बन्धी ट्रेनिंग अगले साल से आरम्भ की जायगी और उसमें डाइरेक्टेरेट के कर्मचारी भी ट्रेनिंग पा सकेंगे ।

*३९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०-४२—श्री विश्राम्राय (जिला आजमगढ़)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३-४५—श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६-४७—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

रायबरेली जिले में तहसीलवार एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाखाने

*४८—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में तहसीलवार कुल कितने-कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी दवाखाने किन-किन स्थानों पर हैं और सरकार आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर कितनी संख्या में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना खोलने जा रही है ?

श्री बनारसीदास—(क) इस समय के अस्पतालों व औषधालयों आदि की सूची मेज पर रख दी गई है ।

(ख) पंचवर्षीय योजना में इस जिले में एक आयुर्वेदिक, एक जानना और एक साधारण एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार है, परन्तु स्थानों के बारे में अभी निर्णय नहीं हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४३ पर)

श्री दलबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सलोन तहसील में जब कि सिर्फ तीन एलोपैथिक औषधालय है, उनमें से एक भी राजकीय नहीं है जब कि दूसरी तहसीलों में दस-दस की संख्या में हैं ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि सलोन के अन्दर तीन एलोपैथिक डिस्पेंसरीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं । जैसा अभी उत्तर दिया गया है कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ अस्पताल खोलेंगे, अभी उनके स्थान निश्चित नहीं किये गये हैं और वहां की नियोजन समिति, यदि सलोन की तहसील के लिये सिफारिश करेगी, तो वहां पर अवश्य कायम किये जायेंगे ।

रायबरेली जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड

*४९—श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कुल कितने राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र

किस क्रम से किस-किस सन् में किन-किन स्थानों पर खोलने जा रहो हैं और उनके क्रम व श्रेणियों की प्राथमिकता किन-किन आधारों पर दी गई है ?

श्री फूलसिंह---रायबरेली जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १३ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खन्ड खोलने का विचार है। प्राथमिकता के अनुकूल इनकी क्रमवार सूची तथा इस बात का विवरण कि किस वर्ष कितने ऐसे खन्ड खुलेंगे---माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

प्राथमिकता का निर्धारण जिला नियोजन समिति स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये, करती है।

किस वर्ष कितने ब्लाक खुलेंगे, यह प्रतिवर्ष के सामूहिक योजना प्रशासन द्वारा प्रदत ब्लाकों की संख्या पर निर्भर होगी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४४ पर)

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में जो एन० ई० एस० ब्लाक खुले हैं उनमें इन्टेन्सिव ब्लाक्स कितने हैं ?

श्री फूलसिंह---इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची संलग्न की गयी है उसमें जिस क्रम से स्थानों के नाम लिखे गये हैं, रायबरेली जिले में क्या उसी क्रम से ब्लाक्स खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब यह तो बता दिया गया कि नियोजन समितियों को प्राथमिकता देने का अधिकार दिया हुआ है और जो प्राथमिकता वे देंगी उसी क्रम से हम राष्ट्रीय प्रसार खंडों को खोलेंगे।

श्री गुप्तार सिंह---सरैनी जो शहीद स्थान है उसके लिये प्राथमिकता दी गयी थी तीसरे नम्बर पर, लेकिन कन्फर्म होने के बाद वह हटा दिया गया और मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि वह जनवरी में खुल जायगा, तो वह कब तक खुलेगा ?

श्री फूलसिंह---सरैनी का नम्बर एक है और वह इसी साल खुल जायगा।

*५०-५१---**श्री रामदास**---[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आयुर्वेदिक औषधालयों के कर्मचारियों का वेतन

*५२---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत वेतन जो आयुर्वेदिक औषधालयों में काम करने वाले तथा उनके निरीक्षकों को १ अक्तूबर, सन् १९५५ ई० से देय था, दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---उसकी स्वीकृति १ मार्च, १९५६ से दे दी गई है।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह स्केल देने का निश्चय कब किया गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो पिछले बजट में निश्चय किया गया था।

नोट---तारांकित प्रश्न ५२ श्री धर्मदत्त वैद्य ने पूछा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार इसका कारण बताने का कष्ट करेगी कि फिर एक मार्च से यह वेतन उनको क्यों दिया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वित्त विभाग के सचिव ने लिखा है कि यह स्वीकृति एक मार्च से ही दी जानी चाहिये इसलिये सरकार ने वित्त विभाग के कहने के अनुसार एक मार्च से यह स्वीकृति दी है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या गत वर्ष हाउस में बजट अधिवेशन के समय इस बात की घोषणा की गई थी कि यह वेतन अक्तूबर से दिया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । ऐसी घोषणा की गई थी किन्तु कुछ कठिनाइयों की वजह से यह संभव नहीं हो सका इसलिये यह १ मार्च से आदेश जारी किये गये हैं ।

मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की मेट्रन के विरुद्ध शिकायतें

*५३—**श्री उदयभानसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की नर्सों और मरीजों की ओर से वहां की Matron के विरुद्ध शिकायतें आई हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

*५४—**श्री उदयभानसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त Matron के विरुद्ध पहले की शिकायतों की कोई Inquiry इससे पूर्व हो चुकी है ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

*५५—**श्री उदयभान सिंह**—यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बनारसीदास—उन शिकायतों की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वे निराधार हैं ।

श्री उदयभानसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस प्रकार की और कौन-कौन सी शिकायतें थीं ?

श्री बनारसीदास—शिकायतें उनके व्यवहार के सम्बन्ध में ही थीं कि मरीजों के साथ और जो वहां पर नर्सेज ट्रेनिंग पाती हैं उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री बनारसीदास—विभाग के अधिकारियों के द्वारा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वास्थ्य मंत्री मोतीलाल नेहरू अस्पताल के इन्चार्ज के कारनामों की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—वह तो उत्तर दिया जा चुका है कि जांच की गयी और जो बाद की शिकायतें थीं उस मैट्रन के खिलाफ वे तो निराधार पायी गयीं । पहली जो शिकायतें थीं उनके आधार पर उसको अवश्य चेतावनी दी गयी ।

*५६-५८—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद के कम्पनीबाग में आंखों का अस्पताल खोलने के लिए जमीन की मांग

*५९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद के कम्पनीबाग में आंखों का अस्पताल खोलने के लिये सरकार से जमीन की मांग की गई है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनसे डाक्टर महश, सीतापुर अस्पताल के इन्चार्ज इस सम्बन्ध में मिले थे ?

श्री बनारसीदास—वे अवश्य यह चाहते हैं कि वहां पर एक नेत्र चिकित्सालय बने लेकिन माननीय सदस्य जिस जगह का नाम ले रहे हैं न तो वहां के लिये उन्होंने कोई मांग की है और न कम्पनीबाग से जमीन देने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

*६०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[११ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बोर्डों की सबसिडाइज्ड डिस्पेंसरी के एलोपैथिक अस्पतालों के डाक्टरों का विचाराधीन वेतन-क्रम

*६१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री सन् १९५५ के ७ वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५४-५५ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि वह जिला बोर्डों की सबसीडाइज्ड डिस्पेंसरी के एलोपैथिक अस्पतालों के डाक्टरों का वेतन-क्रम जो विचाराधीन था उसे वे कब तक तय करने जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—अभी यह प्रश्न विचाराधीन है। निर्णय में अभी कुछ समय लगेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न किस वर्ष से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री बनारसीदास—इसमें एक बड़ी कठिनाई यह है कि जो इस प्रकार की सबसीडाइज्ड डिस्पेंसरीज होती हैं, गवर्नमेंट उनको ५० प्रतिशत अनुदान देती है और ५० प्रतिशत स्थानीय निकायों को देना पड़ता है और स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय निकायों की स्थिति को देखते हुये इस प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रकट नहीं की है। इसलिये यह कठिनाई है और जब स्थानीय निकायें ५० प्रतिशत अनुदान देने के लिये तैयार हो जायंगी तब विचार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री बनारसीदास—जिस समय माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था वह लगभग तीन साल से विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बढ़े हुये वेतन की कौन सी दरें विचाराधीन हैं ?

श्री बनारसीदास—वहां ज्यादातर लाइसेंशियेट्स हैं और एम० बी०, बी० एस० का ग्रेड थोड़ा इनसे भिन्न होता है। यदि विचार किया जायगा तो दोनों पर किया जायगा और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या इस प्रश्न पर विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास---इसका उत्तर दिया जा चुका है कि गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि स्थानीय निकायें ५० प्रतिशत अपना हिस्सा देने के लिये तैयार हों ।

आजमगढ़ नेत्र चिकित्सालय में रोगियों की संख्या तथा उसको सरकारी सहायता

*६२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नेत्र चिकित्सालय में चालू वित्तीय वर्ष में कितने नेत्र रोगियों को देखा गया ?

श्री बनारसीदास---आजमगढ़ नेत्र चिकित्सालय में १९५५ में ४०० अन्तर्विभाग (इंडोर) में तथा ६,४९२ वाह्य विभाग (आउटडोर) में नेत्र रोगियों को देखा गया ।

*६३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नेत्र चिकित्सालय को सरकारी सहायता चालू वित्तीय वर्ष में कितनी प्राप्त हुई है ?

श्री बनारसीदास---चालू वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ नेत्र चिकित्सालय को २,९०० रु० की सरकारी सहायता प्राप्त हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस नेत्र चिकित्सालय में पुरुषों और महिलाओं के लिये अलग-अलग कमरे नहीं हैं ?

श्री बनारसीदास---इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी इसकी जानकारी करा कर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस अस्पताल में पुरुष और महिलाओं के लिये अलग-अलग कमरे रखे जायं ?

श्री बनारसीदास---इस चिकित्सालय का सरकार से कोई संबंध नहीं है । इसका संबंध सीतापुर अस्पताल से है और सरकार इसकी ब्रांचेज के लिये अनुदान देती है और इस वर्ष २५ हजार रुपया इनके लिये मंजूर किया गया है और उम्मीद की जाती है कि आजमगढ़ को जो अनुदान मिलेगा उसमें से यदि कोई व्यवस्था वह कर सकेंगे तो करेंगे ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल कितने दिनों से चल रहा है ?

श्री बनारसीदास---यह काफी समय से चल रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इस चिकित्सालय को २,९०० रुपये का अनुदान दिया गया है ?

श्री बनारसीदास---यह तो उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में अंधों की संख्या को देखते हुये जो अस्पताल खुले हुये हैं इनको काफी समझती है ?

श्री बनारसीदास---आजमगढ़ में काफी अस्पताल हैं और जहां अन्य रोगियों का इलाज होता है । लेकिन यह तो नेत्र चिकित्सालय कायम किया गया है और कैम्पस भी लगाये जाते हैं ।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास और कल उपाध्यक्ष जी के पास फोन से खबर आई थी श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में और फिर रात में जो तार आया वह इस प्रकार से है। यह तार जो जिलाधीश, बनारस की तरफ से आया है उसका अनुवाद इस प्रकार है--

"सेवा में,

श्री अध्यक्ष, विधान सभा।

श्री राजनारायण, एम० एल० ए० दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन करने के कारण आज (२० मार्च, १९५६) सायंकाल सवा पांच बजे भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत बनारस के सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार किये गये। विहित आदेश के अनुसार सूचना भेजी जा रही है।"

इसके बाद आज अभी श्री राजनारायण जी का एक तार मेरे पास आया है। उन्होंने तार में यह लिखा है :

"Malicious arrest in conspiracy with Dharam Sangh STOP No intention to break 144 STOP Did not break 144 RAJ NARAIN"

यह तार सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल के द्वारा आया है। तो मैंने जो सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दी वह भी आपको बता दी और श्री राजनारायण जी ने जो दी वह भी बतला दी।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनारस के विश्वनाथ मन्दिर हरिजनप्रवेश कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब श्री राजनारायण जी का जो कामरोको प्रस्ताव था, उसके लिये वह आज भी उपस्थित नहीं हैं। मैंने यह कहा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी वगैरह कुछ हो जाय, क्योंकि वह इस सदन में यह कह कर गये थे कि मैं सत्याग्रह करूंगा, उस पर मैंने कल यह कहा था कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो फिर आज वह आ नहीं सकेंगे। ऐसी अवस्था में अब उनके कामरोको प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता और वह समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा कामरोको प्रस्ताव उनकी गिरफ्तारी के संबंध में श्री रामेश्वर लाल जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है :-

"बनारस नगर में हरिजन मंदिर प्रवेश के संबंध में सरकारी हस्तक्षेप के कारण तीव्रता बढ़ती जा रही है। श्री राजनारायण सिंह, एम० एल० ए०, अध्यक्ष, राज्य सोशलिस्ट पार्टी की इस संबंध में गिरफ्तारी ने प्रान्त के वातावरण को क्षुब्ध बना दिया है और गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस संबंध में मैंने माननीय सदस्यों के सामने वह सारी जानकारी रख दी जो मुझको प्राप्त थी। श्री राजनारायण जी का भी कहना यह है कि अगर उनके ही वर्जन को सामने रख लिया जाय कि स्थानीय अधिकारियों ने धर्मसंघ से मिल कर उनकी गिरफ्तारी की है। कहीं उन्होंने सरकार का जिक्र अपने तार में नहीं किया। माननीय श्री रामेश्वरलाल अपने प्रस्ताव में कहते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ। जो जानकारी प्राप्त

[श्री अध्यक्ष]

हुई है उसका और इस आरोप का मैं समझता हूं कोई तारतम्य मिलता नहीं है। जहां तक जानकारी है वह यह है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे इत्तिला दी, कि सिटी मैजिस्ट्रेट ने १४४ दफा की आज्ञा तोड़ने पर उनकी गिरफ्तारी की। अब वह प्रश्न अदालत के विचाराधीन है और स्थानीय शासन से केवल संबंधित है। इसलिये इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। मैं इसको अवैध करार देता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता।

इतना अवश्य है कि चूंकि एक वैधानिक प्रश्न और कानून का प्रश्न माननीय राजनारायण जी ने उठाया था तो सदन की जानकारी के लिये यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय के ऊपर, जो कानूनी पहलू है, उस पर यदि वे विचार कर चुके हों, तो क्या परिस्थिति है उससे इस सदन को सूचित कर दें। इसमें और किसी को कोई इस वक्त सुझाव नहीं देना है और न इस पर कोई विवाद हो सकता है। अगर कोई नियम के अनुसार इस प्रश्न को उठाना चाहे तो उसको कानून के संबंध में जानकारी मिल जाने के बाद और वाकयात को जानने के बाद मौका मिल सकता है।

बनारस के हरिजन मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, सन् १९५४ में बनारस के सिटी मुंसिफ की अदालत में कुछ लोगों की तरफ से २ मुकदमे दायर हुये। एक का नम्बर था २३३ और दूसरे का नम्बर ३४५ था। ७ आदमियों के खिलाफ ये मुकदमें थे जिनमें एक साहब हरिजन संघ के प्रेसीडेंट थे और दूसरे सेक्रेटरी थे और ५ और सज्जन थे। और यह दरख्वास्त उनसे की गयी कि उनके विरुद्ध परमानेंट इन्जेन्कशन दे दिया जाय कि वे विश्वनाथ मंदिर में और अन्नपूर्णा जी के मंदिर में न जाने पायें। १० अप्रैल, सन् १९५४ को मुंसिफ ने टेम्पोरेरी इन्जेन्कशन दिया जिसके शब्द ये थे:

"The opposite party is restrained from entering from the Singh Dwar into Vishwa Nath Temple and touching the idol pending the disposal of the suit."

इसी से मिलते-जुलते शब्द अन्नपूर्णा जी के मंदिर के इन्जेंन्क्शन के लिये भी थे। यह मामला बहुत दिनों तक चलता रहा और गवर्नमेंट को भी यह अच्छा नहीं मालूम हुआ कि यह चीज इतने दिनों तक चली जाय। लेकिन दिक्कत की बात उसमें यह थी कि जो हमको कानूनी सलाह मिली वह यह है कि यद्यपि इन्जेंन्क्शन आर्डर में प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी का नाम है और ५ और व्यक्तियों का नाम है, लेकिन यह जो आर्डर इशू हुआ है यह रिप्रिजेंटेटिव कैपिसिटी में हुआ है। इसलिये इस इन्जेंन्क्शन के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति काम करे तो वह कन्टेम्पट आफ कोर्ट के अन्दर आ जाता है। फिर भी इससे हम सन्तुष्ट नहीं हुये और हमने एडवोकेट जनरल की राय ली। एडवोकेट जनरल ने राय यह दी कि चूंकि दो में से किसी पार्टी ने गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया है, इसलिये गवर्नमेंट अपने से दखल नहीं दे सकती। तब फिर फरवरी के महीने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हमने इस संबंध में कुछ हिदायत भेजी। उसके अनुसार सिटी मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट कौंसिल को बुलाया और यह हरिजन संघ के जो लोग थे उनके वकीलों को बुलाया और उनको यह सलाह दी कि आप यह दरख्वास्त दीजिये कि असल मुकदमा तो फैसल होता रहेगा, लेकिन तब तक यह इन्जेंन्क्शन आर्डर उठा लिया जाय और इसके अनुसार उन लोगों ने १७ फरवरी को मुंसिफ के यहां दरख्वास्त दी कि इन्जेन्क्शन आर्डर उठा लिया जाय। इस बीच में मुंसिफ का तबादला हो गया, तब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां दरख्वास्त दी गयी कि आप इस मुकदमे को किसी और अदालत में बदल दें। डिस्ट्रिक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जज ने सेकिंड एडीशनल जज श्री रजनीकांत के इजलास में इस मुकदमे को बदल दिया है और इस जज ने इस महीने की २४ तारीख इसके लिये रखी है कि इन्जेंक्शन आर्डर उठाना चाहिये या नहीं। इसके माने यह हैं कि तीन दिन में इसका फैसला वह देने वाले हैं। जो असली मुकदमा है उसके लिये भी उन्होंने ७ अप्रैल रखी है कि उसी दिन फैसला दे देंगे। इस बीच में पंडितों की ओर से एक दरख्वास्त दी गई थी कि इसमें एडवोकेट जनरल और एटरनी जनरल को भी पार्टी बना लिया जाय और इन सिविल जज साहेब ने कहा कि ७ तारीख को जिस दिन मुकदमें का फैसला करेंगे, उसी दिन इस बात का भी फैसला करेंगे कि एडवोकेट जनरल और एटरनी जनरल को भी पार्टी बनाया जाय या नहीं। इस समय कानूनी सूरत यह है कि हमको यह बतलाया गया है कि इन्जेन्कशन चाहे गलत हो या सही, लेकिन इन्जन्कशन के रहते हुये कोई शख्स भी जो मंदिर प्रवेश करेगा या उसमें मदद देगा वह कनटैम्पट आफ कोर्ट के अन्दर आ जायगा। २४ तारीख का इन्तजार हमको है कि इन्जेन्कशन की बाबत क्या फैसला होता है। ७ अप्रैल कोई बहुत दूर नहीं है। तब हम सोचेंगे कि उस पर क्या होनी चाहिये। इसके बारे में हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ कहना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा। कानूनी सूरत यही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह धारा १३(१) इस ....

श्री अध्यक्ष---यह राजनारायण जी मुझे दिखला चुके हैं और मुख्य मंत्री जी के पास भी यह धारा पहुंच गई है और उसके ऊपर राय लेने के बाद ही उन्होंने यह वक्तव्य दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---चूंकि वह बात आई गई है कि २४ को फैसला होने वाला है..

श्री अध्यक्ष---इस बात की अधिक चर्चा मैं समझता हूं कि मेरे कमरे में हो सकती है। यहां उसकी जगह नहीं है। मुख्य मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि वह कोशिश में हैं कि वह हुक्म इम्तनाई हट जाय। उन्होंने कहा कि इन्जेन्कशन ठीक हो या न हो हम उसे मानने के लिये फिलहाल बाध्य हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---१३(१) के संबंध में एडवोकेट जनरल या एटरनी जनरल साहब क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह देखना है कि इस कानून के रहते हुये किसी को इस प्रकार का हुक्म देने का अधिकार है या नहीं, लेकिन मुकदमे के फैसले में सारी बातें आने वाली हैं।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक ४---कृषि आयकर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी, अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०---कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि की संक्रमित धनराशि

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ ई० के लिये आय व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे। समय के सम्बन्ध में कोई सुझाव हों तो बतावें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, अनुदान संख्या १ और २ ये दोनों एक साथ ले लिये जावें और ३ घंटे का समय रखा जाय। उसके बाद अनुदान संख्या २२, उपनिवेशन, रखा जाय और १ घंटा इसके लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मेरे विचार से मुहकमे माल से संबंधित जितने अनुदान हैं वे सब एक साथ ले लिये जावें। नं० १,२,२२ और ३४।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि आपने तो कार्यक्रम में अनुदान अलहदा-अलहदा रखे हैं। इसलिये अब सुभीता इसमें ही होगा कि विरोधी दल वाले जिस तरह से टीका करना चाहेंगे उसी के हिसाब से कोई अनुदान एक साथ लिये जावेंगे।

श्री चरण सिंह—विरोधी दल वाले शायद मेरी बात को मंजूर कर लें। चारों अनुदान मैं एक साथ मूव किये देता हूं और अपना थोड़ा सा निवेदन कर दूंगा। कल दोपहर तक या ३ बजे तक इन चारों अनुदानों पर जो बोलना चाहें बोलें और उसके बाद ट्रांसपोर्ट विभाग की २,३ मदें हैं, वे ली जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष—विरोधी दल चाहे तो दो कटमोशन लावें परन्तु आप चाहें तो सब अनुदानों को एक-एक पेश करके सब पर एक ही साथ बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो अपने सारे अनुदान पेश कर दें और हमारे माननीय सदस्य दो कटमोशन पेश करेंगे। उसके बाद जो बोलने वाले सदस्य होंगे जिस तरह से मंत्री जी सारे पर बहस कर लेंगे उसी तरह औरों को भी मौका मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—माल विभाग के जितने अनुदान हैं उतने पहले ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—कालोनाइजेशन का माल विभाग से डाइरेक्टली संबंध तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप ३ कटमोशन लाना चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप ला सकेंगे।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—कृषि-आयकर को उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक ४—कारपोरेशन कर और सम्पत्ति कर को छोड़ कर-आय पर दूसरे कर), के अन्तर्गत २,६३,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय, की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (भू-राजस्व) (लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी) के अन्तर्गत ५,२०,५९,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन (लेखा शीर्षक ४०) कृषि—के अन्तर्गत ७३,८४,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित) धनराशि के अन्तर्गत १८,३६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी विभाग का बजट पेश करते समय उम्मीद यह की जाती है सम्बन्धित मिनिस्टर से, या गवर्नमेंट के सदस्य से, कि जो वर्ष बीत रहा है उसमें उस मुहकमे में कौन से काम चल रहे थे और उन कामों में कितनी कामयाबी हुई और अगले वर्ष क्या करने का विचार है जिसके लिये सदन से रुपये की दरख्वास्त की जाती है। मैं अव्वलन् आपकी इजाजत से अपने माननीय मित्रों

को यह बतला देना जरूरी समझता हूं कि भूमि सुधरों के कारण मुल्कवें माल में जो पुराने ५-६ मैनुअल थे, वे आउट आफ डेट हो गये हैं। एक तो समय के गुजरने के कारण क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई है और जो भूमि सुधार हुए हैं उनकी वजह से भी उनमें सुधार करना आवश्यक हो गया है। उन सबका रिवीजन हो रहा है। लैंड रिकार्ड्स मैन्युअल, रेवेन्यू मैन्युअल, रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल, मैन्युअल फार रिवीजन आफ मैप्स एंड रिकार्ड्स, और तकावी मैन्युअल, ये पांच मैन्युअल जेरे संशोधन है। इसके अलावा, जैसा कि सदन को याद होगा पिछले वर्ष डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का नया संस्करण तैयार करने के लिये कुछ रुपया मंजूर किया गया था। उसके सम्बन्ध में जिलाधीशों को यह आदेश भेज दिये गये हैं कि वे प्रारम्भिक तौर पर एक रिवीजन बनायें और जिलों में जो विशेषज्ञ हों, खेती के सिलसिले में जिनको जानकारी हो, उद्योग धंधों के सिलसिले में जिनको जानकारी हो, अपने जिले के इतिहास से जो वाकफियत रखते हों और देश की स्वतन्त्रता हासिल करने के सिलसिले में जो-जो आन्दोलन उस जिले में हुए हों, उसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में सूचना होता है जो उसके सिलसिले में जो भी नये सुझाव वे दे सकते हों कोई भी, चाहे वे अर्थशास्त्री हों, इतिहासज्ञ हों अथवा सार्वजनिक कार्यकर्ता हों, उन सबका सहयोग वे हासिल करने की कोशिश करें और हो सके तो एक सब कमेटी जिले की लेबिल पर मुकर्रर कर दें। उसके सिलसिले में काम करने के लिये एक एडीटोरियल बोर्ड हैडक्वार्टर पर बनाया जा रहा है जिसमें एक विद्वान् इतिहास वेत्ता, एक अर्थशास्त्री और एक सोशियोलोजिस्ट होंगे। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी होती है कि ऐसे तीन विद्वान श्री नन्दलाल चटर्जी, श्री वी० एन० मजूमदार और श्री राधाकमल मुकर्जी ने इसके लिये अपनी स्वीकृति भी दे दी है। वे बोर्ड आफ डायरेक्टर पर काम करने के लिये तैयार हैं। जैसे ही जिलों से प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आना शुरू हो जायंगी यह काम शुरू हो जायगा। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से एक सेक्रेटरी के नियुक्त करने की सिफारिश करने को कहा गया है। उनकी नियुक्ति से जब सेक्रेटरी नियुक्त हो जायगा तो यह कमेटी तेजी के साथ आगे को चलेगी। मैं समझता हूं इस प्रकार जब डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का रिवीजन हो जायगा तो उससे जनसेवकों, पब्लिक सर्वेन्ट्स आफीशियल्स और नान आफीशियल्स ---सभी को बड़ा लाभ होगा और उनकी जानकारी में बड़ा इजाफ़ा हो जायगा। अब भी जब किसी डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर का तबादला होता है तो उससे यह आशा की जाती है कि वह अपने जिले का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पढ़े। इससे उसको उस जिले का सारा हिस्टोरीकल बैकग्राउन्ड, इकोनोमिकल कंडीशन और वहां के लोगों की बाबत हर प्रकार की जानकारी हो जाती है और जन-सेवा करने में आसानी होती है।

अध्यक्ष महोदय, सर्वे व रिकार्ड आपरेशन्स यानी जमींन के पैमाइश के काम और दुरुस्ती कागजात वगैरा यह महकमे माल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद से कई जिले में, जिलों में पूरे प्रकार से नहीं, विशेष खातों में जहां रिकार्ड ठीक नहीं है वहां रिकार्ड्स के सर्वे आपरेशन्स कराये गये हैं। मुजफ्फरनगर, बहराइच, मिर्जापुर, बस्ती, आगरा में रिकार्ड आपरेशन्स कराये गये। अलीगढ़ और प्रतापगढ़ में खादर के इलाके में हुए। कुमायूं डिवीजन की चार तहसीलों में रिकार्ड आपरेशन करने के लिये अहकाम जारी हुए हैं, और कुछ काम भी शुरू हो चुका है। गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल इन चारों जिलों का रकबा

[श्री चरण सिंह]

१६ हजार १७ मुरब्बा मील है लेकिन जो आंकड़े जमींन के सम्बन्ध में और पैदावार के सम्बन्ध में और लोगों के कब्जों के मुताल्लिक जो वहां के रिकार्ड्स हैं वह सन्तोष-जनक नहीं हैं। उन रिकार्ड्स से उस इलाके की सही स्थिति नहीं मालूम हो सकती जैसा कि मेरे मित्र नेगी जी कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वह कह रहे हैं कि "हमेशा रहे हैं" या "हमेशा रहेगी।" लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हमारा इरादा यह है आगे ऐसा न रहे और इसीलिए ८४ लाख रुपये की एक स्कीम बनाई गई थी, रुपए की कमी थी और इसी कारण से यह चीज टलती रही। बेशक इसके लिए रुपया तो ज्यादा चाहिए लेकिन फिलहाल हम ३ साल में ८४ लाख रुपया खर्च करके यहां के रिकार्ड्स को ठीक कराने का इरादा रखते हैं। शुरू में हर जिले की एक तहसील में यह काम शुरू किया गया था, इसके लिए हमें सर्वमेन्स या उसके विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और उसके लिए ट्रेनिंग क्लासेज खोलने का हुक्म दिया जा चुका है। ट्रेन्ड आफिसर्स की भी जब से सेटिलमेंट का काम बन्द हुआ है कमी पड़ गई है और काफी ऐसे आफिसर्स की हमें अभी जरूरत होगी। बड़ी खोज के बाद अच्छे आफिसर शायद मिल सकें। पहले तो सेटिलमेंट चलते रहते थे। हर साल सूबे के किसी न किसी जिले में राज्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग उसके लिए होती रहती थी और इस वजह से ट्रेन्ड आफिसर्स की कमी नहीं रहती थी लेकिन करीब २० साल से हमारे यहां कोई सेटिलमेंट नहीं हुआ है इसलिए ऐसे राज्य कर्मचारियों की कमी होती जा रही है जो इस काम को समझते हैं। यह कठिनाई है और केवल कुमायूं के लिए इस काम के वास्ते २१ लाख रुपया रखा गया है। इस साल के लिए ९ लाख और अगले साल के लिए २१ लाख। इसके अलावा बहराइच, मिर्जापुर, पीलीभीत और रामपुर के खादर के इलाकों में भी रिकार्ड और सर्वे का काम शुरू किया जायगा। अभी तक कुमायूं के पटवारी अस्थायी थे और उनकी पोस्ट पेंशनेबिल नहीं थी। अब १ अप्रैल, ५६ से उनको स्थायी और पेंशनेबिल बनाने का विचार है। लेखपालों की एक परीक्षा सन् ५४ के दिसम्बर में या सन ५५ की जनवरी में हुई थी लेकिन जो नये भर्ती हुए थे उनमें से कुछ नौजवान नाकामयाब साबित हुए। उनकी तादाद थोड़ी ही है, लेकिन उनकी तरफ से मुतालबा किया गया कि हमें एक मौका और परीक्षा का दिया जाय और उनके अलावा कुछ और लेखपाल भी थे, जो परीक्षा में बैठ ही न सके थे। उस वक्त जो आदेश जारी हुए थे यह वह थे कि जो अप्रैल सन् ५३ में भर्ती किये गये थे उन्हीं को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाय, लेकिन इसके बाद भी जब मई, सितम्बर और अक्तूबर में जब जरूरत हो तो राज्य कर्मचारियों को अधिकार था कि वह भर्ती करें। तो ऐसे लोग जो मास रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं थे वह भी परीक्षा में नहीं बैठ सके। ऐसे लोगों को भी जो परीक्षा में नहीं बैठ सके लेकिन जिन की मुद्दत मुलाजमत ३१ मार्च, सन् ५६ को २ साल हो जायगी उनको भी अप्रैल की परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जायगी।

मेरे दोस्तों को मालूम है कि मालगुजारी, आबपाशी, तकावी और भी जो सरकार के मुतालबात हैं उनको वसूल करने की एक इन्टीग्रेटेड स्कीम आफ कलेक्शन हमारे सूबे में २ साल से नाफिज है। इस समय १३६३ फसली चल रही है। इसके आंकड़े नहीं बतला सकता, लेकिन १३६२ फसली की मालगुजारी १९ करोड़ ५४ लाख थी जिसमें १९ करोड़ ३८ लाख वसूल हो गई। आबपाशी ७ करोड़ ३६ लाख नेट डिमांड थी। रेमिशंस और सस्पेंशन के बाद नेट डिमांड ७ करोड़ ३६ लाख में से ७ करोड़ २२ लाख वसूल हुई। तकावी का मतालबा १ करोड़ ४६ लाख का था उसमें से १ करोड़ ६ लाख वसूल हुआ और अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मित्रों को मालूम है कि तकावी जो पुरानी ज्यादा जमाने की चली आ रही है उसको

मुल्तवी करते आ रहे हैं और यहां तक कि उसको माफ कर दिया। उसी का नतीजा है कि १ करोड़ ४६ लाख में से १ करोड़ ६ लाख वसूल हुआ। इसकी वजह यह नहीं है कि स्टाफ की गफलत रही है बल्कि पालिसी ही यह थी। २८ करोड़ ३६ लाख रुपया वसूल करना था उसमें से २७ करोड़ ६६ लाख रुपये इस एजेन्सी ने वसूल किये। हमारा खर्चा जो वसूलयाबी का बैठता है वह ४.६५ पड़ता है बल्कि जब मालगुजारी लम्बरदार गवर्नमेंट को अदा करते थे तो एक आना फी रुपया उनको कमीशन मिलता था यानी सवा ६ फीसदी तो उससे भी चीपर अरेंजमेंट यह साबित हुआ है। १०० रुपये के वसूल करने में बजाय सवा ६ परसेंट के ४.६५ कुल खर्चा हमारा पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बहुत शोभा नहीं देता कि मैं दूसरे सूबों का इस सिलसिले में जिक्र करूं। लेकिन सच्चाई मालूम होनी चाहिये। हमारे पड़ोस का सूबा है, वहां के मिनिस्टर साहब भी हमारे सूबे की भूमि व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये यहां तशरीफ लाये। उनको ताज्जुब हुआ और उन्होंने हमारी स्कीम मंगाई है क्योंकि उनके यहां १३ फीसदी वसूलयाबी पर खर्चा पड़ता है। तो उसको देखते हुए हमारे यहां खर्चा बहुत कम है और शायद उससे ज्यादा सस्ता तरीका या ढंग निकालना मुश्किल होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कौन प्रान्त है?

श्री चरणसिंह—इससे क्या फायदा। मध्य प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि महकमा माल के नीचे के कर्मचारी या ऊपर के राज्य कर्मचारी वे भी शामिल हैं और विशेष कर हमारे बीच के राज्य कर्मचारी—यों तो सभी श्रेय पाते हैं चाहे उनको श्रेय दें या न दें—लेकिन लैण्ड रिफार्म कमिश्नर का सारा आर्गनाइजेशन है। एक प्रकार से हमारे धन्यवाद का पात्र है, इस सदन के धन्यवाद का पात्र है। जमींदारी एबोलीशन के बाद धीरे-धीरे उन्होंने २ करोड़ से ज्यादा सालाना मालगुजारी हमारे सूबे की बढ़ाई और उसके बढ़ाने के कारण ये हैं—ज्यादा अच्छे कलेक्शंस और अच्छी जमाबन्दी व लैण्ड रेकार्ड्स की दुरुस्तगी। ऐसे बहुत से इलाके पड़े थे जहां जमींदार लगान तो लिया करते थे लेकिन लगान दर्ज नहीं था। इसकी वजह से मालगुजारी बढ़ी और बहुत सी जगह जो जिन्सी लगान लेते थे, उसे नकदी लगान कर दिया गया—इन कारणों से दो करोड़ की मालगुजारी इस सूबे की बढ़ी। इसमें वह मालगुजारी या लगान जो अब हम सीधे अधिवासियों से लेंगे वह इसमें शामिल नहीं है। हो सकता है कि वह डेढ़ करोड़ रुपया हो। अध्यक्ष महोदय, जमींदार साबिक अपनी मालगुजारी तहसील में जमा करते थे। अब जैसा कि सब को विदित है मालगुजारी दाखिल करने के लिए किसी को तहसील में नहीं जाना पड़ता। बल्कि स्वयं ही राजकर्मचारी हर किसान के घर पहुंचता है। अध्यक्ष महोदय, ९० लाख किसानों के परिवार हैं और एक परिवार में कई-कई आदमियों के खाते हैं और एक एक आदमी के कई-कई खाते हैं। इस प्रकार दो करोड़ आदमियों के पास जाकर रसीदें काटनी पड़ती हैं और मालगुजारी लेनी पड़ती है। तो मैं यह दावा कर सकता हूं कि कभी किसी किसान को राज कर्मचारियों की भाषा या व्यवहार से शिकायत नहीं होती होगी।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—कानून से जरूर शिकायत है।

श्री चरणसिंह--वह तो आपका और मेरा दोष है। उनका दोष नहीं है। यदि होगी शिकायत तो थोड़ी बहुत। लेकिन जैसा कि जमींदार साहबान जमींदारी उन्मूलन के समय इसी सदन में पेश किया करते थे और यही कहा करते थे कि सबसे बड़ी जो खराबी पैदा होगी हमारे सूबे में जमींदारी उन्मूलन के बाद वह यह होगी कि बड़ा हैरेसमेंट किसानों का होगा और बड़ा करप्शन होगा, क्योंकि उसमें रिजिडटी होगी और उसको अख्तियार तमीजी नहीं होगा कि वह उसके वक्त की कुछ सहूलियत दे सके। अगर फसल खराब हो गयी तो गवर्नमेंट की तरफ से रेमिशन और सस्पेंशन में बड़ी दिक्कत होगी वगैरह-वगैरह। जैसा कि मैंने कहा कि जहां करोड़ों से वास्ता पड़ता हो और जहां इतने लम्बे चौड़े देहात में काम करना हो और हमारे किसान अपने अधिकारों को अच्छी तरह से न समझते हों, वे पढ़े लिखे हों, ऐसी दशा में किसी भी किसान की थोड़ी बहुत भी शिकायत न होती हो, यह मैं दावा नहीं करता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जैसा कि खतरा लोगों को दीखता था वह खतरा सही साबित नहीं हुआ। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी याददाश्त मुझको धोखा नहीं दे रही है, तो पिछली फसल में यानी रबी १३६२ की फसल में सारे सूबे में एक बलिया से शिकायत मालगुजारी वसूल करने के सिलसिले में मेरे पास आयी थी और कहीं से शिकायत नहीं आयी। जहां शिकायत आती है तत्काल कार्यवाही की जाती है। आदेश अफसरों को यह है कि अगर आपको शुबहा भी हो जाय कि किसान के साथ बेजा कार्यवाही या सख्ती की गयी है तो आप उसको फौरन बरतरफ कर दें बजाय इसके कि और कार्यवाही करें। अमीन की शैक्षिक योग्यता केवल मिडिल रखी है और ८५ रुपया हम उसको देते हैं। तो मिडिल पास नौजवान के लिए ८५ रुपये एक बहुत बड़ा आकर्षण है बहुत बड़ी तनख्वाह है, बी० ए० पास आदमी के लिये बहुत कम है। तो इसलिये मैं समझता हूं कि एक कारण अमीन के ज्यादती न करने का या गलती न करने का, लालच में न फंसने का यह भी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले साल का या दो तीन साल का तजुरबा है जिसमें कोई भी शायद ही एक दो वाकये हों जहां मालगुजारी में गबन हुआ हो। रामपुर में जो मामले हुए, वहां पुराना सिस्टम चल रहा था। कुछ पाकिस्तान चले गये, उनकी जमानत से रुपया वसूल हो रहा है। तो मुमकिन है कि सारे सूबे में एक-दो मामले हुए होंगे जहां गबन हुआ हो। तो उनकी कम योग्यता रखने के कारण और इतनी तनख्वाह देने के कारण मैं यह समझता हूं कि ज्यादा ईमानदारी से वह काम कर रहे हैं। अफसरों की कड़ी निगाह और बराबर यहां लखनऊ से इस बात का आदेश जाना कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि मालगुजारी पूरी वसूल करनी है लेकिन साथ-साथ किसी को शिकायत न हो कि उसके साथ ज्यादती की गयी। इस बात के जिम्मेदार हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यह मैंने मालगुजारी के सिलसिले में पेश किया।

जहां तक कृषि आय कर का सम्बन्ध है, ६५ लाख रुपया हमने आंका था कि हमको इतनी आमदनी होगी। यह बजेटेड एस्टीमेट था। और हमारे रिवाइज्ड इस्टीमेट्स ६५ लाख हैं। मतलब यह है कि जितना हमारा अन्दाज था वह सही उतरा। अगले वर्ष हम ६० लाख रुपये आमदनी की उम्मीद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, १९५४ में कृषि आयकर कानून में हमने एक संशोधन किया था जिसका मंशा यह था कि जमींन का जो सर्किल रेट हो उसका साढ़े बारह गुना करो और ४,२०० रु० से कम आमदनी बैठती है तो किसी को नोटिस न दो। यह फार्मूला फुल प्रूफ था, जिसमें राजकर्मचारियों का कोई डिस्क्रीशन नहीं। इसकी वजह से नोटिस बहुत कम जारी हुए। अब तो नोटिस ४,२०० से कम की आमदनी पर जाते नहीं और फिर पार्टी को अख्तियार है कि अपनी आमदनी कम साबित कर दे। इसलिये जो पहले हर साल करप्शन की शिकायत थी, पिछले साल या इस वर्ष मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी। केवल दो एक मित्रों ने यह कहा कि साढ़े १२ गुना जो आपने रखा है इसको

कम कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से यह जवाब दिया जाता रहा कि यह गुणक प्रोवीजनल इन्कम निकालने के लिये है। आपकी जो रीयल इन्कम है वह कम है तो आप उसके एकाउन्ट्स पेश कर दें। तो उन मित्र का यह कहना कि आपके राज कर्मचारी हमारा हिसाब नहीं मानते, वे साढ़े १२ गुना ही सही करते हैं, हो सकता है इस तरह की शिकायत हो। लेकिन यह भी याद रखना चाहिये कि कोई किसान ऐसा नहीं है जो हिसाब-किताब रखना न जानता हो। चाहे छोटा किसान हो या बड़ा, राजा हो या रंक रहा हो। इसलिये हमेशा शुबहे की दृष्टि से देखें तो मैं राजकर्मचारियों को दोष देने को तैयार नहीं हूं। अभी एक नजीर हाईकोर्ट की हुई जिसमें यह है कि "कलेक्टर डज नाट इन्क्लूड ऐन एडीशनल कलेक्टर"। उसकी वजह से हमारा लाखों रुपया जो टैक्स का था उसके वसूल करने में कुछ दिक्कतें आ गईं। इसकी वजह से एक आर्डिनेंस जारी किया गया है और छोटे मोटे दो, एक संशोधन जिनको जैसे ही मार्च निकला और अप्रैल आया मैं विधेयक की शकल में इस सदन के सामने ले कर हाजिर होने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब दुर्भिक्ष की बात आयी। बदकिस्मती से बराबर कई वर्षों से हमारे सूबे पर कोई न कोई दैवी आपत्ति, जल की आपत्ति, होती रही। लेकिन पिछले वर्ष जल और वायु दोनों का प्रकोप हुआ और ५१ जिलों में से ३२ जिलों को क्षति पहुंची। जैसा अध्यक्ष महोदय, सभी को विदित है गवर्नमेंट ने तत्काल कार्यवाही की और ग्रेच्युइटस रिलीफ में ३९ लाख, फीस की माफी में १५ लाख २० हजार, टेस्ट और रिलीफ वर्क में १० लाख ८० हजार; भूसे की खरीद के लिये अब तक जो इमदाद की गई उसमें १ लाख ९० हजार, तकावी और दूसरे किस्म के कर्जे में १ करोड़ ६२ लाख यहां से मंजूर हो चुके और २४ लाख जो पहले से बकाया था तकावी का वह माफ हुआ। इसके अलावा हमारे पास ३२ जिलों से मालगुजारी की माफी के जो प्रोपजल्स आये हैं वह १ करोड़ ३८ लाख ६८ हजार रु० की रकम बैठती है और इनमें कोई ९० परसेंट प्रोपोजल रेमीशन के हैं, सस्पेंशन के केवल १० परसेंट। यों आम तौर पर खरीफ की मालगुजारी रेमिट नहीं की जाती है बल्कि रबी के साथ वसूल की जाती है। लेकिन वैसे अफसरों को अधिकार है कि लोगों की आर्थिक स्थिति देखें कि बहुत खराब है तो वह रेमीशन भी रिकमेंड कर सकते हैं। खरीफ की मालगुजारी के सिलसिले में जब ९० परसेंट रेमीशन रिकमेंड किया तो अध्यक्ष महोदय, इससे जाहिर होता है कि अफसरों का दृष्टिकोण, उनका ऐप्रोच उन लोगों तक जो मुसीबतजदा थे वह कितना वास्तविकता से भरा था। तो यह मैंने आंकड़े गिनाये। जरा माननीय मित्र हिसाब लगा लें कि कितना रुपया बैठता है। और फिर जितना रुपया यह बैठता है अगरचे मेरा कुछ ज्यादा सरोकार नहीं इससे मगर उतना ही रुपया स्कूलों में, सड़कों में या ट्यूबवैल इत्यादि के जो काम होते हैं उनमें कम हो जाता है, उतने रुपये की उनमें कमी हो जाती है क्योंकि आखीर रुपया तो सब एक ही जगह से आता है। अध्यक्ष महोदय, रिलीफ मेजर्स के लिए ५६–५७ के लिये इस उम्मीद में कि इस दैवी आपत्ति का फिर सामना नहीं करना पड़ेगा, कम से कम इतने बड़े पैमाने पर हम केवल १८ लाख ३६ हजार रुपया रख रहे हैं। यों परमात्मा न करे फिर यह आपत्ति आये तो ५५ लाख रुपये फेमिन रिलीफ फंड में जमा रहते हैं, उससे हम रुपया ले लेते हैं या कंटिजेंसी से ले लेते हैं। तो इस तरह से उसका इन्तजाम हो जाता है। फिर भी १८ लाख ३६ हजार रुपये की केवल आपसे मांग की जा रही है और १८ लाख ५० हजार रुपये की जो कमी उसमें हो गई थी वह उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि वह ५५ लाख हो जाय।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, तकावी के सम्बन्ध में कुछ शिकायत आती रहती है और बजा शिकायत आती रहती है। पिछले वर्ष रेवेन्यू स्टैन्डिंग कमेटी में इस मामले पर बहुत तफसील के साथ विचार हुआ। यों पहले भी कुछ अहकाम जारी हो गए थे लेकिन पिछले वर्ष स्टैंडिंग कमेटी में बहुत तफसील के साथ इस पर विचार हुआ। किस तारीख तक दरख्वास्त किस किस्म की तकावी के लिए आ जानी चाहिए यह तय किया। किस जगह दी जाय, यह भी तय किया, और किस तरह तकसीम की जाय यह भी तय किया। इसके सिलसिले में आदेश जिलाधीशों को जारी हो चुके हैं। मैं आपकी इजाजत से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सन् ५५ में नहीं सन् ५४ में एक आदेश यह भी जारी हो चुका था कि अगर रकम कम है और लेने वाले ज्यादा हैं तो अफसरों को यह चाहिए कि अपेक्षतया जो छोटे किसान हैं, उनको तकावी दें चाहे बड़े किसान महरूम हो जायें। वह आदेश पिछले साल फिर दोहरा दिए गए और अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भेद नहीं बता रहा हूंगा, अगर मैं यह अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट इस पर भी विचार कर रही है कि ५० एकड़ से बड़े खातेदारों को तकावी न दी जाय। कारण? कारण यह है कि तीन-चार बार जो डेट (Debt) के सम्बन्ध में लेजिस्लेशन हुए उसकी वजह से जो प्राइवेट मनी लेंडर है वह तो अब किसान को रुपया देने में हिचकता है। किसान को कर्जा देता नहीं। तो इस तरह प्राइवेट कर्ज के जो जरिये थे वह कम हो गये। कुछ जमींदार कर्ज दे दिया करते थे। वह भी एक तरह के महाजन ही थे, जरा दूसरे किस्म के महाजन थे। वह भी अब देने की स्थिति में नहीं रहे तो कानून की वजह से और जमींदारी एबालीशन की वजह से प्राइवेट मनी लेंडर्स कर्जा नहीं देते और कर्ज के बगैर किसान का दुनिया में कहीं भी काम चलता नहीं। अब दो ही रास्ते रह जाते हैं। या तो हम कोआपरेटिव सोसाइटी बनायें और जिसके पास पैसा हो वह उसमें जमा कर दे और जिसको जरूरत हो वह सोसाइटी से कर्जा ले ले।

दूसरा यह है कि गवर्नमेंट तकावी दे। तकावी माने लोन टुएग्री कल्चरिस्टस। अब कोआपरेटिव मूवमेंट का सब से पहला काम यह है कि वह लोगों को लोन दे। उसके लिये मेरे सहयोगी श्री मंगलाप्रसाद जी ने सदन को बतलाया था जो उनकी स्कीम है। केवल तकावी की बात जिससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट डील करता है उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं। इस वक्त जो रुपया तकावी के लिए है वह ज्यादा नहीं है। जितना डिपार्टमेंट चाहता था उतना रुपया गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी लेकिन जितना डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल था उतना भी गवर्नमेंट दे देती तो भी किसानों की जरूरतें पूरी न हो पातीं। वह रुपया जो है वह बहुत कम है उसको देखते हुए। तो जब रुपया कम है और लेने वाले ज्यादा हैं तो अब नीति क्या हो गवर्नमेंट की कि किसको पहले दे छोटे को दे या बड़े को दे।

गवर्नमेंट इस सिलसिले में विचार कर रही है कि जो बड़ा खातेदार है उसको बिलकुल न दिया जाय। क्योंकि अगर उसको ५,००० रुपया देते हैं तो ५० छोटे किसानों को महरूम कर देते हैं। इस पर विचार हुआ है और जब यह आदेश जारी हो जायेंगे तो इस सिलसिले में हमारी जो नीति है उसको भी इस आदेश से समर्थन मिलेगा।

अब जहां तक गवर्नमेंट इस्टेट्स और कालोनाइजेशन का संबंध है, जिसके सम्बन्ध में यह ग्रांट नम्बर २२ था ५५० गवर्नमेंट आस्थान सरकारी जमींदारी के जिले-जिले में फैले हुये हैं जो कि १०-१०, २०-२० बीघे के और ५० एकड़ के। ऐसी ५५० इस्टेट्स अब तक थीं उनमें बड़ी स्टेट्स तराई भाबर की और भाबर इस्टेट्स गढ़वाल की और दुद्धी इस्टेट मिर्जापुर की थीं। ये जो तीन बड़े-बड़े इलाके थे ये बड़े पिछड़े हुये थे। यातायात के साधनों की कमी, सड़कों की बहुत कमी और पीने के पानी और सिंचाई की कमी, बीमारी का प्रकोप

और इल्लिट्रेसी सब जगह फैली हुई थीं। जब से जनतंत्रीय सरकार ने सन् १९४६ से जिम्मेदारी संभाली तो इन पिछड़े हुये इलाकों की उन्नति करने के लिये स्कीमें बनायी गयीं और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में विशेष कर ध्यान ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और इरिगेशन की ओर दिया गया। मार्च, सन् ५६ तक जैसे ही यह प्लान पूरा होगा ये सारी स्कीमें पूरी हो जायेंगी। साथ ही मलेरिया वगैरा मिटाने, शिक्षा बढ़ाने, सड़कें और पुल बनाने के सिलसिले में काफी काम हुआ है। खर्चा जितना कि हम दुद्धी के इलाके में करना चाहते थे उतना नहीं हुआ क्योंकि उतना रुपया नहीं था। अध्यक्ष महोदय, दुद्धी में लाख का एक उद्योग था। हमारे सूबे में तो वहीं पर यह उद्योग था, मुमकिन है बिहार में और हो। वहां मिर्जापुर के किसानों की आर्थिक अवस्था कई साल से बिगड़ी हुई थी। वह दरख्त तो गवर्नमेंट के थे पर गवर्नमेंट की तरफ से यह इजाजत दे दी गयी कि वह लाख को जिस तरह से चाहे उसका उपयोग करें। नतीजा यह हुआ कि लाख का उद्योग धीरे-धीरे खराब होता चला गया और इस हद तक उसकी सूरत पहुंची कि हमारे यहां से बिलकुल ही नष्ट हो गया। तो डिप्टी मिनिस्टर श्री फूलसिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी, उसकी रिपोर्ट आ गयी है मैंने देखी नहीं है। उसका रिहैबिलिटेशन किस प्रकार किया जाय उस पर गवर्नमेंट विचार करेगी और कोशिश करेगी कि यह उद्योग हमारे सूबे से नष्ट न हो। इसमें किसानों का फायदा और गवर्नमेंट का फायदा है।

अध्यक्ष महोदय, पुराने अवकाश प्राप्त फौजी लोग, मुसीबतजदा पाकिस्तान से आये हुये हमारे भाई और भूमिहीन लोग और और लोगों को बसाने के लिये उसका एक उद्देश्य है। दूसरा यह कि अपना यहां का खाद्यान्न बढ़ाना। गवर्नमेंट ने पहाड़ की तलहटी में और मेरठ के जिले में, गंगा खादर के इलाके में सन् १९४७–४८ में ये कालोनाइजेशन की स्कीमें शुरू कीं। गंगा खादर, मनुनगर, रामनगर, तराई नैनीताल, काशीपुर (नैनीताल) और अफजलगढ़ (बिजनौर) और अल्मोड़ा की एक छोटी सी स्कीम धुनागिरी की, ये सब स्कीमें जारी की गईं सिवाय अफजलगढ़ के, ये प्रायः सब मुकम्मिल हो गयीं। सातवीं स्कीम जो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है, साल भर में जिसमें १० हजार एकड़ जमीन रिक्लेम की जायगी, वह लखीमपुर-खीरी में की जायगी। मौजूदा वर्ष में २,६२५ एकड़ जमीन और तोड़ी गयी और इस तरह जो कुल रकबा रिक्लेम हुआ आज उसकी तादाद १,०५,४२२ एकड़ है। पांच नये गांव बसाये गये और अब तक १९५ कुल गांव बसा दिये हैं, १,०८५ नये परिवार बसाये गये और कुल परिवारों की संख्या जो बसाये गये वह ८,५०३ है। १२ कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम की गयीं और जो अब तक फंक्शन करती हैं उनकी संख्या १९५ है। गंगाखादर और अफजलगढ़ में ७,००० एकड़ जमीन और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तोड़ी जायेगी जिसमें से ३,५०० एकड़ इसी साल तोड़ी जायगी। जंगली जानवर जो नुक्सान करते हैं तो ४९,४०० रुपया कांटेदार तार लगाने के लिये माननीय सदन से मांगा जा रहा है। कुमायूं के भूमिहीन लोगों को जमीन मिल सके इसके लिये सन् १९५३ में गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि ६०० भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाय। तराई भाबर इस्टेट्स में जमीन के अलाटमेंट का काम मुकम्मिल हो गया है और इस तराई भाबर इस्टेट्स में जो इलाका मरधानचौरा है उसमें ३,००० एकड़ जमीन फारेस्ट की डिस्बर्स की गयी। मैं कह ही चुका हूं कि लखीमपुर में १० हजार एकड़ जमीन तोड़ी जा रही है जिसमें सड़कें, डिस्पेंसरीज और स्कूलों के लिये प्रबन्ध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह जमींदारी अबालीशन ऐक्ट प्रायः सारे विभिन्न इलाकों में लागू हो चुका है, लेकिन छोटे-छोटे पाकिट्स पड़े हुये हैं। ५५० गवर्नमेंट इस्टेट्स हैं जिनकी व्यवस्था हर एक जिले में अलग है। कहीं ठेके पर जमीन दी गयी है, कहीं ऐसे काश्तकार थे

[श्री चरणसिंह]

जिन पर यू० पी० टेंनेंसी ऐक्ट लागू होता था, कहीं टर्म्स आफ कंडीशंस बिलकुल ही अलग थीं। तो ३२ जिलों के अन्दर जहां इन गवर्नमेंट इस्टेट्स में कोई ठेकेदार नहीं था, उनमें जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू हो गया। और उन नजूल लैन्ड्स के अन्दर जो कलेक्टर के सीधे इन्तजाम में थीं और खास का इलाका मनुनगर, गंगाखादर, रामपुर कालोनी में भी जमींदारी ऐक्ट लागू हो गया पहली अप्रैल, १९५५ के बाद।

अध्यक्ष महोदय, कुछ रामपुर के जिले के कुछ गांवों में जहां पट्टेदारी थी वहां विधान मंडल से एक रामपुर ठेकेदारी और पट्टेदारी ऐक्ट पास हुआ, लेकिन वह हाईकोर्ट में चला गया। अब सुप्रीमकोर्ट में उन्होंने अपील की है। इसलिये उस इलाके में जहां कि पट्टेदारी है वहां जमींदारी अबालीशन अभी तक नहीं हो सका। इसी तरह का एक अगौरी का इलाका मिर्जापुर में है। वहां का मामला पहले हाईकोर्ट में गया, वहां वापस लिया या हारे, फिर सुप्रीमकोर्ट में गया, वहां वापस लिया या हारे। अब कमिश्नर के यहां उन्होंने मामले को पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मित्रों के यह जहन नशीन कराना चाहता हूं कि डेमोक्रैटिक तरीके से जमींदारी अबालीशन या कोई भी रिवोल्यूशनरी काम करने से कितनी दिक्कतें पेश आती हैं और वह कितना बड़ा लम्बा रास्ता है, लेकिन यहां तो ब्रजभूषण जी मिश्र के अगौरी के इलाके को छोड़ कर और सभी माननीय मित्रों को खुशी होनी चाहिये कि हमारे कुल सूबे में बावजूद डेमाक्रैटिक प्रोसेस के जरिये काम करने के जो व्यवस्था कायम की गयी है वह कम्युनिस्टिक स्पीड से की गयी है। मुझे मालूम है कि चीन में सन् ५० में रिवोल्यूशन हुआ लेकिन सब जगह वहां पर भी उस तरीके से जमींदारी अबालीशन नहीं हुआ। अभी कुछ इलाके पड़े हुये हैं। तो कम्युनिस्टिक तरीके से तलवार के जरिये से भी, वहां वह चीज हरगिज किसी माने में ज्यादा नहीं हुई जो हमने यहां कलम के जरिये से की है। यह ठीक है कि अगौरी का परगना और रामपुर में ठेकेदारी का इलाका है जहां अबालीशन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि शायद इससे झारखंडेराय जी को परेशानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अधिवासियों को हमने सीरदार बनाया उसके कारण रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करना पड़ा उसमें हमारा जो नार्मल स्टाफ था उसने ही काम किया हो यह नहीं है। ३५०० राजय कर्मचारी हमें आरजी तौर पर भरती करने पड़े उनके मुआविजे वगैरह को तैयार करने के लिये १०,१२ किस्म के फार्म्स बने थे --जेड० ए० फार्म्स १०६ से लेकर १११ तक। यह सब कितना बड़ा काम था। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो, मैं जिन खातों में किसानों को सीरदारी राइट्स हासिल होंगे उनकी तादाद बताता हूं। खातों की तादाद ४२ लाख ६७ हजार बैठती है। जिन लोगों को उससे नफा पहुंचेगा उनकी तादाद ५९ लाख ६२ हजार बैठती है और जितने रकबे पर सीरदारी राइट्स हासिल होंगे वह २६ लाख ७८ हजार एकड़ है। कम्पेंसेशन १४,१५ करोड़ के करीब पांच या १० नकद किस्तों में देने का विचार है और इस वर्ष में कुछ रुपया इस गरज के लिये इस बजट में रखा है। यह स्कीम अब लास्ट स्टेजेज में है। कम्पेंसेशन स्टेटमेन्ट्स बनकर तैयार हो रहे हैं और सब लैंड-होल्डर्स को उन पर उज्रदारी करने का मौका दिया जा रहा है। यह बड़ा जबरदस्त काम था। उसके लिये एक अलग से बुकलेट लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर ने अपने राज्य कर्मचारियों को बांटा। जो माननीय मित्र देखना चाहें देख सकते हैं और उसके देखने से मालूम होगा कि एक एक पाई का हिसाब और एक एक बिस्वे का हिसाब है। दोनों फरीकों के लिये पूरा मौका दिया जायगा। उनके लिये कितनी मेहनत पड़ी होगी यह उसके देखने से ही अनुभव होगा। क्योंकि मेरा उससे वास्ता है और उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी ने मुझे दी हुई है, इसलिये मेरा कहना ज्यादा मुनासिब नहीं है। जो देखना चाहें कि कुल काम के लिये कितने इंस्ट्रक्शंस देने पड़े हैं वह देख सकते हैं और वे देखकर अन्दाजा लगायेंगे कि हमारे स्टाफ को कितना जबरदस्त काम करना पड़ा है।

अब अर्बन एरिया जमींदारी अबालीशन बिल सदन के सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह अप्रैल में जहां से मंजूर हो जायेगा और अगले महीने में कुमायूं लैंड रिफार्म्स बिल भी

हम उम्मीद करते हैं कि यहां से पास किया जा सकेगा। बीस-बीस तीस-तीस सालों की अवधि के लिये गरीब आदमियों ने शहरों के अन्दर जो पट्टे लिये हुये थे और मकान अपने बना लिये और कहीं २० या ३० वर्ष के बाद जब वह टर्म्स रिन्यू हुये तब तरह-तरह की शर्त उसमें लगायी जाती है कि तुम कच्चे से पक्के नहीं बना सकते और बहुत सी बातें होती हैं। मुहकमें माल में इस बात पर भी विचार हो रहा है कि किस तरह से इन बिल्डिंग्ज के लीजेज के टर्म्स और कंडीशंस को रिन्यू किया जाय। उसके लिये विचार तो पक्का हो चुका है लेकिन डिसीजन्स अभी नहीं हो सके हैं। मैं उस सिलसिले में तफसील से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इससे यह होगा कि जो लोग रहते हैं उनको राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय, अब जमींदारी अबालीशन कम्पेंसेशन का बड़ा भारी काम था। यह भी परदे के पीछे हो रहा है और उस तरीके से जनता के सामने और लोगों के सामने नहीं आ पाता जिस तरीके से और काम आते हैं। जिस खामोशी के साथ यह काम हो रहा है वह सराहनीय है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस सिलसिले में कुछ आंकड़े बतला दूं। ६६ लाख८२ हजार जो मध्यवर्ती हैं उनके असेसमेंट रोल्स तैयार होने थे, और हर एक के लिये बही २८ फार्म तैयार करने पड़ते हैं तब असेसमेंट बनता है। खैर, तो ६६ लाख ८२ हजार असेसमेंट रोल्स बन चुके हैं जिसमें से ६६ लाख ४७ हजार रोल्स फाइनलाइज किये जा चुके हैं, यानी नोटिस वगैरह देकर। जो आब्जेक्शन्स रिसीव हुये वे केवल .३ या .०३ परसेंट हुये। इससे मालूम होता है कि कितना एफिशेंट काम हुआ। टोटल कम्पेन्सेशन जो बांटा गया वह ६८ करोड़ ८८ लाख रुपये बैठता है। इन्डेंट्स जो बांड्स के लिये भेजे गये हैं जिलों से कि इतने बांड्स भेज दीजिये गवर्नमेंट आफ इंडिया का, पब्लिक डेट आफिस है जो लखनऊ में काम कर रहा है बड़ी मुश्किल से उनकी शर्तें तय हुई, खैर उनके मातहत वह काम करता है, तो ४३ करोड़ ४४ लाख रुपये के बांड्स के इंडेंट्स जिलों के अधिकारियों की ओर से यहां आ चुके हैं। ३३ करोड़ २८ लाख के बांड्स भेज चुके हैं जिसमें से २३ करोड़ ७१ लाख के बांड्स जिलों में मौके पर तकसीम हो चुके हैं। अब पूछ सकते हैं कि यह जो १० करोड़ का अन्तर है, जो कम बटे हैं उसका कारण क्या है ? कई बार मैंने राज्य कर्मचारियों से पूछा और जब कभी दौरे पर गया तो पूछा। तो उसका कारण यह नहीं है कि उनकी लापरवाही है, बल्कि अक्सर लोग लेने के लिये नहीं आते हैं। तो २३ करोड़ ७१ लाख के बांड्स तकसीम हो चुके और जो इंटेरिम कम्पेन्सेशन और ५० रुपये से कम नकद मुवाविजा देना था उस सब की रकम १० करोड़ ३१ लाख बैठती है, यह दी जा चुकी है। इस तरह से जो नकद और बांड्स की शकल में रकम दी जा चुकी है वह सब मिला कर साढ़े ३४ करोड़ से भी ज्यादा बैठती है।

कुछ जिलों के अन्दर पार्शल जेड० ए० एफ० डिपाजिट्स हैं, मसलन बस्ती, देवरिया में। तो उन डिपाजिट्स के सिलसिले में एक स्कीम तैयार हुई है जो हर जिले को भेज दी गयी है और उसके लिये मैंने कहा है कि उसकी नकल माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी जाय। वह स्कीम यह है कि हर आदमी को यह नोटिस दिया जायगा कि या तो वह उसको पूरा कर दे, नहीं तो ऐसे रुपये को वापस कर ले। वह ऐसा नहीं करता है तो लेखपाल जायगा उसके पास और अगर वह तकावी या मालगुजारी में उसका मुजरा देना चाहता है तो वह प्रधान और उपप्रधान के दस्तखत ले लेगा और वहीं गांव में ही वह मुजरा हो जायगा उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। बस दस्तखत हो कर वह फार्म तहसील में चला जायगा। इसी तरह से ५० रुपये से कम की जो रकम थी मुआविजे की जिसके बारे में यहां मेरे मित्रों ने तकरीरें कीं उसमें करप्शन होता है और मैं खुले दिल से तसलीम करता हूं कि उसमें करप्शन था, तो उसके सिलसिले में यह स्कीम बनायी गयी कि वह भी मालगुजारी में या और गवर्नमेंट के जो देय

[श्री चरणसिंह]

हों उसमें मुजरे हो सकता है। और ४ करोड़ ८५ लाख रुपया मुआवजे का ५० रुपये से कम वालों का पड़ता था उसमें तीन करोड़ १५ लाख रुपया मुजरा हो चुका है। गवर्नमेंट का जो छापाखाना है इलाहाबाद में उस पर बहुत काम है उसकी वजह से वक्त पर फार्म नहीं भेज सके नहीं तो यह काम भी मुकम्मिल हो गया होता। अब मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों को यह शिकायत न रहेगी। रिहैबीलिटेशन के अनुदान के सिलसिले में अहकाम जारी हो चुके हैं कि जो दरख्वास्त दे उसके असेसमेंट रोल्स तैयार करें।

अध्यक्ष महोदय, यह जो चकबन्दी की बात है इसके सिलसिले में यह है कि जब किसान स्वयं खेत का मालिक हो गया और उसे बेदखल होने का डर नहीं रहा तो मामूली सेंस का या कामन सेंस का तकाजा यह था कि जमीन इकट्ठा करा लें। अगरचे काम बड़ा मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजा साहब से अर्ज कर रहा था कि चकबन्दी का काम जितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है उतना ही मुश्किल है। यह किसान जो पैशनेटली चैरिश्ड आइडिया का है "मेरा और तेरा"। किसान तो क्या सभी सोचते हैं। जेलखाने से जब तबादला होता है किसी का तब उसे अफसोस होता है कि बैरेक छोड़ देंगे। तब किसान के लिये अवश्य दुख की बात है क्योंकि यह तो उसके बाप दादे के जमाने से चला आता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का प्रोत्साहन पाकर और जनता की गुडसेंस का विश्वास करके एक अधिनियम पास करा लिया और वह २१ जिलों में लागू है।

अध्यक्ष महोदय, यह काम कितना कठिन है। इसको मैं बयान करना नहीं चाहता हूं वरना इसी में पूरा दिन गुजर जायगा। कभी-कभी अध्यक्ष महोदय, मैंने पब्लिक मीटिंग्स में भी कहा है और अब भी मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा काम उठा लिया है यह पार कैसे होगा। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गल्ती तो नहीं हो गई, इतना मुश्किल काम है। लेकिन फिर खयाल आता है कि अगर यह गवर्नमेंट किसानों की तकलीफ को नहीं मिटायेगी तो कौन मिटायेगा। राजा साहब की गवर्नमेंट या और किसी गवर्नमेंट के लिये तो यह नामुमकिन है। इस काम को हमने उठा लिया है और २१ जिलों में यह काम जारी है। रुपया मांगा जा रहा है अगर आपने मंजूर कर दिया तो ५ जिलों में और इसको लागू करने का विचार है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन जिलों का नाम नहीं बतलाता हूं। अगर बतला दूं तो जो जिले रह जायेंगे उनके लिये बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और उन जिलों के माननीय सदस्यों को कुछ खटकेगा। मेरे एक सहयोगी हैं उन्हीं के सामने उनके जिले के लोग कह रहे थे कि हमारे यहां शुरू क्यों नहीं होता है। तो चारों तरफ से इसका मतालबा है। इससे मालूम होता है कि काम कितना जरूरी है और किसान कितना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी के जिले के लोग बहुत चाहते हैं। मेरे पास ही चतुर्भुज जी शर्मा बैठे हुये हैं उनके यहां के लोग चाहते हैं और पोलिटीकल कान्फरेंस का भी दबाव है। यह झांसी और जालौन के बारे में है। लेकिन रुपये की कमी और ट्रेंड परसोनल की कमी की वजह से हम जितनी जल्दी चाहते थे उतनी जल्दी यह काम नहीं हो सकेगा और दस साल कम से कम सारे सूबे में चकबन्दी करने के लिये चाहिये। अगर बहुत ही ऐफीशियेंटली करें तो १५ से १८ महीने एक जिले में चकबन्दी करने में लगेंगे और जो हमने दो तहसीलों में पहले शुरू किया उसमें तो दो साल लगने को आ रहे हैं क्योंकि वहां तजुरबा नहीं था और इसलिये वहां वक्त खराब हुआ, लेकिन १५ महीने इसमें लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कर्त्तव्य पालन करने से चूकूंगा अगर मैं यह न कहूं कि वह नौजवान जो अभी सीधे कालेज से निकल कर देहात में गये हैं, जिनके रहने की जगह नहीं रह जायं किसी तरह से भाड़ा देकर लेकिन पड़ोसी किसान को डर है कि कहीं पक्षपात न कर दें, अपनी घरवाली को ले जायं तो रखें कहां ? खाना कहा पकायें, और उसके बाद उनके लिये कोई ट्रैवलिंग एलाउन्स नहीं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। उनको कालेज से सीधे छुट्टी मिलने के बाद हमने तीन महीने की ट्रेनिंग दी और भेज दिया देहात में। अध्यक्ष महोदय, हजारों नौजवान

इसमें काम कर रहे हैं और जो मैंने मालगुजारी के सिलसिले में कहा था वही यहां भी कहता हूं कि मैं यह नहीं कह सकता कि कोई गल्ती नहीं हुई, मैं यह नहीं कह सकता कि कोई लालच में नहीं फंसता यह सब बात ठीक है। लेकिन जो एक जनरल पिक्चर है, ओवरआल पिक्चर है, अध्यक्ष महोदय, वह यह कि सब कहते हैं और इसे देखकर हर्ष होता है कि हजारों नौजवानों ने इस ईमानदारी से काम किया है कि जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। यहां तक कि वह लोग, मैं नाम नहीं बतलाऊंगा और यह भी कह दूं कि माननीय गेंदा सिंह जी की पार्टी की बाबत भी नहीं कह रहा हूं, वह तो सपोर्ट करते हैं, उनकी पारटी भी सपोर्ट करती है लेकिन एक और पारटी है, जो इसकी बहुत मुखालिफत करती है और क्या क्या दलीलें देते हैं चकबन्दी के सिलसिले में कि देखिये। वह कहते हैं कि साहब, जब जमीन इकट्ठी हो जायगी तो पैदावार बढ़ जायगी और गल्ले का भाव गिर जायगा। कहिये साहब, न यह दलील उठाई जाय न धरी जाय। तो अखबारों में और दूसरी सब तरह से इस बात की कोशिश की गई। पड़ोस का जिला उन्नाव है उसमें शुरू में बहुत विरोध हुआ। मेरे कुछ माननीय साथी हैं उनमें भी कुछ गलतफहमी हो गई और रात ही सेटिलमेंट आफिसर से बात हुई तो पता चला कि ५४ गांवों के प्रपोजल्स तैयार हो चुके हैं, कुछ का सरवे हो चुका है और एतराजात अब तक ११३ आये, २७ या ३७ गांवों में, उनको मंजूर करने के बाद अपील कुल ३ या १७ हुई। यह उस इलाके का हाल है जहां कि बहुत विरोध हुआ। कदाचित् सबसे ज्यादा विरोध हुआ। लेकिन अब शायद ही उन्नाव जिले में कोई ऐसा गांव हो जहां का हर किसान चकबन्दी से खुश न हो और अपने यहां चक बन्दी न चाहता हो। तो जहां इतना विरोध था उसका मुकाबिला करके उन नौजवानों ने जिनको काम प्रोपैगेंडा का नहीं था, इतनी कामयाबी हासिल की। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो चारों तरफ यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की कौम है, यह बेईमानों की कौम है, यह गलत है। यह कौम ईमानदारों की है। अगर हमारे चरित्र की लूट हुई तो वह अंग्रेजों के जमाने में हुई, जब हम गुलाम थे, वह उस गुलामी के जमाने में हुई, लेकिन मूलतः हमारी कौम ईमानदार है। मैं कहने यह जा रहा था कि जो मुखालिफत करते थे वह मेरे घर पर आये और उन्होंने कहा कि हम मुबारकबाद देते हैं इस गवर्नमेंट को कि चकबन्दी का काम इतनी ईमानदारी से चला। मैंने कहा कि आप इसको अखबार में दे दीजिये। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक मीटिंग्स में कहा है इस बात को कि किस ईमानदारी से काम हुआ है। मैंने कहा कि अखबारों में मजमून भेजिये, लेकिन अखबारों में उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन जो उनका मतलब हो विरोध से, वह अब रहा नहीं।

श्री अध्यक्ष––अभी आप और समय लेंगे। अगर ५ मिनट में आप समाप्त कर दें तो मैं अभी और बैठकर आपका भाषण समाप्त करा दूं।

श्री चरणसिंह––श्रीमन्, अगर १० मिनट मिल जायं तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष––तो आप अपना भाषण २। बजे जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरणसिंह––उपाध्यक्ष महोदय, मैं चकबन्दी के सिलसिले में कुछ अर्ज कर रहा था। २१ जिलों में चकबन्दी का काम चल रहा है उस काम में प्रगति कितनी हुई है, कितने खेत हैं, कितनी गलतियां हैं, कितने दर्ज हैं और कितने कराने बाकी हैं, वगैरा, वगैरा। इन सब की एक रिपोर्ट बहुत तफसील के साथ यहां माननीय मित्रों की मेज पर रख दी गयी है। मैं चाहता हूं कि वे इसे पढ़ने की मेहरबानी करें। मस्लन डुमरियागंज एक तहसील है, उसके विवरण से

[श्री चरण सिंह]

जाहिर होगा कि उसमें पौने चौबीस लाख खाते हैं। अब इन पौने चौबीस लाख खातों के कागजात और हकूक का चेक करना और किसानों को खुश रखना कितना दुरूह काम है, कितना दुश्वार काम है इसका अन्दाजा हो जायगा। गलतियां उसमें मिली हैं, साढ़े पांच लाख। वह गलती तीनों तरह की हैं, खसरे की, शिजने की और खतौनी की। एक-एक खाते के मुताल्लिक तीनों तरह की गलतियां हो सकती हैं। अब इन चौबीस लाख खातों की बाबत ७१ लाख गलतियां हो सकती हैं। इन ७१ लाख में से केवल साढ़े पांच लाख हैं यानी एक प्रतिशत हुई। सबसे ज्यादा गलती जो मिली है वह फैजाबाद में मिली हैं। ६ लाख ९४ हजार खाते और ७ लाख ४४ हजार गलतियां। यह जो गलतियां इतनी बताई जाती हैं, वे इतनी निकलेंगी नहीं। मान लीजिये कहीं कब्जा मेरा है और नाम भी मेरा है अब शर्मा जी बीच में अटक गये और कहा कि कब्जा मेरा है। यह दुश्वारी हो गयी न। बाद में तहकीकात की गयी तो पाया गया कि शर्मा जी का कहना गलत है। मेरा ही खेत है और मेरा ही कब्जा है। इस तरह फैजाबाद में बिला वजह कुछ झंझट उठा दिये मालूम पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे मैं केवल आपको यह बता रहा था कि यह काम कितना भारी है।

तजुरबे से यह पाया गया कि कानून में अभी और संशोधन की आवश्यकता है। मसलन कुछ लोग मकान बनाते हैं, दो दो रद्दे ईंट के रख दिये बस वह मकान हो गया, एनक्लोजर हो गया। माननीय श्री चन्द जी और बलवन्त सिंह जी बातें कर रहे हैं, उन्हीं के जिले के काश्तकार बहुत होशियार हो गये हैं और वहां भी ऐसा हो रहा है। इसको रोकने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं और एक बिल भी लाये हैं। वह क्या करते हैं कि तमाम कागजात जब चकबन्दी के तैयार होते हैं तो उसी वक्त वह बैनामा कर देते हैं और उसका कोई जिक्र कागजात में नहीं आ पाता और सब प्रोपोजल्स बदलने पड़ते हैं। इसलिये इस दिक्कत को दूर करने के लिये एक बिल पेश किया गया है जो कौंसिल से पास हो गया है और यहां भी हाउस के सामने आ चुका है और आगे उसपर विचार होगा। उसमें हम रख रहे हैं कि इस तरह का कोई बैनामा या २ ईंट रख कर मकान बनाने के बाद बैनामा किया जायगा तो वह सेटिलमेंट आफिसर आफ कनसालिडेशन की रजामंदी के बिना न किया जाय। वह आम तौर पर तो इजाजत दे ही देगा लेकिन अगर वह देखता है कि बिलकुल ऐन वक्त पर जब चकबन्दी के कागजात तैयार हैं और उस वक्त ऐसा बैनामा किया जाता है तो वह इजाजत ही न देगा या वह समझता है कि मकान की जरूरत नहीं है और केवल खेत को कब्जे में रखने के लिये उसने दो दो ईंटें रख कर घेर दिया है तो वह उस हालत में इजाजत नहीं देगा। तो इस तरह का एक बिल हम लाये हैं। आपकी इजाजत से मुझे केवल थोड़ा सा ही समय और लेना है। इस सिलसिले में अब मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है लेकिन राज कर्मचारियों के लिये और शासन तंत्र के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारी ईमानदार और काबिल हों, गैर-ईमानदारी के खिलाफ और नाकाबलियत के खिलाफ एक तरह से जिसको जिहाद कहते हैं वह हमने बोला हुआ है यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि उनके खिलाफ तीन चार साल से बराबर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इस साल ८ तहसीलदारों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाहियां की गई और १६ तहसीलदारों तथा २ नायब तहसीलदारों के खिलाफ उन की ईमानदारी के शक के संबंध में और उनकी अयोग्यता की शिकायतों के संबंध में जांच की जा रही है। एक तहसीलदार पर गबन के मामले में मुकदमा चल रहा है, एक तहसीलदार को अपनी सब्सटेंटिव पोस्ट पर रिवर्ट कर दिया गया है और एक का वेतन कम कर दिया गया है। एक तहसीलदार और २ नायब तहसीलदारों की पेंशनें कम कर दी गई हैं वह रिटायर हो चुके थे उन का काम संतोषजनक नहीं रहा था और इसलिये हमने आगे आने वालों लोगों के लिये भी एक सबक की चीज की है। एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो को अपने आप रिटायर होने को कहा गया और कलेक्टरी की कचहरियों के ३५ दूसरे कर्मचारियों का कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया। उपनिवेशन विभाग के ३ कर्मचारियों की सर्विस समाप्त कर दी गई और कृषि आयकर तथा

सरकारी आस्थानों की स्थापनाओं के ५ कर्मचारियों को भी सजा दी गई। १,०६३ लेखपालों को बरखास्त कर दिया गया और २,०२६ को पेंशन दी गई। इन सब से यह साबित होता है कि किसी की गलती पाई जाती है तो उस को सजा देने में कोई कोताही नहीं की जाती और गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है।

अभी जो गांव पंचायतों के इलेक्शन हुये हैं उसके बाद गांव समाज और गांव सभा एक ही संस्था हो गयी है यानी गांव पंचायत और लैंड मैनेजमेंट एक संस्था हो गये। अब उन दोनों में कोई अन्तर नहीं रहा। अब जो नई गांव पंचायतें हैं उन की तादाद ३४ हजार से ६७ हजार हो गई वही अब लैंड मैनेजमेंट कमेटी का भी काम करेंगी। अब माल विभाग उनको ट्रेनिंग देने की बात पर विचार कर रहा है और जल्द ही आदेश इस संबंध में जारी होने वाले हैं। अब वह हमारे रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन की प्राइमरी यूनिट हो गई हैं और जो अधिकार हमारे प्रदेश में उनको हैं वह देश भर में लैंड मैनेजमेंट के संबंध में और कहीं नहीं हैं गैरमजरुआ जमीन का और हर तरह का इन्तजाम उनके हाथ में दिया गया है। जिसमें कि मेलों का लगना, तहबाजारी, दरख्त लगाना, भट्ठे लगवाना, नदियों, रेती और बालू का इन्तजाम, तालाब और पोखरों का इन्तजाम मालगुजारी वसूली का काम वगैरह-वगैरह यह सब है। जमीन के तकसीम का, लावारिस किसान मर जाय तो जमीन की मालिक बन जाय, खिलाफ कानून पट्टा हो तो उसे मंसूख करने का अख्तियार गांव पंचायत को है। ३० एकड़ से ज्यादा कोई बैनामा कराना चाहे तो मंसूख करने का अधिकार उसको है। साढ़े १२ एकड़ जमीन अगर बगैर जुती पड़ी है तो ६ महीना का नोटिस देकर वह अपने अधिकार में ले सकती है और फिर तकसीम कर सकती है। कंसोलिडेशन के अख्तियार हैं। मकानों के लिये जमीन देना वगैरह वगैरह बहुत अख्तियारात हैं और इन सब अख्तियारात को वे समझें, अपने फर्ज को समझें तो इसके लिये इन पंचायतों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। गांव समाज मैनुअल के दो एडीशन निकल चुके थे। अभी मैंने और बढ़ाया है। गांव वालों के लिये जमीन संबंधी क्लाजेज और बढ़ाये हैं। लेखपालों के क्या अधिकार हैं, कम हो गये हैं बनिस्बत पटवारियों के, वह थोड़ा सा उसमें दिया है। सारा नहीं दे सकते थे वरना मैनुअल बहुत बड़ा हो जाता। वह प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद गया हुआ है। वह आ जायगा तो आप सबको भिजवा दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि की क्रांति बस इस कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स को छोड़कर अभी हमारे सूबे के देहाती इलाकों में १ लाख गांव में लगभग पूर्ण हो चुकी है। आज हमारे सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई जमींदारी नहीं है, कोई लम्बरदार नहीं है, कोई शिकमी किसी का नहीं है, कोई रियाया नहीं है किसी का। कहने को मैं इतना कह गया लेकिन जो मैं कहता हूं उसमें एक तथ्य है, सच्चाई है और उसके क्या नतायज निकलते हैं और कितना जबरदस्त और सोशल एंड एकनामिक रिवोल्यूशन वह है, जितना उस पर हम विचार करें और जितना समय गुजरता जायगा उतने ही उसके रहस्य खुलते जायेंगे।

दुनिया का एक कायदा है। जहां भी इस तरह से नियमों और सिद्धांतों को बदला गया है जिन पर समाज खड़ा था वह तलवार से बदला गया है चाहे फ्रांस, चाहे रूस, चाहे चीन को लीजिये। लिहाजा हम गांव वालों की बात क्या कहें, हम शहर वालों की बात क्या कहें, मामूली जो सर्वसाधरण हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ते हैं उनकी बात मैं कहता हूं। हमारे सारे कार्यकर्ता, जनसेवक हैं उनके जहन में यह बात पूरे तरीके से नहीं बैठ पाई है कि कितनी जबरदस्त क्रांति उनके देहातों में हुई है। चूंकि तलवार से अभी तक हुई, तलवार से हो तो जल्दी खबर होती है और अगर कलम से हो तो वह खबर धीरे-धीरे

[श्री चरणसिंह]

फैलती है। जितना प्रचार किया जाय उतना ही बेनिफिट लोगों को ज्यादा होता है। आज गांव में जितने व्यक्ति हैं हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई दूसरे का आश्रित नहीं। पूर्णतया स्वतंत्र दो ही तरह के किसान हैं---किसान और मजदूर। रियाया कोई नहीं है। वह मजदूर है मर्जी का मालिक, वक्त का मालिक, किसी बंधन में नहीं, झोपड़ी का मालिक है, गैर मजरुआ जमीन में मवेशी चरें तो बराबर का हिस्सेदार। अब वह बारगेन कर सकता है कि नहीं आपके खेत में काम नहीं करूंगा, चरण सिंह के यहां करूंगा। किसी का दबाव नहीं। यह रिवोल्यूशन इसमें हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, वह १०,१२ साल पहले वाला वायुमंडल खत्म हुआ और जिसको कहते हैं डेट्स वे भी क्लीयर हो गये। हर प्रकार से विकास हो रहा है। अभी तक फ्रीडम नहीं थी। अब वह सफाई हो गयी है। मुल्क का विकास और ढंग से और तरीकों से बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन कोई विकास नहीं हो सकता था जबतक यह सफाई न हो जाती, जबतक यह क्लियर न हो जाता।

इन शब्दों के साथ मैंने जो अनुदान पेश किये हैं, मैं फिर दरख्वास्त करता हूं कि सदन उनको स्वीकार करे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अनुसार संख्या १ और २ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

सबसे आखिरी बात जो बहुत जोर के साथ माल मंत्री जी ने कही, उसे सुनने के बाद वे मेरी गुस्ताखी माफ करें मुझे बड़ी दया उनके उपर आयी जब उन्होंने यह कहा कि चकबन्दी हो जाने के बाद अब कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम खेती संबंधी नहीं रह गया। मैं कहता हूं कि केवल मेरी राय नहीं, संसार के जितने समाज शास्त्री, अर्थ शास्त्री हैं वे इस बात को कहते हैं कि एशिया में अब तक कृषि संबंधी नीति में, जिस समय तक भूमि का बटवारा जो प्रथम सीढ़ी है, वह न हो जाय तब तक वह क्रांति सफल हो ही नहीं सकती। चकबन्दी में किसको जमीन मिलेगी। उस आदमी को जमीन मिलेगी जिसके पास पहले से जमीन थी। चकबन्दी में या किसी भी कानून में जब तक ऐसी बात है कि जिस आदमी के पास भूमि नहीं, उसे भी भूमि मिल जाय, और यह बात मैं समझता हूं कि हमारे माल मंत्री जी कुछ जबरदस्ती पकड़े हुये हैं और कोई नहीं पकड़े हुये हैं, मैं समझता हूं कि और लोगों का मत उस संबंध में दूसरा है। खासतौर से मैं उनको प्लानिंग कमीशन, उन्हीं के संगठन का उदाहरण देना चाहता हूं। वह भी कहता है कि सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये समूचे देश में। तो उत्तर प्रदेश में क्यों न हो? एक ही जवाब दिया जाता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भूमि कम है, इसलिये उत्तर प्रदेश में जमीन का बटवारा नहीं होगा? सारे संसार में जब घर में कमी होती है तो बटवारा होता है। वे कहते हैं कि कमी है इसलिये बटवारा नहीं होगा; अगर जमीन पूरी होती तो बटवारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि कमी है इसलिये बटवारे की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस बात पर फिर वे विचार करें और हमें फिर दोबारा यह कहने की आवश्यकता न पड़े। मैं समझता हूं कि समय की पुकार होगी और यह ऐतिहासिक चपेटे भी लगते हैं, जिसको स्वीकार करना पड़ेगा और खास तौर से यह जो हमारे ८३ हरिजन बन्धु उस तरफ बैठे हुये हैं, यह हमारा साथ नहीं देते, नहीं तो हम भूमि बटवारे के मामले में जीत गये होते। बाहर जा कर हरिजनों की बड़ी वकालत करते हैं। लेकिन यहां आकर ये कहते हैं कि भूमि का बटवारा नहीं हो सकता है। वे हमारे माल मंत्री के साथ हो जाते हैं।

यह विभाग जो है यह विभाग बहुत महत्व का है। मैं भी मानता हूं। हिन्दुस्तान में मुहकमा माल उत्तर प्रदेश जितना बलवान है, उत्तर प्रदेश में जितना उसका जाल फैला हुआ है, लेखपाल से लेकर बोर्ड माल तक, वैसा दूसरे सूबों में इस तरह का संगठन नहीं है। अब उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। उसकी जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वह मैं समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि कागज पत्र दुरुस्त करना। जितनी बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी है उतनी ही गलती यह विभाग कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल के तौर पर एक ही बात कहता हूं। उसी के कागज पत्र का नतीजा यह है कि आज वित्त मंत्री जी और हमारा जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है इस सूबे का वह कहता है कि १९४८–४९ में २४९ रुपये की आमदनी थी और २७७ रुपये हो गयी है। सारे प्रदेश में अब अनाज की कमी नहीं है। सारे प्रदेश में इतना अनाज पैदा होने लगा है कि भरपूर हो गया है, बल्कि दूसरे सूबों को देने लायक हो गया है।

अब इस विरोधाभास में मरे जा रहे हैं हम। कागज कहते हैं कि अनाज की कमी नहीं देश में, निश्चिन्त हो गये। हमारी ऐसी अवस्था है कि देश के कोने-कोने में कहीं पहाड़ में, कहीं पूर्व में ऐसे क्षेत्र बने हुये हैं, टुकड़े बने हुये हैं जहां आज भी भूख से मृत्यु हो रही है। अगर मृत्यु होती है और उस वक्त कागजों में लिखा हुआ हो कि इतना अनाज पैदा होता है तो इससे बढ़कर उपहास क्या हो सकता है? यह किसका किया हुआ है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं करता, रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं। और मंत्री जी ठंडे दिल से विचार करेंगे कि ऐसी गलती करके न सिर्फ अपना ही उपहास करा रहा है बल्कि समूचे देश का। हमारी ऐसी शक्ल दिखा रहा है जिससे समूचा देश यह समझता है कि उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में नदियों के बांधने की जरूरत नहीं। ऐग्रीकल्चरल प्लानिंग की जरूरत नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, बल्कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग की यह किस लिये? इसलिये कि हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सब्जबाग दिखाया और कहा कि इस देश में ऐसी हालत पैदा हो गई कि अनाज की दूसरी जगह खपत करने की जरूरत है। सन् १९१८–१९ के बाद अनाज की सस्ती नहीं आयी थी क्या? अनाज की सस्ती इसलिये नहीं आयी कि अनाज की उपज बढ़ गयी, इसलिये आयी कि डिप्रेशन आया और उस डिप्रेशन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि हम भरपूर हैं। अब इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं डरता हूं कि अगर यही हिसाब किताब रहा तो आगे हमारा क्या होगा, हम तो भुगत रहे हैं। छोटी सी बात कहना चाहता हूं मैंने एक मर्तबा और भी जिक्र किया था शर्मा जी के सामने। मैंने जब यह कागज पत्र देखें तो मैंने गांव गांव में घूमकर देखने की कोशिश की। एक ही लेखपाल ऐसा निकला, ११ गांव हैं और ८ गांव की पड़ताल नहीं की १३६२ फसली की.....

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)––आपने नाम नहीं बताया।

श्री गेंदासिंह––अगर पूछे तो मैं पटवारी का नाम बता दूं। वह पडरौना तहसील में एक ही नम्बर का हल्का है। अब मैं आपसे अर्ज करूं जिस तहसील से मैं आता हूं, दूसरी जगह की हालत को तो मैं देख नहीं पाता लेकिन हमारी तहसील, जहां से मैं, श्री जगन्नाथमल्ल, श्री राम सुभग वर्मा और राजवंशी जी आते हैं, चारों आदमी कह रहे हैं, और सभी तहसील की जनता कह रही है और सारे लोग देखने वाले कह रहे हैं कि वर्षा से ऐसी फसल चौपट हुई कि रुपये में १२ आना तक चौपट हो गई खरीफ की। तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो कहते हैं कि नहीं, सब फसल सोलहो आने हुई, अब इसका फैसला ही होने वाला नहीं। तहसीलदार ने लिख दिया, डिप्टी ने लिख दिया, कलेक्टर ने लिख दिया। अब मैं नहीं जानता कि उसका क्या फैसला होगा, भगवान ही फैसला करेंगे। एक दो गांवों का मामला नहीं। सैंकड़ों गावों का मामला है। तो उस कागज से कैसे काम चलेगा, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। नहीं तो हमारा क्या होगा इस बात को सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून की बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देहात के गंवार लोग जो कहे जाते हैं उनसे इसका मतलब ठहरा। लेकिन जितना ज्यादा पेचीदा कानून

[श्री गेंदासिंह]

जमीन का हमारे सूबे में है, उतना कोई दूसरा नहीं है। एक कानून के पढ़ने के लिये, उसके मतलब लगाने के लिये मालूम नहीं कितने दर्जन कानूनों की जरूरत पड़ती है वह भी पढ़ने वाला आदमी बहुत ही अनुभवशील हो तभी समझ सकता है। हमको डर लगता है कि अगर मान लीजिये अगली मर्तबा चौधरी साहब न आये उस जगह पर तो उस कानून को कौन समझायेगा? तो यह डर लगता है। इसलिये यह कानून सादा बने और उसमें जमीन का कानून ५,७ पन्ने का बनना चाहिये, जिससे हर काश्तकार उसको समझ ले और समझ करके उसका फायदा उठावे, लेकिन काश्तकारों की समझ के लिये नहीं है। व्यक्तिगत थोड़ा सा इसमें हो जायगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि वकील होने के नाते उनको कुछ मुहब्बत है उस तबके से क्या, कि जब तक काश्तकार वकील के पास न जाय तब तक उसको न समझे। मैं मजबूर हूं ऐसा कहने को, क्योंकि बगैर वकीलों के पास गये मैं नहीं समझता, साधारण किसान क्या समझेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दो चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना मेरे लिये जरूरी है। एक तो जमीन की मालगुजारी की बात है। जमीन की मालगुजारी की बात के बारे में मैं और दूसरी किसी चीज की चर्चा नहीं करता, लेकिन कराची कांग्रेस की चर्चा करता हूं और जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करता हूं। जमींदारी एबालीशन कमेटी जो बैठी थी तो उसने रिकमेंड किया था कि कुछ छोटी हैसियत के काश्तकार जो हैं उनकी मालगुजारी में माफी दी जायगी। आज हमारे सूबे में छोटी हैसियत के काश्तकार बहुत हैं। उनकी मालगुजारी में माफी एक रत्ती भर भी नहीं हुई और जो मालगुजारी पहले ७ करोड़ के इर्द गिर्द थी वह करीब २३ करोड़ के पहुंची है और इस २३ करोड़ को पाने के बाद भी अगर सबसे निर्धन वर्ग जो है उसकी कुछ मदद न हो तो नामुनासिब बात है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिये, मेरे कहने पर वह विचार न करें लेकिन अपने वादों पर तो उसे विचार करना ही चाहिये। आखिर जमींदारी एबालीशन कमेटी में तो चौधरी साहब भी थे और पंत जी भी थे और एक मत से वह रिपोर्ट है, उसमें दो रायें नहीं हैं। उस वक्त अगर कीमत का खयाल किया गया था तो अब तो कीमत काफी गिर गई है। इसलिये अब तो इस पर अवश्य विचार करना चाहिये और काश्तकार का बोझ हटाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जरा तहसीलों की हालत के बारे में एक मिनट अर्ज कर दूं। चौधरी साहब ने बड़ी तारीफ की। मैं भी उसमें हिस्सा लेना चाहता हूं कि मैं भी तारीफ करूं उनकी वहां पर जो ईमानदार अहलकार हैं। लेकिन ईमानदार अहलकारों की तारीफ तो करूं मगर ज्यादा तादाद वहां जो है वह ईमानदारों की नहीं है। अधिक तादाद जो है वह कहते जरूर हैं माल मंत्री जी जाकर के कि लड़के हैं, यह अभी नये-नये आये हैं, यह भला क्या जानें यह सब और जब वह सुनते हैं कि चौधरी साहब लड़के कह रहे हैं तो वह समझते हैं कि अब तो हमारे ऊपर बड़ा वरदान इनका है। फिर इसके बाद मैं यह भी कहता हूं, पूछता हूं आज, कि कभी-कभी जब वह जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, तो सबसे ज्यादा गांवों के लोग मिनिस्टरों में चौधरी साहब को सुनने के लिये आते हैं, जितना इनको सुनने के लिये आते हैं उतना किसी दूसरे मिनिस्टर को सुनने के लिये नहीं आते इसलिये कि उनसे जीवन का संबंध है, चकबन्दी है, मालगुजारी है, ऐसी चीजें हैं जिनका जीवन से संबंध है। तो जब वह वहां जाते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह यह भी पूछें वहां कि भाई यहां इन्तखाब का क्या भाव है? बोलो भाई, क्या रेट है इन्तखाब का? मैं जब उनको बताता हूं कि कंट्रोल रेट है आठ आना, चार आना, तो वे आश्चर्य करते हैं कि ५ रुपये से कम में तो वह हमें देते ही नहीं हैं। मैंने पिछले मर्तबा भी कहा था कि १ रुपये पर भी इन्तखाब मिल जाय तो मैं सफल समझूं माननीय शर्मा जी को और माननीय चौधरी साहब को।

श्री चरणसिंह—कहीं किसी किसान को यह भी बतलाया है आपने कि अगर लेखपाल कंट्रोल रेट से ज्यादा मांगें तो गांव के सभापति के पास चले जाओ और उसे अख्तियार है। कहीं प्रचार भी करते हैं आप इसका?

श्री गेंदासिंह––यह बिलकुल सही है। यह "तब और अब" जो लिखा है उन्होंने उसमें मैंने पढ़ा है। लेकिन क्या बताऊं, सभापति तो मैं हुआ हूं अब। तो मैं अपने लेखपाल को जरा देखूंगा। लेकिन अब चौधरी साहब सभापति हों, या मैं सभापति होऊं, तो ऐसे सभापति कितने होंगे ? और मैं तो सभापति हुआ तो मेरा लेखपाल जो है उसने मेरे गांव का नक्शा सुर्खी से घेर दिया। जिस गांव को छूट के नक्शे में नहीं रखा था उसको उसने क्या किया कि १६ आने फसल बरबाद दिखला दिया खरीफ की। १६ आने खरीफ की मालगुजारी माफ। पहले उसने १६ आने ठीक लिखा था फसल को। तो मुश्किल यह है कि हम क्या करें ? यह बात जरूर है कि "तब और अब" में यह बात लिखी हुई है कि सभापति कर सकता है। लेकिन अब क्या कहा जाय, मजबूरी है हमारे चरित्र में, हमारी सारी चीजों में इतनी कमजोरी है कि लेखपाल जो है वह रूल करता है। इतना जरूर मैं पूछता हूं चौधरी साहब से कि जब वे खड़े हों और हजारों आदमी जमा हों तो उस वक्त जैसे मैं पूछता हूं आप उनसे पूछ लिया करें तो हर्ज नहीं होगा कि बोलो भाई इंतिखाब का भाव आजकल क्या है और उस वक्त अगर किसान बतावें तो दो चार लेखपालों, नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों की खबर ली जाय तो सुधार हो।

दस गुना की वापसी, सुआविजा के लेने और तकावी के लेने में, तहसीलों में बगैर कुछ दिये बहुत कम लोगों को ये चीजें मिलती हैं। बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है और चौधरी साहब कहेंगे कि आंख मूद कर कह देते हो लेकिन मैं खुद गया हूं तहसीलों में और वहां मैंने पता लगाया है और खाली पडरौना तहसील में नहीं।

श्री चरणसिंह––यह पुरानी बात होगी।

श्री गेंदासिंह––जी नहीं, अभी नयी बात है। अभी मैं पीलीभीत गया था और सैकड़ों काश्तकारों ने मुझे परसों बताया, मुरादाबाद गया था, वहां भी यही हाल है। मैं समझता था कि पडरौना में ही यह बीमारी है दूसरी जगह ऐसी बीमारी नहीं है लेकिन वह बात ठीक नहीं थी। तो सुआविजा लेने और तकावी लेने जहां कहीं रुपया लेने वाली बात है उसमें कुछ सोचा जाय, हम यह नहीं कहते कि हम अगर वहां पर होते तो सोलहों आना इस काम को बन्द कर देते, लेकिन आखिर लेखपाल, पटवारी, कानूनगो आदि सब उसमें घुसे हुये हैं नीचे से ऊपर तक, तो उस मामले को ठीक करने की कोशिश करें। मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं मालूम होता, जिसे मैं बता दूं और उसे ठीक कर दिया जाय, लेकिन चौधरी साहब कुछ करें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक सुधार हो सकता है। दस गुना वापसी के केसेज जो मिले हैं उनमें ५ लाख ५६ हजार आदमियों के पास रुपया पड़ा हुआ है जो सस्पेंड है। उस बेचारे के लिये कोई छूट नहीं है। जब वापसी लेने जाता है तो मैं बता देना चाहता हूं और मैं सबूत देने को तैयार हूं कि मेरे जाने के बाद भी दस-दस मरतबे काश्तकार को जाना पड़ता है बावजूद इसके कि लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के आर्डर्स गये हुये हैं कि दो मरतबे से ज्यादा काश्तकार को नहीं जाना चाहिये, लेकिन दस-दस मरतबे का मैं सबूत दे सकता हूं कि जाना पड़ता है।

प्राकृतिक आपदाओं के सिलसिले में मुझे आज इस बात की शिकायत है कि प्राकृतिक आपदाओं में आग लगने की घटनाओं के कागज नहीं बनते। आग लगने की घटनाओं पर थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिये कि उन घटनाओं को आंख से ओझल न किया जाय। पिछले वर्ष हमारे इलाके की बात है कि दो घंटे तक एक तूफान आया पहली या दूसरी मई को और हजारों दरख्त गिर गये, हजारों घर गिरे और मैं सर पटकता हुआ रहा, मेरे जैसा असेम्बली का मेम्बर और मुंह रखता हुआ आदमी सर पटकता हुआ रह गया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई और मैं कहता

[श्री गेंदासिंह]

हूं कि वही बात आज मैं इस रिपोर्ट में पाता हूं। इसमें यह लिखा गया है कि जुलाई में पहले पहल पानी बरसा। मैं माननीय मंत्री जी की याद ताजा करना चाहता हूं कि सबसे पहला पानी गोरखपुर और देवरिया में जून में बरसा और शायद १९ इंच पानी बरस गया। इतना पानी बरसा कि महाराजगंज और पडरौना तहसीलें तबाह हो गईं, उस वक्त जब जून के आखिर में पानी बरसा। इस में जानबूझ कर उसको छोड़ दिया गया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जून का लिखा गया है।

श्री गेंदासिंह—रिपोर्ट में बाढ़ के लिये लिखा गया है। देवरिया में छोटी गंडक की बाढ़ का जिक्र है, लेकिन जो पानी बरसा उसके लिये नहीं लिखा गया है। इत्तिफाक से गंडक ऐसी नदी है जिसका नाम लिख दिया गया। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में जो नाप जोख की चीज है वह तो आनी ही चाहिये। मैं केवल देवरिया की ही बात नहीं कहता हूं। इस तरीके के रेवेन्यू आफिसर्स हैं जो इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं को ढांकने की कोशिश करते हैं और जब ढांकने की कोशिश करते हैं तब पैदावार भी अधिक लिखने की जरूरत पड़ेगी और पैदावार अधिक हो गई।

श्री चरणसिंह—कहीं सारी बात ऐसी ही तो नहीं है जैसी जून और जुलाई वाली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह इसमें (एक किताब दिखाते हुए) लिखा तो है।

श्री गेंदासिंह—अगर मुझे मालूम हो जायगा तो मैं माफी मांग लूंगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं पढ़ दूं ?

श्री गेंदासिंह—मैं पढ़ लेता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि सारे सूबे में चकबन्दी हो जाय। लेकिन चकबन्दी एक नयी चीज है और जैसा कि माल मन्त्री जी सोचते हैं, वह रेवोल्यूशन का आखिरी फेज है। इसमें अगर लोगों को आपत्ति हो तो उनको समझाना चाहिए, अगर कहीं शिकायतें हों तो उनको दूर करना चाहिए। सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर से मेरे पास शिकायतें आयी हैं। सुल्तानपुर में चार लाख गलतियां निकलीं ३२१ गांवों में और इस वक्त ८ हजार से कुछ अधिक गांवों में चकबन्दी हो रही है। तो क्या हम समझें कि शिकायतों पर पर्दा डाला जा रहा है ? मैं एक बात चकबन्दी के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को जाकर बहुत गौर से देखना और सुनना चाहिए और सुन कर अफसरों की रिपोर्ट पर नहीं, हम अफसरों को बेईमान नहीं समझते, लेकिन जाकर देख लें और अगर शिकायतें होती हैं इस हाउस में भी तो आकर कहें कि शिकायत है और अगर नहीं शिकायत है तो वैसा हाउस में कहें। हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उनको हम डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन के पास भेज देते हैं, लेकिन उसका उत्तर तक नहीं मिलता कि वह सही है या गलत। उन्नाव की बात चौधरी साहब ने कही। वहाँ भी लोगों ने मुझे बताया। तो मैं समझता हूं कि इसको देखना चाहिए।

श्री चरणसिंह—मैं गवर्नमेंट की तरफ से आफर करता हूं कि आप उन्नाव जायं और सारी सहूलियतें आपको मिलेंगी और कोई परेशानी नहीं होगी और अगर आप वहां से आने के बाद यह मशविरा दें कि कोई बेईमानी हुई है तो मैं मन्सूख कर दूंगा सारी चकबन्दी को।

श्री गेंदासिंह—मैंने जाने की सोची है और जाऊंगा और अब तो राजस्व मन्त्री जी ने भी कहा है और जाने के बाद जरूर सही बात कहूंगा। सही बात कहने में मुझे कभी संकोच नहीं होगा। मैंने तो बैठकर धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया है। धन्यवाद देने में मैं कन्जूस नहीं हूं। मैं उनके लिए फैयाज हूं जो धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं एक बात कृषि आय-कर के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। जैसे-जैसे कृषि आय-कर में हमारी आमदनी घटती जाती है वैसे-वैसे खर्च बढ़ता जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आयी। कृषि आय-कर ५५–५६ में २,३६,१०० रुपये के खर्चा हुआ और इस वर्ष २,६३,५०० रुपये की मांग की गयी है। लेकिन इसकी आमदनी १३५९ फसली से इधर धीरे-धीरे घटने लगी और इतनी घटी कि जो आमदनी पहले एक करोड़ से ऊपर थी वह १३६२ फसली में घट कर केवल २६ लाख कुछ हजार रह गयी। तो हमारी समझ में नहीं आता कि यह २,६३,५०० रुपये का खर्च क्यों मांगा जा रहा है।

श्री चरणसिंह—वह रियलाइज्ड है।

श्री गेंदासिंह—वह असेस्ड है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लिखा है "१३६२ फसली में निर्धारित धनराशि २६,२०,५४१ रुपये और वसूल की हुई धनराशि ३,१५,२१८ रुपये। और दूसरे वर्षों को भी ले लें। १३६१ में ६१,६२,८७६ है, १३५९ में १,२८,७५,८६० है और १३६२ में २६,२०,५४१ है। इसमें आप देखें कि दिन पर दिन घटती चली जा रही है।

श्री चरणसिंह—१३६२ साला की इन्कम पर १३६३ में असेसमेंट हो रहा है। वह अभी हुआ नहीं है।

श्री गेंदासिंह—एक करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है। उसकी वसूली की जिम्मेदारी अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है तो वह उस पर रोशनी डालें। १५ करोड़ रुपया जो इन्कम टैक्स का बकाया है उसके वसूल करने की जिम्मेदारी किस की है? गवर्नर महोदय ने कहा था जिस समय हम और वह दोनों आदमी गये थे। उस समय उन्होंने बतलाया था इन्कम टैक्स की कान्फ्रेन्स में। अगर उसकी जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है।

एक सदस्य—रेवेन्यू विभाग की नहीं है।

श्री गेंदासिंह—अच्छा नहीं है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या यह सारी ऐजेन्सी गलत चीज है और मुझे खुशी होगी अगर मैं गलत हो जाऊं।

आखिर में मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी इजाजत चाहूंगा। यह जो बाढ़ आई और जो उसकी क्षति लिखी गई है वह यह लिखी गई है कि ५९,५७,८७५ एकड़ की बरबादी हुई और इसका कुल अन्दाजा कि कितनी फसल बरबाद हुई, २५ करोड़ रुपये है। ६० लाख एकड़ मोटे तौर पर हो गया। अगर दस मन फी एकड़ पैदावार मानें जो रेवेन्यू की रिपोर्ट के अनुसार है तो ६ करोड़ मन पैदावार हुई ६० लाख एकड़ में, और दस मन रुपये के हिसाब से दाम लगा लें तो ६० करोड़ रुपये हुए। इतनी क्षति फसल की है। इसके अलावा अगर इसी रिपोर्ट को सही मानें तो ४,७१,९६७ मकान गिरे।

श्री चरणसिंह—यह तो आप कुन्बे डूबने वाला हिसाब लगा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—कुन्बे डूबने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अब आप समझें कि २५ करोड़ रुपये की कुल क्षति बतलायी गयी और इस तरह से गलत बताने का परिणाम यह होता है कि हम नुकसान उठाते हैं। सरकार यदि यह कहे कि रुपया नहीं है तो हम जरूर सोचते हैं

[श्री गेंदा सिंह]

कि जो साधन हैं, उसके मुताबिक मदद होनी चाहिए जनता की। लेकिन सही अन्दाजा तो होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। यह कहना सच है कि मालगुजारी में माफी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए यह हो सकता है कि आप मालगुजारी के नियम बदल दें कि नुकसान होने पर मदद न दी जाय। अगर राजा के सामने प्रजा की सही तस्वीर न हो तो वह प्रजा की मदद नहीं कर सकता है।

मैं उस जगह का रहने वाला हूं जहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं। कहा यह गया कि टेस्ट वर्क की मजदूरी बढ़ा दी गयी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली गया था और वहां से यह उठा लाया हूं। सारे सूबे में जो मजदूरी मिलती है हिन्दुस्तान भर में उन सब से कम मजदूरी हमारे यहां मिलती है। इस सूबे में ४ आने ६ आने पर ८ घंटे आदमी से काम कराया जाता है नहीं तो फिर वह भीख मांगें। ईमान और उनका धर्म मजबूर करता है जिस से वह चोरी नहीं कर सकते हैं, डाका नहीं डाल सकते हैं। फिर जिम्मेदारी है सरकार की या नहीं? मैं नहीं कहता हूं कि सदावर्त बांटा जाय। हम मिट्टी ढोना चाहते हैं। अगर सरकार काम न दे पाये तो फिर सरकार की आवश्यकता क्या है? अगर मेहनत करने के बाद, शान्तिपूर्ण काम चलाने के बाद सरकार हमें पाव भर अन्न मुहैया नहीं कर सकती है तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार की और जिम्मेदारी क्या है। मैं कहता हूं कि भूख से जो मृत्यु हुई है उसके छिपाने की जो चेष्टा करते हैं वह पाप करते हैं और मैं जो यह कहता हूं कि भूख से मृत्यु हुई तो कोई पाप नहीं करता हूं। लेकिन जब भूख से मृत्यु हुई है तो उसको कहना लाजमी हो जाता है और अगर मैं माफ किया जाऊं तो कहूंगा कि माननीय माल मन्त्री जी को इन बातों की जानकारी करनी चाहिए। और वह इस के लिए कोई कमेटी बनायें ताकि कोई निष्पक्ष इन्क्वायरी हो। और इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं उनका कहीं मार्जन तो हो। मैं समझता हूं कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुधर जायगा तो सारे देश का कल्याण हो जायगा, कम से कम १२ आना सुधार हो जायगा अगर जमीन का बटवारा हो जाय और मालगुजारी की कमी के मामले में हमारे माल मन्त्री जी और देश कंविस हो जायं। इससे देश का भविष्य सुधर जायगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि उपनिवेशन के अधीन एक रुपये की कमी का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्रीमन्, इस उपनिवेशन विभाग से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्री जी का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। जो तराई इस्टेट फार्म है, जो बंगाली कालोनी का रिहैबिलिटेशन, रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन और कृषि विभाग से सम्बन्धित जितने विषय हैं वह सब इस से सम्बन्धित हैं और इस अनुदान से सम्बन्धित हैं। मेरा निश्चित विचार है कि जब तक कृषि विभाग, रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन विभाग और रेवेन्यू माल विभाग यह सब एक मन्त्री के अधीन नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार कालोनाइजेशन के मामलों का, वहां की समस्याओं का ठीक प्रकार से निपटारा नहीं हो सकता और उनकी ठीक प्रकार सुनवाई नहीं हो सकती। पिछले कई वर्षों से कालोनाइजेशन की समस्याओं की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। जब पहले बुक्सों का सवाल आया तो माननीय मन्त्री जी खुद वहां गये और उन्होंने वहां बुक्सों को जमीन दी। लेकिन इसके बाद न मालूम क्या बात हुई विभाग में, न मालूम क्या परिवर्तन हुआ कि उस के बाद सरकार का ध्यान पहले की उपेक्षा इसमें कम हो गया। पहले डिप्टी मिनिस्टर श्री जगनप्रसाद रावत जी थे, वह बार बार, महीने में एक बार वहां जाते थे और वहां की समस्याओं का कुछ अन्दाजा लगा सकते थे। कि उन क्षेत्रों की समस्या कितनी विकट है। वहां एक आदमी बंगाल से आया है, जो यहां की भाषा नहीं जानता, नहीं बोल सकता। एक सिंध से आया है, एक पंजाब से आया है, कुछ मिलिटरी सफरर्स हैं और कुछ पोलिटिकल सफरर्स हैं। तो सारे भारत का एक नमूना वहां है और इसलिए वहां कुछ विशेष ध्यान दिये जाने की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां की समस्याओं को समझने के लिए कितनी बार रऊफ जाफरी साहब वहां गये, जो इस विभाग से सम्बन्ध रखते हैं ? कितनी बार उनको समझ के लिए वहां उन्होंने जाने की जरूरत अनुभव की ?

आज बड़े दुःख के साथ वहां की बंगाली कालोनी की आवश्यकताओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। कृषि मन्त्री जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन बजट में आप के हैं तो मैं क्या करूं। मैं बंगाली कालोनी में गया। वहां अर्धभुखमरी की दशा हरदासपुर और विजयनगर में है। वहां श्री मनोहर बेरी, साधूराम बेरिया, उपेन्द्रनाथ राय और नित्यानन्द सरकार नाम के व्यक्तियों ने तीन दिन से खाना नहीं खाया था। आनन्दखेड़ा में १३ परिवार ऐसे थे कि जिन्होंने भोजन नहीं किया था। श्रीरामपुर में मैंने जब जांच की तो पता लगा कि डेढ़ साल से २४ आदमी बीमार थे और वे सब अर्धभुखमरी के शिकार हो कर मर गये।

श्री चरणसिंह—यह भुखमरी अब देवरिया से नैनीताल पहुंच गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने स्टार्वेशन नहीं कहा, सेमी स्टार्वेशन कहा है। तो शिवपुर में जितेन्द्रमंडल की घरवाली ने अर्धभुखमरी की अवस्था में आत्महत्या कर ली। लक्ष्मीपुर, प्रफुल्लनगर, राधाकान्तनगर और ऐसे ही २, ४ नगर हैं, जहां पर जमीन तोड़ी नहीं गयी। शुरू में यह जमीन तोड़ी गयी थी, लेकिन बंगाल के सेटलर वहां आने वाले थे वह ८ महीने के बाद वहां पर आये। तो जो जमीन तोड़ी गयी थी वह फिर बंजर हो गयी। वहां पर ट्रैक्टर की आवश्यकता है। वहां पर हल बैल कुछ कर नहीं सकते हैं। वह जमीन दो साल से बंजर पड़ी हुई है। तो उस बंजर जमीन का क्या उपयोग किया जाय। उनको जो मेन्टेनेंस अलाउन्स मिलता है वह ३० रुपये माहवार मिलता है, लेकिन वह लम्प सम मिलता है। एक साथ उनको मिलता है, माहवार नहीं मिलता है। जब तक उनको थोड़ा-थोड़ा करके न मिले, तो उनको विशेष लाभ नहीं होने वाला है। जब तक उनको मिलता नहीं है तो उनको बहुत कष्ट रहता है। मैंने उनकी हालत को देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आये। उनके पास कपड़े पहनने को नहीं थे और वे लोग चिथड़े पहने हुए थे। यह उस बंगाली कालोनी की हालत है। इसकी पूरी जांच हो। माननीय मन्त्री जी अगर खुद जाने का कष्ट करें या उपमन्त्री जी जायं, या कृषि विभाग के मन्त्री जी जायं, वह स्वयं जाकर जांच करें कि यह बात सही है या गलत है। वे बेचारे हिन्दी नहीं जानते हैं। उनकी भाषा को लोग नहीं समझते हैं। इसलिए उनकी समस्या विशेष प्रकार की है। वह अपनी बातों को कह नहीं सकते हैं। तो हमारी यह पवित्र जिम्मेदारी है कि जिसको हम निभाने से चूक गये तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह एक बड़ी शर्म की बात होगी जो थोड़ी बहुत ग्रान्ट गवर्नमेंट आफ इन्डिया से वहां पर आती है, उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है। मैं आपको मिसाल दूं कि उस बंगाली कालोनी में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना बनी, तो वह स्कूल उस कालोनी के बीच में न खुलकर ८—१० मील की दूरी पर खुलने जा रहा है। उससे कालोनी की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। यह इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनकी ओर सरकार को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

तराई में लोगों को वहां पर जमीन दी गयी है। वह ऐसी विडम्बना रही है कि आधे लोग छोड़कर वहां से चले आ रहे हैं, जो लोग वहां पर रहे उन्होंने भी जमीन को ठीक प्रकार से जोता नहीं है। कुछ ने जोता है तो वे सरकार के कर्जदार हो गये हैं। जो अन्दर के गांव हैं वहां पर सड़कें नहीं बनी हैं। ४ करोड़ रुपया वहां पर खर्च किया गया। लेकिन दूर तक

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

४, ६ मील तक गांव जब तक मेन रोड से मिलाये जायं तो उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उनके लिए कोई योजना अभी तक बन नहीं पायी है।

जब तराई स्टेट फार्म के डिप्टी डाइरेक्टर ने कुछ लोगों को वहां बुलाया और उनसे कहा कि तुमको जमीन अलाट करेंगे। बाद में सरकार की नीति बदली और उनका अलाटमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब पोजीशन यह है कि वे लोग वहां पर जमीन पर काबिज हैं। सरकार ने लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट बनाया, वह हाई कोर्ट ने अल्टरा वायरस डिक्लेयर कर दिया। स्थिति ऐसी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में काबिज हैं वह इविक्ट नहीं हुए। भारत सरकार कहती है कि यू० पी० सरकार जिम्मेदार है और यू० पी० सरकार कहती है कि भारत सरकार जिम्मेदार है। तो जो राय सिख वहां से हटाये जा रहे हैं, उनके लिए अलग एक कालोनी बनायी जाय। लेकिन इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि वहां पर ठीक तरीके से डेवेलपमेंट हो। चाहे कोई रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उनके लिए वहां पर प्रबन्ध किया जाय। वह रजिस्टर्ड हों या न हों इसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वह देखें कि वह रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुए। इस ओर प्रदेशीय सरकार को भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए त्रायसिक और कम्भो लोगों के बारे में कहा जाता है कि क्रिमिनल इन्क्लीनेशन के ये लोग हैं। मेरा कहना यह है कि जब तक आप जमीन नहीं देते तब तक ऐसा करने को आप उन्हें मजबूर करते हैं। क्योंकि वे लोग मजदूरी करते हैं और जब उनका पेट नहीं भरता तो मजबूर होकर कभी-कभी चोरी भी कर लेते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कालोनाइजेशन की समस्या को प्रायरिटी देने के लिए जोर दूंगा।

इसी प्रकार से तराई इस्टेट फार्म है। बजट में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि तराई स्टेट फार्म एशिया का सबसे बड़ा फार्म कहा जाता है। उसके प्रबन्ध में, मैं यह नहीं कहता कि अदूरदर्शी व्यक्तियों का हाथ है। लेकिन नेट रिजल्ट उसका अच्छा नहीं है। ५०—५१ में वहां की आमदनी ७ लाख ९२ हजार थी लेकिन ५३—५४ में उसमें २ लाख ५५ हजार का घाटा हुआ और ५४—५५ में १ हजार रुपये का घाटा हुआ। एक सुझाव सरकार को यह भी दिया गया था कि तराई स्टेट फार्म और लाल कुआं मिल्क यूनियन को मिला दिया जाय। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और लगातार यह डेरी घाटे पर चल रही है। जब से डेरी चली है तब से ७ लाख ९७ हजार रुपये का घाटा हो गया है। स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऐसी स्कीम की मांग की थी कि इन दोनों मिल्क यूनियनों को मिला दिया जाय।

इस बजट में एक आइटम हैमपुर फार्म का है और उसको तराई इस्टेट फार्म में ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि हेमपुर फार्म को तराई इस्टेट फार्म में ट्रांसफर किये जाने का क्या कारण है?

तीन हजार भूमिहीनों को जमीन दी जा रही है। यह खुशी की बात है कि हरिजनों को, जो भूमिहीन हैं उनको जमीन दी जा रही है, लेकिन उनको जमीन तोड़कर नहीं दी जा रही है। जब तक जमीन उनको तोड़कर नहीं दी जायगी कैसे उसको आबाद कर पायेंगे। जिसके पास जमीन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, क्या माननीय मन्त्री जी उससे यह आशा करते हैं कि वह ट्रैक्टर्स के लिए कहीं से धन पा सकेगा और उनसे जमीन तुड़वाकर खेती कर सकेगा। उन भूमिहीनों के पास कहां से साधन आये कि लाखों रुपया इकट्ठा करें। इसलिए तराई में जहां-जहां भूमिहीनों को जमीन दी जायं, वहां-वहां भूमिहीनों को जमीन तोड़ कर दी जाय। इसके अतिरिक्त वहां पर और भी जातियों के भूमिहीन हैं उनको भी जमीन का प्रबन्ध होना चाहिए। मालवन एरिया में बहुत सी जमीन पड़ी हुई है, वहां पर उनको डिफारेस्ट करके जमीन दी जानी चाहिए ताकि भूमिहीनों की समस्या का निराकरण हो सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या ३४ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं

संख्या १—लेखा शीर्षक ४–कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७–मालगुजारी, अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

मान्यवर, इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए हमें हार्दिक तकलीफ हो रही है और इस तकलीफ के दो कारण हैं। एक तो यह कि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि दुर्भिक्ष में सरकार को जितनी सहायता करनी चाहिये थी सरकार ने उतनी सहायता की है। जब मैं सारे प्रदेश के आंकड़े देखता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस प्रदेश के गांवों में बाढ़, ओले तथा और दूसरी तरह की विपत्तियों से जो परेशानी हुई है, और इस प्रदेश की सरकार के बजट को देखते हैं और जब हम दूसरे प्रदेशों के बजट को देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार को इस सम्बन्ध में जितना व्यय करना चाहिए था उतना वह नहीं कर रही है। द्वितीय कारण यह है कि जितना रुपया सरकार ने जिला अधिकारियों को इस काम के लिए दिया भी है वह भी गलत तरीके से लोगों को बांटा गया है। माननीय मंत्री जी तो बार-बार इस की दुहाई देते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में बाढ़ आने के पहले नावों का प्रबन्ध किया जाता है और हर साल बजट के मौके पर उनके द्वारा यह बात दोहराई जाती है और वह बाढ़ से रक्षा के लिए गांवसमाजों को नाव भी देना चाहते हैं लेकिन वह उन गांव समाजों से उसके लिए ८०० रुपये की नाव की आधी कीमत लेना चाहते हैं जो ४०० रुपया होती है। मैं चौधरी जी से जानना चाहूंगा कि जिन गांवों को आप बाढ़ पीड़ित कहते हैं, जहां आप मालगुजारी और तकावी की छूट देते हैं उन गांव समाजों से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह नाव की आधी कीमत ४०० रुपया दें और वह दे भी कैसे सकते हैं।

मैं समझता हूं कि यह योजना इसी कारण कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी गांवसमाज ४०० रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आप गांव के लोगों को बाढ़ से बचाना चाहते हैं, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए आप उत्सुक हैं और उनको डूबने देना आप नहीं चाहते हैं तो आप इस प्रकार की योजना को खत्म कीजिए और आप उनको मुफ्त नाव दीजिए लेकिन उनको यह जिम्मेदारी आप जरूर दे दें कि वह उसकी रक्षा करें। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हम ने बहुत बड़ी तादाद में मालगुजारी की छूट दी है लेकिन मैं चौधरी जी से जानना चाहूंगा और माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा है देवरिया और आजमगढ़ जिले में ऐसे गांव हैं जिनकी मालगुजारी माफ नहीं है। हमें नेता विरोधी दल ने अभी बताया कि ७०० गांव देवरिया जिले में ऐसे हैं जहां मालगुजारी आदि की छूट के कागज ही नहीं बने और जब शोरगुल हुआ तब नेता विरोधी दल जिस गांव में बसते हैं उस गांव की मालगुजारी यकायक पूरी माफ कर दी गई। और पहले उस गांव का नाम तक नहीं था छूट में, लेकिन जब हल्ला मचा तो उस गांव की एकदम से छूट हो गई। ऐसा मालूम होता है कि जब नदी का पानी बाढ़ में चलेगा तो वह बीच में सब गांवों को छोड़ता चला जायगा। आजमगढ़ में भी कुंवर पुरवा बाढ़ पीड़ित गांव हैं वहां भी मालगुजारी मुआफ नहीं हुई है। छूट मुआफी आदि का शोर किया जाता है पर होता कम है। उसका यही एक कारण है कि वहां के कर्मचारी जो तहसील और जिले के वह नकशे बनाने में परेशानी महसूस करते हैं और सरकार के सामने अपने को सुर्ख रू बनाना चाहते हैं कि हम सरकार को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लायक साबित न हों। माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी कहा कि २४ लाख रुपये की तकावी की हमने छूट दी है। मैं अपने जिले और गाजीपुर की बात कहूंगा अभी हमारे गाजीपुर के मित्र शिवपूजन जी ने बताया कि कई जगह यह मालगुजारी और तकावी की छूट होते हुए भी वहां के अधिकारियों ने मालगजारी और तकावी बराबर वसूल की है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

और इसके विरुद्ध चर्चा की जाती है तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस तरह के मैं पचासों उदाहरण दे सकता हूं कि दरख्वास्तें दी गईं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रदेश में विद्यार्थियों की फीस माफी की चर्चा की गई। मंत्री जी को सुना और रिपोर्ट को पढ़ा और कहा गया कि ३२ जिलों में जहां बाढ़ से नुकसान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ आई तो वहां फीस की माफी क्यों नहीं दी गई क्या वहां ऐसे लोग नहीं हैं, जो गरीब हैं और जो फीस नहीं दे सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक दिन कहा था कि पश्चिमी जिले के लोग धनी हैं इसलिए वहां फीस माफ नहीं की गई। मैं निवेदन करूंगा और पश्चिमी जिलों के विधायकों से भी निवेदन करूंगा कि जरा सरकार से पूछें क्या यह बात सही नहीं है कि पश्चिमी जिले के सैकड़ों लड़के फीस के अभाव में स्कूल छोड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सौतेली मां का सा व्यवहार नहीं करना चाहिये। उसको एक तरीके का व्यवहार करना चाहिये। अगर पश्चिमी जिलों में बाढ़ से नुकसान हुआ है, मालगुजारी और तकावी में छूट व माफी हुई है तो यह कोई तरीका नहीं है कि पश्चिमी जिले के विद्यार्थियों की फीस माफ न की जाय। कहा गया है कि सरकार ने लोगों को घर बनाने के लिये बहुत सी सहायता की और रिपोर्ट में भी कहा गया कि हमने छप्पर के लिये बहुत से लट्ठे व सामान दिया। मैं यह जानना चाहूंगा हूं कि जो भूमिहीन हैं, जो हरिजन हैं या जिनके घर कट गये, जिनकी सारी जमीन कट गई उनके लिये सरकार ने क्या मदद की है? मैं तो उस देहात का रहने वाला हूं जहां हर साल बाढ़ आती रहती है और हजारों लोग जिनके घर कट गये, खेत कट गये, आ कर वहां बसे हैं और उनको १०, १५ रुपये साल भर के लिये दे दिये गये। न उनके घर बने, न द्वार बने। माल विभाग का गांव समाज मैनुअल में कहा गया है कि जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन होंगे उनको पहले जमीन दी जायगी लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं कई बार मैंने चौधरी साहब से कहा और जिलाधिकारियों को लिख कर दिया कि जिनका घर नहीं है, जमीन कट गई उनको पहले जमीन दी जाय, लेकिन यह सरकार उनको जमीन देने में बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हुई है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री और उपमंत्री से कि आजमगढ़, देवरिया जिले में वे बतलायें कि जिनके बाढ़ से घर व खेत कट गये हों उनको फिर से बसाने के लिये खेत मिले हों, या घर दिये गये हों।

मैं एक बात फिर निवेदन कर दूं कि गल्ला और सामान के वितरण में भी राजनीति अख्तियार की जाती है। आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी में एक सदस्य की मृत्यु के बाद चुनाव हुआ। श्रीमन्, म्यूनिसिपैलिटी के एक उप-निर्वाचन में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिये गल्ले और कपड़े का बटवारा उसके हाथों किया गया। सत्ताधारी पार्टी को जिताने के लिये इस तरह की व्यवस्था की गई। मैं उपमंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि जांच करें भोलनापुर और फतेहपुर, मड़ाव ग्राम में पंचायतों के चुनाव में गल्ला बांटा गया। वहां परगना हाकिम ने दरवाजा-दरवाजा घूम कर गल्ला इसलिये बांटा कि हमारे उम्मीदवार को वोट मिले। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उस गांव में गल्ला बांटा गया जहां तकावी माफ नहीं, मालगुजारी माफ नहीं और जिस गांव को बाढ़ पीड़ित आज तक कभी कहा नहीं गया और आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। ऐसे गांव को गल्ला बांटना, क्या समझा जायगा? मैं न्योता देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री चलें मेरे साथ और मैं दिखला दूं कि वहां पर गल्ला बांटा गया या नहीं, अगर बांटा गया है तो क्यों बांटा गया है? लोग भूख से मर रहे हैं, माननीय गेंदा सिंह जी बैठे हुए हैं। उनके घर के पास माननीय मुख्य मंत्री के नाम पर एक गांव बसाया गया है। वहां पर १०, १५ सेर गल्ला बांटा गया है। मैं क्या कहूं, माननीय मुख्य मंत्री के नाम पर गांव बसाया जाय, और उनके नाम पर बसाये गये गांव में लोग भूखों मरें। मैं यह भी

पूछना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि बाढ़ पीड़ित शिविर बनेंगे। तो कितने बाढ़ पीड़ित शिविर बनाये गये। मेरा खयाल है कि पारसाल से यह योजना चल रही है। लेकिन आज तक किसी भी जिले में, मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कहूंगा कि एक भी बाढ़ पीड़ित शिविर नहीं बनाया गया है और मेरा विश्वास है कि प्रदेश के किसी जिले में भी नहीं बनाया गया होगा। श्रीमन्, एक और यह निवेदन करना चाहूंगा कि माल मंत्री जी ने कहा था कि मनौली बांध और लाल डिग्गी बांध के टूटने के कारणों की जांच के सम्बन्ध में एक कमेटी हमने बनायी है। कमेटी की रिपोर्ट सदन के सम्मुख उपस्थित होने वाली है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई है। हमको जहां तक जानकारी है गोरखपुर की बात तो मैं साधिकार नहीं कह सकता लेकिन आजमगढ़ शहर में पचासों आदमियों ने ऐसी गवाही दी है कि सरकारी कर्मचारियों की ढिलाई के कारण लाल डिग्गी बांध टूटा। सरकार को फिर से ऐसी बातों पर विचार करना चाहिये। हम इसके समर्थक हैं कि जो कर्मचारी अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिये। लेकिन साथ-साथ जो गलत एवं नियम के खिलाफ काम करता है उसको सजा भी दें। लेकिन यह सरकार और खास कर माल मंत्री जी इस कार्य के लिए तैयार नहीं होते और श्रीमन्, जब कहा जाता है तो कई तरह से वह अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। मैं यह कहूंगा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आपके कागज ठीक नहीं हो पाते। लोग भूख से मरते हैं, लोगों को आपके द्वारा जो सहायतायें प्रदान की जाती हैं वह ठीक नहीं हो पाती हैं। लोगों को नये सिरे से बसाने के लिए कुछ जमीन अक्वायर की जा रही है। माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उप मंत्री चतुर्भुज शर्मा जी ने बताया था कि पहले वह जमीन अक्वायर की जायगी जो जमीन मजरुआ न हो। जरा आजमगढ़ में जांच करें कि कैसी जमीनें अक्वायर की जा रही हैं। श्रीमन्, जिन लोगों को वहां बसाना चाहते हैं वे लोग जाना नहीं चाहते हैं।

श्री चरणसिंह---४८ में से ५ नहीं जाना चाहते। ४३ जाना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--- मैं तो चौधरी जी से निवेदन करना चाहूंगा, बात तो छोटी है, लेकिन किसी दिन वक्त निकाल कर देख लेते उस गांव में जाकर या अपने किसी अफसर को भेज कर वह देख लें कि कितने लोग जाना चाहते हैं, कैसा गांव है, क्या वहां पर पानी आता है, वहां पर पक्के मकान बने हैं या नहीं, खपरैल के मकान वहां पर हैं या नहीं? तो साफ आपको मालूम हो जाता कि हम सही हैं या उनके मैजिस्ट्रेट। श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए टेस्ट वर्क्स जारी किये गये। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि परमात्मा न करे कि यह दैवी विपत्ति फिर आये। परमात्मा, परमात्मा जपने या ईश्वर-ईश्वर, नाम लेने से दैवी विपत्तियां और सरकार द्वारा बनायी हुई विपत्तियां कम होने वाली नहीं हैं। सरकार उस रास्ते पर नहीं चल रही है जिससे वह इन आपत्तियों को रोक सके। दूसरे प्रदेशों में बाढ़ को रोकने के लिए बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं। दूसरे प्रदेशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए, उनको सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे प्रदेशों में इसके लिये कितना बजट होता है और आपके प्रदेश में कितना रुपया बजट में मंजूर होता है इन कामों पर खयाल करें। टेस्ट वर्क्स में चार आने मजदूरी दी जाती है। क्या आप चार आना मजदूरी देकर किसी को जिन्दा रख सकते हैं? किसी को रोजी देने की जिम्मेदारी सरकार की है? जो लोग भूख से मरते हैं, वह सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सदन से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

चाहूंगा कि लोगों को टेस्ट वर्क्स में मजदूरी बढ़ाने के लिए, और लोगों को रोजी देने के लिए सरकार को इन्तजाम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ पुनः कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने माननीय रामसुन्दर जी पांडेय का भाषण सुना। आपने दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। अभी उन्होंने बताया कि बाढ़ एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में डाक कर चली गयी और उसके ऊपर के सब गांव बाढ़ से प्लावित नहीं हुए। मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहां मिर्जापुर में भी, इससे पहले बाढ़ आयी थी उससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। सरकार ने बड़ी सहायता की, मालगुजारी में छूट दी, तकावी बांटी। उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। तब भी वहां उनके भाग्य में कुछ परिवर्तन न हुआ। फिर दोबारा उसी इलाके में ओला पड़ा उससे रबी की खेती को नुकसान हुआ। उसके बाद फिर सूखा हुआ, जो सब को ज्ञात होगा कि सूखा का बहुत बड़ा कष्ट था। सरकार ने सूखा का इन्तजाम किया, तकावी बांटी, खैरात बांटी, लोगों को लगान में छूट दी। उसके बाद फिर हमारे यहां बाढ़ भी आयी किंचित मात्र और वह बाढ़ आयी जुलाई के महीने में, वर्षा के शुरू में वही बाढ़ बनारस में भी आयी। वही नदी है जो मिर्जापुर में होकर बनारस में जाती है, गरई और चन्द्रप्रभा। लेकिन मैंने देखा इस रिपोर्ट में मिर्जापुर का नाम बाढ़ में नहीं आया हुआ है, बनारस तो बाढ़ में आ गया। तो मैं भी आश्चर्य करता हूं कि वह नदियां जिन्होंने हमारे यहां नुकसान नहीं किया और बनारस में बाढ़ आ गई तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि नदियों का दोष नहीं। बाढ़ तो मिर्जापुर में भी आयी, अफसरान गये, नाव के खर्चे लगे, मिनिस्टर साहब भी गये, बाढ़ देखी और देखा जो नुकसान हुआ। लेकिन अभी जो बात कही गयी है कि बाढ़ की रिपोर्ट, नुकसान की रिपोर्ट मंत्री जी को सही नहीं मालूम होती, सत्य है। वह तो जब लेखपाल लिखें और लेखपाल जब रिपोर्ट करें तभी वह नुकसान कहा जा सकता है। मिनिस्टर साहब गये हमारे यहां मंगला प्रसाद जी, कलेक्टर गये, तमाम कांग्रेस के लोग गये, नाव पर चढ़ कर देखा, बाढ़ देखी। बीज का नुकसान हुआ देखा, लेकिन वह रिपोर्ट बिना लेखपाल के रिपोर्ट किये हुए सरकार तक नहीं आयी अन्यथा जो रिपोर्ट होनी चाहिये थी, नहीं हुई। मिर्जापुर बाढ़ में नहीं आया। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में तकावी की ५ लाख ३३ हजार की मिर्जापुर को छूट दी गई है, सदन ने उसको पास किया है। लेकिन सरकार ने फिर यहां से आदेश दिया है कि यह तो भूल हो गई मिर्जापुर में छूट नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वहां बाढ़ नहीं आयी। मैं जानता हूं सदन तो कभी भूल नहीं कर सकता, जिसको सरकार ने पास किया, सदन ने पास किया और वह फिर भूल हो गई, क्यों? सरकार ने आदेश दिया है, कि वहां छूट नहीं होनी चाहिये फलस्वरूप अब वहां बड़ी तेजी के साथ वसूली शुरू है। बहुत कहने के बाद सरकार ने कुछ रियायत की और यह आदेश दिया कि यदि ४ आने भी नुकसान हुआ हो तो छूट दी जाय।

हमारे अफ़सरान बड़े चक्कर में हैं, वह जानते हैं, उन्होंने खुद बताया हम से कि नुकसान है, लोगों में शक्ति नहीं कि वे दे सकें। परन्तु हम मजबूर हैं जब तक नुकसान का नक्शा लेखपाल न लिखे। तो अब अगर हम ४ आने का नुकसान मानें तो जवाब तलब हो जाय कि नक्शा क्यों नहीं बनाया। यह मालूम होता है कि सारा माल विभाग का काम लेखपाल करता है। अगर लेखपाल लिख दे तो नुकसान हो जाय, छूट मिल जाय, लेकिन लेखपाल का लिखना कीमत से खाली नहीं है उसकी कीमत होती है और काश्तकार अदा करता है। लेकिन चूंकि वहां मिनिस्टर साहब जा चुके थे, कलेक्टर

और हम सब जा चुके थे लिहाजा काश्तकार जानता था कि नुकसान तो हुआ ही है अब हमें लेखपाल से क्या? लेकिन लेखपाल ने कहा लो अच्छा देखो पुर्जे तो हम ही हैं, हमारी कलम अगर नहीं चलती तो तुम्हें छूट नहीं हो सकेगी और ऐसा ही हुआ भी। सदन ने पास किया किन्तु उसको सरकार आज हमको नहीं दे रही है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आज तक हमारे देश में ऐसी बात नहीं हुई, राजाओं ने अगर हां कहा तो हां ही हुआ, न कहा तो न। सदन ने इजाजत दी कि ५ लाख रुपया तकावी माफ किया जाय, तो यह सदन कोई तमाशा नहीं है। हमारे यहां तो स्वप्न में भी दान हुआ है। एक कथा है हमारे यहां हरिश्चन्द्र ने ख्वाब में देखा कि हमने राज दान में दिया और वह फिर सुबह उसे दिया। लेकिन हमारे यहां इतना बड़ा सदन जिसने पास किया ५ लाख रुपया छूट देने को और सही पास किया। वहां नुकसान है, ओला पड़ा, बाढ़ आयी, सूखा पड़ा, तीन-तीन, चार-चार फसलें बरबाद हुईं। वहां के काश्तकार मजबूर हैं, जेल जाने को तैयार हैं लेकिन एक लेखपाल के कारण वह सारा नक्शा बरबाद हुआ और उनको सहायता नहीं मिल सकी। कोई हस्ती नहीं कलेक्टर की या हमारी सरकार की कि वह बिना लेखपाल की राय से छूट दे सके। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से बाअदब सिफारिश करता हूं कि वह अपनी बातों को देखें, अपनी प्रतिष्ठा को देखे, अपनी आन को देखे, अपनी शान को देखे कि किसानों को जो एक छूट मिल चुकी है जो कि उनका हक है उससे इनकार किया जाय यह शायद उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं।

***श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्तुत अनुदान है, जिन्हें माननीय माल मंत्री जी ने रखा है उनके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और साथ ही जो इसके सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव पेश हुए हैं उसका विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करना पड़ा कि चाहे सरकार के कामों में पार्टीबाजी का खयाल हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन विरोधी दल की ओर से जिन मित्रों ने विरोध किया उन्होंने अपने शब्दों में विरोध का जो नक्शा खींचा है वह दलबन्दी से अलग नहीं मालूम होता है। माननीय पांडेय जी ने कहा, उसके सुनने से ऐसा मालूम हुआ कि अबकी बाढ़ में या और किसी तरह से दुर्भिक्ष में मदद करने में सरकार ने कुछ किया ही नहीं। इससे बाहर का सुनने वाला आदमी यही समझेगा कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कह दिया कि पश्चिमी जिलों में जो बाढ़ आयी, उसमें कुछ मदद भी नहीं की गई और खास तरीके से विद्यार्थियों की फीस नहीं माफ की गई। पश्चिमी जिलों के किसी भी माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं कहा कि बाढ़ में हमारे काम में सरकार ने कोई मदद नहीं की, हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा। पूरब के हममें से कुछ आदमी ऐसे हैं जो घटना थोड़े किस्म से हो और ज्यादा कभी कभी ऐसा बढ़ा कर कहते हैं कि उतना हम पाते भी नहीं हैं। मैं माननीय पांडेय जी से यह कहूंगा कि यह बात दलबन्दी से परे नहीं कही जा सकती। उन्हें पहले सोचना तो आज यह चाहिए कि जो सरकार मदद करती है या जो काम करती है या हम उसे जो सुझाव देते हैं उसमें उसके काम की दाद दी जाय और जो बात सही उसकी नजरों में नहीं पहुंच पाती है उसको सुझाव के तौर पर दिया जाय तो काम बन सकता है। बाढ़ आयी थी, मैं जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर और देवरिया जिले में जो बाढ़ और पानी ने इस वर्ष अपना भयंकर रूप दिखलाया था वह शायद किसी से कम नहीं था? अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव पांडेय]

सब से अधिक नहीं हो सकता या खास तरीके से आजमगढ़ जिले से अधिक नहीं हो सकता तो और जगहों से अधिक जरूर था। उसमें सरकार ने अपनी शक्ति भर मदद की है। उस समय, माननीय पांडेय जी जैसा कि सदन में सारे सूबे की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए आज बयान किये हैं, उसको देख कर कह सकते थे कि सरकार ने काफी मदद की है और इस पर उन्हें सन्तोष करना चाहिए था और बधाई भी देनी चाहिए थी। लेकिन एक जगह या दो जगह ऐसे विपत्तिकाल में तो यह लोग जाते हैं और प्रचार का इतना बड़ा साधन और तरीके इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को सुनाने का दावा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में जब कि फंड एकत्र हो रहा था उस समय भी आपकी ओर से ऐसा कहा जाता था कि कुछ नहीं देना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ देने को है नहीं और अब रिफंड के सम्बन्ध में जब कि ऐसी कोई बात कहने के लिये नहीं है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकारी खजाने में जहां रुपये देने वाले हैं वहां लेने का काम बन्द नहीं है तो कुछ ऐसे उपाय करने चाहिये, यह आप कहते हैं। लेकिन बात तो यह है कि कई ऐसे सामाजिक तरीके हैं जैसे मिशनरी प्रचार। मैं नहीं समझता कि हमारे लोगों के अतिरिक्त दूसरे दलों की ओर से कोई ऐसा प्रचार किया जाता हो, जिसमें नगरों में कोई नागरिकता की भावना बढ़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठ सके, जिसको यह कहा जाय कि हमने इतना सर्वोपरि काम कर लिया। यह काम दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, ऐसा भी नहीं दीखता, ऐसा भी नहीं होता। पार्टीबाजी के आधार पर जो कुछ काम होता है वह मैं निश्चय के साथ समझता हूं कि सत्य का शोधन नहीं हो पाता। प्रचार करके लोगों को गुमराह करना सरकार की ओर से नफरत पैदा करना, यह कोई ठोस काम नहीं है।

माननीय माल मंत्री जी ने बड़ी मेहनत के साथ जमींदारी उन्मूलन किया लेकिन अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इतने कानूनों का भी लिमिटेशन कर दें। लम्बी-चौड़ी चीजें बनती जा रही हैं, उससे लोगों को परेशानी हो रही है कि यह क्या बन रहा है और यह क्या हो रहा है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि नदियों के किनारे जो गांव बसे हुये हैं उनकी जमीन कट कर एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती है और वह उस गांव में शामिल हो जाती है और हो जानी चाहिये, जैसा कि कानून है परन्तु जिन गांवों की वह तमाम खेती-बारी है वह कट कर दूसरे गांव में चली जाती है लेकिन सरकार की ओर से उस गांव को जमीन आदि देने की व्यवस्था नहीं हो पाती, यह कठिनाई है। यह सिर्फ एक गांव की बात नहीं है परन्तु दो-दो, तीन-तीन, चार-चार गांवों की बात एक-एक तहसील में है उससे परेशानी हुई। मेरे हलके में ऐसे कई गांव पड़े हुये हैं। मैंने इस विभाग के सम्बन्धित अफसरान को चिट्ठी लिखी और सब दरबार मैंने देख डाले परन्तु उन गांव वालों की समस्या हल नहीं हो सकी। इसलिये सरकार को कुछ न कुछ उपाय करना चाहिये, जिससे उनकी खेतीबारी और उनके रोजगार का प्रबन्ध हो सके।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खेती के अलावा गांव समाज की सम्पत्ति की ठीक तरह से देखभाल करने के लिये कुछ विशेष तरीके से व्यवस्था होनी चाहिये कि वे गांव समाज की सम्पत्ति की किस तरह से रक्षा कर सकें। वकीलों को भी यहां से सहायता नहीं मिल पाती है, नहीं कोई खास प्रबन्ध हो सका जिस से कि उनकी रक्षा हो सकती।

चकबन्दी के बारे में लोगों की, प्रान्त की जनता की आशा बढ़ गयी है और जहां चकबन्दी हो रही है वहां के लोगों को बड़ा त्राण मिल रहा है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन सुना गया है कि नदियों के किनारे वाले गांव जो कछार कहे जाते हैं उनमें चकबन्दी की योजना नहीं लागू

होगी। सरकार इधर भी कुछ उपाय करे और सोचे विचारे कि नदियों के अन्दर जो खेती है उसकी भी चकबन्दी हो और या जो नदियां बराबर काटा करती हैं उनका एक परमानेंट सिवान हो, तो उसमें चकबन्दी होने में कोई मुश्किल नहीं पड़ सकती।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को पुनः बधाई देता हुआ बैठता हूं।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, इस से पहले कि मैं इस अनुदान के विषय में इस सदन में कुछ कहूं, एक बात मैं उन दोस्तों से कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने व्याख्यानों के जरिये से यह जाहिर किया कि उनके इलाकों में कुछ लोग भूखों मर रहे हैं और खाने के वास्ते उन के पास कुछ नहीं है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। १५ ऐसे परिवारों को जो भूख से मर रहे हों उन्हें मैं अपने यहां बसा सकता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि उनको भूखों नहीं मरना पड़ेगा और तीस हजार परिवारों को जिला बिजनौर में बसाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहने के बाद मेरे मन में एक भावना है उसे भी मैं सदन में जाहिर कर दूं। वह यह है कि कुछ सम्मानित सदस्यों की तरफ से आये दिन गल्ले के लिए, टेस्ट वर्क के लिए और दूसरे कामों के लिए छोटी-छोटी रकमें इस सदन के जरिये सरकार से हासिल करते रहने की रोजाना मांग करते रहना और लोगों को कुछ कपड़ा, कुछ रोटी की शक्ल में भिजवाते रहना यह उस इलाके के लोगों को, जिनके लिए यह मांग की जाती रहती है, अकर्मण्य बनाता है और बहुत सी वजहों में से एक यह भी वजह है। आखिर क्यों वे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते? जन्म-जन्मान्तर से माइग्रेशन होता रहा है कभी भूख के कारण से, कभी दूसरे कारणों से। अगर कोई इलाका ऐसा है कि जहां मुस्तिकल तौर से हर साल भुखमरी पड़ा करती है तो वहां की आबादी कम क्यों नहीं हो जाती और लोग वहां से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में क्यों नहीं पहुंच जाते? यह बात सोचने की है। सरकार के सामने हाथ फैलाने और हर साल उस से थोड़ा-थोड़ा रुपया मांगते जाने से, झूठ-मूठ का भय दिखला कर कि सारे प्रान्त में लोग भूखे मर रहे हैं, यही नतीजा निकलेगा।

एक साहब ने कहा कि १० दिन तक किसी ने रोटी नहीं खायी। मेरे यहां तो दो महीने तक रोटी नहीं खाते हैं जब पेट का मर्ज हो जाता है, वह दस दिन की क्या नयी बात कहते हैं? लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई रोटी नहीं मिलती है तो वे उस इलाके में नहीं रह सकते। यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि रोटी भी न मिलती हो और उस इलाके में रहने के लिए वे जिद भी करते हों।

अब मैं एक बात जो माननीय गेंदासिंह जी ने कही उस सिलसिले में बताना चाहता हूं। जमीन के बंटवारे की बात जो गेंदा सिंह जी और दूसरे समाजवादी लोग कहते हैं, मैं आजतक बराबर उनकी यह बात सुनता चला आया हूं, लेकिन बावजूद बहुत कोशिश करने के मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि जमीन का बंटवारा मुस्तकिल तरीके से कैसे हो सकता है और उन्होंने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि समझायें। जमीन का बंटवारा एक दफा जरूर हो सकता है, लेकिन यह गारन्टी नहीं है कि जिन लोगों को जमीन बांट दी जाय फिर उनकी सन्तानें भी कन्ट्रोल्ड तरीके पर पैदा हों। पांच साल के बाद फिर उसमें कमी बेशी हो जायगी। एक चीज हो सकती है, वह यह कि गल्ले का बंटवारा हो सकता है। जमीन किसी एक शख्स की न रहे, सरकार सब जमीन के ऊपर अपना कब्जा कर ले और अपने तरीके से जुतवाने का इन्तजाम करे और उस से जो पैदावार हो, वह जितने लोग सरकार खाने के वास्ते नियत करे, उनमें तकसीम हो जाया करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

अध्यक्ष महोदय, एक और बात सीलिंग वाली कही गयी। हालांकि सीलिंग वाली बात से कोई खास फर्क अनइकानामिक होल्डिंग्ज की बढ़ोत्तरी में नहीं पड़ता, लेकिन कुछ थोड़े से परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, उनको जमीन जरूर मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि एक ख्वाहमख्वाह का जो प्रोपेगैन्डा होता है, सीलिंग न मुकर्रर करने के खिलाफ, उस से बचत हो जायगी और मेरे खयाल में एक वक्त आयेगा जब सरकार को सीलिंग मुकर्रर करने पर विचार करना पड़ेगा। एक बात और है और वह यह कि जो आज बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जो पहले नहीं थे और इस बीच में लोगों ने उनको बनाया है और मेकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, सरकार उनके इन्वेस्टमेंट्स को एकदम खत्म कर दे यह सवाल उसके सामने जरूर है, लेकिन इसका कोई हल निकल सकता है।

इसके बाद जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है मैं इसको सपोर्ट करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं। मैं बड़ी प्रशंसा के शब्दों में कह सकता हूं कि जितने सरल कानून रेवेन्यू के मुताल्लिक बनाये जा रहे हैं उससे चौथाई या आधे भी सरल नहीं बनाये जा रहे हैं। यह जो इल्जाम है कि कानून सरल नहीं बन रहे हैं गलत है। लोगों ने कहा है कि ४–५ पन्नों का कानून होना चाहिए। दो हजार वर्ष पहले यह कानून ४–५ पन्नों का बनाया जा सकता था। आजकल लोग बड़े होशियार हो गये हैं, वकील भी बढ़ गये हैं और पेचीदगियां हो गयी हैं और अब कानून ४–५ पन्नों का नहीं बनाया जा सकता है। जाहिल, नासमझ और अशिक्षित देश के लिए तो ४–५ पन्नों का कानून बनाया जा सकता था लेकिन जिस देश में तालीम बढ़ रही है, उसमें कैसे ४–५ पन्नों का कानून बनाया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे उन्होंने ४–५ पन्नों के कानून की बात कह दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय चकबन्दी के मुताल्लिक खुशफहमी में हैं। यह सही है कि जहां-जहां चकबन्दी हुई है, वहां उन्हें करप्शन न मिला हो, लेकिन इस खुशफहमी में मन्त्री जी को नहीं रहना चाहिए। पश्चिमी जिलों में जहां चकबन्दी हो रही है वहां इस बात का ध्यान रखा जाय। कहीं ऐसा न हो जाय कि "सर मुड़ाते ही ओले पड़ जायं"। अब जिन जिलों में काम शुरू हो रहा है, वहां हम देखते हैं कि शुरुआत से ही करप्शन पैदा हो गया है। यहां तक कि रिक्रूटमेंट में, क्लर्कों के सेलेक्शन में और अमीनों के सेलेक्शन में करप्शन हो गया है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। शुरू की स्टेज में करप्शन है, इसलिए उन्हें खुशफहमी में न रहकर सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा न हो कि वह खाली खुशफहमी में ही रह जायं।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि मुहकमा माल बहुत अहमियत का है, मैं उस से इत्तफाक करता हूं। लेकिन मन्त्री महोदय ने जो सुनहरी तस्वीर इसकी खींचने की कोशिश की थोड़ा सा मुझे इससे इत्तिफाक नहीं है। आपने यहां तक कह डाला कि शायद अब चकबन्दी कानून को लागू करने के बाद तब्दीली की जरूरत नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जमींदारी खात्मे का कानून जिसे बहुत क्रान्तिकारी कहा जाता है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि उसमें क्रान्ति का जरा भी नाम नहीं है। हां, यह हो सकता है कि जहरीली टिकिया शकर में चढ़ाकर दे दी गयी हो।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए कि इस जमींदारी खात्मे से किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होती है न लगान की वसूली के तरीके में और न किसानों को जमीन में इजाफा हुआ है सिर्फ मिल्कियत बदल गयी है। अभी तक जमींदार मालिक थे, अब उनकी जगह सरकार ने ले ली।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सिलसिले में इंग्लैन्ड के वित्त मन्त्री डाल्टन की बात मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने फरमाया है कि यदि देश की जमीन के मामले में मिल्कियत बदल जाय और लगान की वसूली के सिलसिले में तब्दीली न हो, तो तब्दीली नहीं कहनी चाहिए। इसी तरह से जमींदारी खात्मे को लिया गया है। रेंट का कोई तरीका हमारे सूबे में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भूमिधर या खुदकाश्त या सीर होल्डर्स वगैरा के लगान को देखिये। जिन्होंने दस गुना जमा किया है, उनको देखिये या जो पहले से सीरदार हैं, उनको देखिये। कोई हिसाब नहीं है, कोई पैरिटी नहीं है और बहुत बड़ा फर्क है। एक यूनिफार्मिटी रेट में होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई युनीफार्मिटी नहीं है, तो यह कैसा जमींदारी का खात्मा है। सरकार को चाहिए कि वह उसूल बना ले या जो आयकर के नियम हैं, उनमें यह हो कि किसानों को फायदा पहुंचे या यह उसूल बना लें कि जो छोटी जोत वाले हैं उनको लगान नहीं पड़ेगा या जितनी कम जोत वाले हैं, उनको लगान कम पड़ेगा और जो बड़ी जोत वाले हैं उनको लगान ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है।

जहां तक सर्किल रेट का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि रामपुर में जो सर्किल रेट है, वह दुगुना है दूसरे जिलों से। बदायूं, पीलीभीत आदि जिलों की जमीन में और वहां की जमीन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रेट्स में बहुत फर्क है और इनको बराबर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

जहां तक जमींदारी खात्मे के कानून का सवाल है यह एक पतली सी किताब जिस पर इतना रुपया व्यय हुआ और जिसकी कामयाबी की डींग भी माननीय मन्त्री जी बहुत मारा करते हैं, लेकिन वह इतना इन्कम्पलीट है कि उसमें आये दिन तरमीमें हुआ करती हैं और वह एक मुहम्मद तुगलक की सी स्कीम मालूम होती है। पहले यह था कि जो जमीन के झगड़े होंगे, उनका अदालत माल फैसला करेगी, फिर यह हुआ कि अदालत दीवानी फैसला करेगी। इसी तरह से भूमिधरी की बात है और इसका नतीजा यह होता है कि गरीब देश का बसने वाला किसान इस अदालत से उस अदालत में और इस दरवाजे से उस दरवाजे तक दौड़ता रहता है और उसको कहीं न्याय नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कन्सालिडेशन का सवाल है, उसमें मैं पूछता हूं कि क्या फायदा होगा गरीब का? मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बड़े-बड़े आदमियों का फायदा होगा। जो बड़े आदमी हैं, वे आपकी करप्ट मशीनरी से मिल कर अच्छी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और इसमें गरीब पिस जायगा और इसके अलावा आप टैक्स का बोझ भी उस बेचारे पर लादते जा रहे हैं।

इस के बाद जहां तक तहसील वगैरह में करप्शन वगैरह का सवाल है, उस के बारे में बोलते हुए मन्त्री जी ने जो तस्वीर खींच दी उसका तो क्या कहा जाय? अगर ईमानदारी वहां होती, तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस तो यह है कि जब माननीय मन्त्री जी इस मुहकमे के बारे में इतनी गलतफहमी में हैं तो कैसे इसका सुधार होगा, दुःख इसी बात का है। आजकल तहसीलों में हालत यह है कि वहां पर लेखपाल से लेकर जो वहां का तहसीलदार है, वे सब खूब लूट-खसोट करते हैं और तहसील हैदरगढ़ की तरफ मैं आपकी खास तवज्जेह दिलाना चाहूंगा, वहां कचहरी शाम तक भी नहीं लगती। जब मौज आ जाती है तहसीलदार साहब दो, तीन बजे आ जाते हैं और इन्दराज दुरुस्ती के सैकड़ों और हजारों मुकदमे वहां पड़े हुए हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं होता है और अगर फैसला हो गया, तो वह कार्यान्वित नहीं हो पाता और वह कागजों तक ही रह जाता है। अधिवासी जो बने हैं वे सीरदार हो गये, उन बेचारों को भी लगान देना पड़ रहा है और सीरदार भी लगान देते हैं और जब दोनों टकराते हैं तो नतीजा कुछ नहीं

[श्री रामसेवक यादव]

निकलता, यह आज आपके मुहकमे की हालत है। हैदरगढ़ तहसील में एक गबन हुआ, जिसका पता सरकार को भी न होगा। कई हजार रुपया एक अमीन आया जमा कराने और वह गबन हो गया और जब रुपया गायब हो गया, तो उस तहसीलदार ने उस रुपये को पूरा करने की कोशिश की। गरीब चपरासियों से, छोटे-छोटे अहलकारों से चन्दा वसूल कर के उसको पूरा किया गया। इस तरह की धांधागर्दी चल रही है उनमें, जिनकी ईमानदारी की बात यहां पर माननीय मन्त्री जी इस तरह से करते हैं।

जहां तक काजगात में गलतियों का सवाल है, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां आपने कन्सालिडेशन किया, वहां तो आपने गलतियां पकड़ीं, लेकिन जिन जिलों में आपने कंसालिडेशन नहीं किया, उन के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या वहां के लिए आप यह करेंगे कि गलतियां न पकड़ी जायं, और गलतियां बढ़ती जायं? मैं कहता हूं कि वह बढ़ रही हैं, इसलिए कि जो आपका रेकर्ड रूम है वहां पर आये दिन आपके अधिकारी, जिनकी ईमानदारी का एक बहुत शानदार नमूना आपने खींचा, वह कागजात में फर्जी इन्दराजात कर रहे हैं। मैंने स्वयं आपके पहले के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मौर्य साहब, जब वह बाराबंकी गये थे तो उनको एक ही महफूजखाने से निकले हुए दो काजगात दिये और उन के लिए एक जांच बैठायी गयी थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। वहां पर अहलकारों ने मुझको बतलाया कि यह जो कागज पेश किया गया है, वह सही है जो पहला कागज था और यह नकल गलत है। मैं उनसे स्वयं मिला, लेकिन एस० डी० ओ० तो कन्फर्म है, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है कि जिसकी सब तारीफ करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि यह लेखपाल नहीं, बल्कि लूटपाल हैं और इनको लूटपाल कहा जाय, तो ठीक होगा। खेती करने वालों की दशा आज यह है कि उन को तबाह किया जा रहा है। अगर इसमें कोई शुबहा हो तो उसको दूर किया जाय।

श्री चरणसिंह---आपको सब जगह स्याही ही नजर आती है कहीं पर सफेदी भी नजर आती है?

श्री रामसेवक यादव---स्याही इतनी ज्यादा है कि उसने सफेदी को ढक लिया है। आपने कलेक्शन का जिकर किया कि बहुत अच्छी तरह से कलेक्शन चल रहा है और उसमें ज्यादती नहीं की जाती है और लोगों को परेशानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पहले कलेक्शन बड़ा आसान था, लेकिन आज तो किसानों को गिरफ्तार किया जाता है। जो आपके कलेक्शन करने वाले आदमी हैं वह दो दो आना लेकर जहां जिस तरह से चाहा लोगों से वसूल करते हैं। क्या इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? आपकी जो ग्राम सभायें हैं उनको यह काम क्यों नहीं दिया जाता? उन ग्राम सभाओं का लाभ होगा और इससे ग्राम तरक्की करेंगे। इस तरह से स्कीम चलायें, तो इससे उनका भी फायदा होगा। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री जी जब तजुर्बे में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और फूंक देते हैं तो जो यह छोटी-छोटी गांव सभायें हैं, जो एक हजार और दो हजार के मामले से ही ताल्लुक रखती हैं अगर उनकी ईमानदारी पर भरोसा न किया जाय तो फिर आपका कैसे काम चलेगा?

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इस विभाग द्वारा जमीन सम्बन्धी जो भी कानून बनाये गये, उसका फल यह हुआ है कि जमीन का बटवारा हुआ। फलतः वैधानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप किसानों के पास यदि आज १० बीघा जमीन है तो भूतपूर्व जमींदारों के पास १ बीघा परन्तु विरोधी दल के नेता का आज भी वही पुराना नारा है कि जमीन का बटवारा कीजिये।

आजमगढ़ जिले में साढ़े सात सौ व्यक्ति ऐसे हैं जिन के पास २५ एकड़ या इस से अधिक भूमि है। उनमें अधिकांश को मैं जानता हूं उनका बड़ा परिवार है। ३, ४ बच्चे बालिग हैं,

उनके विवाह होंगे, एक ही पुश्त में उनकी जमीन बंट जायगी। मैं फिर भी इस बात को मानता हूं और माननीय मन्त्री जी भी इस बात को मानेंगे, विचार पूर्वक देखेंगे कि जो थोड़ी सी जमीन उनके पास रह गयी है क्या उसके बांटने से किसानों का कल्याण हो जायगा? यदि उस से कल्याण होगा, तो उसका बटवारा अवश्य होगा और विरोधी दल को इस बात का अवसर नहीं आयेगा कि वह इस तरह से कहें। वह भी बट जायगी।

माननीय सदस्य ने लाल डिग्गी बांध की बात कही। लाल डिग्गी बांध के डिटते समय हम लोग बांध की रक्षा के लिए वहां पर लड़ते रहे। लेकिन उनकी पार्टी का एक भी आदमी नजर नहीं आया। मैंने स्वयं ३०० मील तक टोंस नदी में नाव से भ्रमण किया और बहुत से गांवों में घूमा लेकिन सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आदमी नजर नहीं आया। आजमगढ़, मुहम्मदाबाद, मुबारकपुर या और जगहों पर जहां सब जगह सार्वजनिक कार्यकर्ता कार्यरत थे, लेकिन इस पार्टी का कहीं नामोनिशान नजर नहीं आता था। सन् ७१ की बाढ़ जो सब से बड़ी बाढ़ मानी जाती है उस से इस साल की बाढ़ कहीं ऊंची थी। स्वप्न में भी कोई आदमी यह नहीं सोच सकता था कि इतनी भारी बाढ़ आवेगी। पहले उस समय नदी के किनारे अपार जंगल था जो कट गया। जंगल के कारण पानी धीरे-धीरे बढ़ता था। इतने जोर की बारिश इस बार आजमगढ़, बाराबंकी, फैजाबाद इत्यादि में हुई कि वह नजारा जो कभी न तो किसी इन्जीनियर को या किसी और को देखने को मिला था। ७१ के बाद ७५ में बांध बना। किसी अधिकारी या वर्तमान समय के किसी इन्जीनियर को दोष देना गलत है। लोग समझते थे कि बांध बड़ा मजबूत है। परन्तु दैवी प्रकोप के कारण जो घटना होने वाली थी, उसे कौन रोक सकता था? वह हुई। किसी को दोष देना बिलकुल गलत बात है। मैं पहला आदमी हूं जब बड़े पुल के पास में सड़क ऊंची की जा रही थी और तोमतखे की पुलिया बन रही थी तो मैं बराबर विरोध करता रहा कि क्या तमाशा कर रहे हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि जितने अधिकारी थे, उन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया। मैं भी रात भर जागा और मुझ से जो मदद उन लोगों ने मांगी, वह मैंने की। उन्होंने खूब मेहनत से काम किया। एक और बात कही गयी। १७ जुलाई से बाढ़ बढ़ने लगी। इलेक्शन का उस समय कहीं नाम नहीं था लेकिन उनकी समझ में यही आया कि पार्टीलाइन पर अनाज और सहायता बांटी गयी। उनको अधिकार है कि सदन में चाहे जो कुछ बकें।

श्री अध्यक्ष--कृपया 'बकना' शब्द वापस लीजिये।

श्री शिवराम राय--मैं वापस लेता हूं। किसी ने कभी भी यह नहीं सोचा कि पार्टी लाइन पर गल्ला दिया जाय। मैं चैलेंज करता हूं माननीय सदस्य को। कई माह बाद जिस मुहल्ले में इलेक्शन हुआ, वहां क्या पार्टी लाइन पर गल्ला बांटा गया? सारे शहर में लगभग १,००० मकान गिरे थे। समान रूप से सहायता की गयी टोंस के किनारे, यद्यपि वहां किसी खास पार्टी का एरिया नहीं पड़ता है, परन्तु कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग भी जाकर कपड़ा अनाज इत्यादि बंटवाते थे। सभी लोगों ने बाढ़ के अवसर पर सहायता देने की कोशिश की। मैं माननीय मन्त्री जी से इस बात की सिफारिश करूंगा कि बाढ़ के समय इस बात का प्रबन्ध करें कि तकावी बांटने में कोई कमजोरी या गड़बड़ी न हो। और अधिक अच्छा प्रबन्ध हो जाय, तो अच्छा है। इस से गांव वालों को सुभीता होगी। तकावी जो तहसीलों में जाकर ली जाती है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। मेरा खयाल है कि तकावी का १० फीसदी तो जरूर कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। मैंने कई मर्तबा देखा है और अधिकारियों ने भी कहा है कि या तो मैं रहूंगा या वही रहेंगे। कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी होते देख मैंने कहा था कि या तो मैं रहूंगा या वही रहेंगे वरना काम ठीक तरह से होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ

[श्री शिवराम राय]

ध्यान दिया जाय। चकबन्दी के बारे में मुझे कहना है कि मैंने बटवारे को, गांवों में होते देखा है बंटवारे में इतना रिश्वत देना पड़ता था कि जमीन जैसे पुनः खरीदनी पड़ जाती थी। और चकबन्दी होते देख रहा हूं। मुझे बड़ा सन्तोष है, लेकिन इतनी बात मैं अवश्य कहूंगा कि छोटे-छोटे कर्मचारी, जैसे अमीन और कानूनगो, ये कभी-कभी गड़बड़ी करते हैं। जनता में इतनी जागृति नहीं है कि उसकी गड़बड़ी को दूर करा सकें। इसके लिए सरकार को ही कुछ करना होगा। लेकिन अधिकांश कर्मचारी बहुत ही तत्परता से कार्य करते हैं। मेरी तहसील में चकबन्दी हो रही है। वहां कुछ खामियां हैं और मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अधिक सतर्कता से काम लें और जिले के अधिकारियों को जरा सतर्क रखें, तो ज्यादा लाभ होगा। माननीय सदस्य ने कहा कि घाघरा नदी के किनारे गांव कट गये, लोगों के मकान गिरे और जमीनें गयीं। उनको जो सहायता की जरूरत है वह नहीं हो पाती है। उनके सामने बड़ा संकट है। माननीय मन्त्री जी उस तरफ ध्यान दें। ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो सहायता उनको सरकार की ओर से दी जाती है वह उन तक पूरी और आसानी से पहुंच जाय। उसका ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जिले के कर्मचारी गड़बड़ न कर सकें या रिश्वत न ले सकें। अक्सर २५, ३० या ५० रुपये की तकावी के लिए बीसों मरतबा दौड़ना पड़ता है। पहले जमींदार महाजन कर्जा देते थे तो एक दो बार जाने से ही मिल जाता था। मगर अब बहुत दौड़ना पड़ता है और बेचारे किसान को यह भी नहीं मालूम होता है कि रुपया कहां से मिलेगा। अच्छा हो कि गांव में ही कोई ऐसा तरीका निकले कि वहीं सहायता पहुंच जाय तब जाकर कल्याण होगा। नहीं तो मुसीबत बढ़ती जा रही है और आप सभी काम अपने हाथ में ले रहे हैं किसानों को दौड़ना न पड़े और उनकी परेशानियां न बढ़ें। इसका प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता कि माननीय माल मंत्री जी ने इस प्रदेश में अनेक काम ऐसे किये हैं जिनकी वजह से यहाँ की जनता ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा होती है। जमींदारी का खात्मा, और जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा, किसानों को दिये गये अधिकार और मजदूरों को दिये हुये वे हक जिनसे वे आज अपने छप्पर के मालिक कहलाते हैं, गांव समाज को दिये हुये अधिकार और चकबन्दी की योजनायें सब किसान और गाँव वालों के कल्याण की योजनायें हैं। माल विभाग द्वारा किये गये और भी कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं इस थोड़े से समय में २,३ बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय माल मंत्री जी, अपने मामलों में काफी कठोर हैं, यह भी उनके बारे में सभी जनता जानती है कि लेखपालों के मामले में यह है। लेकिन ऊपर के अधिकारियों में चाहे खराबियां भी हों, लेकिन उनको थोड़ा सा भ्रम है या क्या है कि वह कभी भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि ऊपर के अधिकारियों में भी कुछ करप्शन है। और मेरा यह अनुभव है कि करप्शन जब ऊपर वालों में होता है तभी नीचे वालों का भी साहस होता है वरना नीचे के छोटे कर्मचारी कभी भी रिश्वत नहीं ले सकते। तहसील में तहसीलदार सबसे बड़ा आफीसर होता है और जितने ही ईमानदार तहसीलदार की चर्चा मैंने माननीय मंत्री जी से की है लेकिन जब भी किसी तहसील में कोई तहसीलदार रिश्वत लेने वाला या गलत काम करने वाला पहुंच जाता है तब नीचे के कर्मचारियों का साहस बढ़ जाता है। चकबन्दी की योजना से, जैसा कि कहा गया किसानों का बड़ा भारी कल्याण होगा। मेरी तहसील में भी सौभाग्य से और माननीय मंत्री जी की कृपा से चकबन्दी लागू हो गयी है लेकिन एक ही सेटिलमेंट आफिसर के तबादला होने के बाद वहां की चकबन्दी का स्वरूप ही बदल गया। पहले सेटिलमेंट आफिसर महोदय किसानों में जाकर कहते थे कि जब आप चाहें, मेरे पास आ सकते हैं आप अगर रात को भी आकर मुझे जगायेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। और ऐसा ही हुआ भी। अगर किसी किसान ने रात को भी उनका दरवाजा जाकर

खटखटाया तो वे बेचारे उसी वक्त तैयार हो जाते थे। कितने ही एस० डी० ओज० को उन्होंने मुअत्तिल किया और तबादला किया। लेखपालों पर भी वे बड़े सख्त रहते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि हमने उनके बारे में माननीय मंत्री जी से कई बार कहा कि हमारे यह चकबन्दी का काम संतोषजनक हो रहा है। वह अपने सारे प्रोग्राम वहां के जन सेवकों को कांग्रेस तथा दूसरे दल के कार्यकर्त्ताओं को जो इसमें दिलचस्पी रखते थे, उन सबको भेज दिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह हुआ कि उनके भाई की मृत्यु हुई और उनके स्थान पर नये सेटिलमेंट आफिसर साहब तशरीफ लाये। भगवान की कृपा कि उन्होंने आने के बाद ही जनता में यह कहना शुरू किया कि मैं किसी भी कर्मचारी का तबादला करने के पक्ष में नहीं हूं। और उसके बाद ही ए० सी० ओज० के रिश्वत लेने का दौर शुरू हुआ और इसके बारे में अनेक सबूत हैं। इस प्रकार से चकबन्दी को जो प्रशंसा हमारे यहां थी, वह बिल्कुल खत्म हो गई है। जब कि किसान उनके पास जाता है तो वह हल्फी बयान लेना पसंद करते हैं। माल मंत्री जी के जब सख्त आर्डर्स हुये तब उन्होंने गांव में जाना शुरू किया। लेकिन उनका तो दिमाग ही इस किस्म का बना हुआ है कि वे सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी की सुनते ही नहीं हैं। इसी का यह परिणाम है कि जब सिकन्दराबाद की तहसील में माननीय मंत्री जी गये तो सब लोगों ने वहां की चकबन्दी के बारे में उनसे शिकायत की। लोगों ने उनको बताया कि जो प्रचार पहले सेटिलमेंट आफिसर ने किया था इन्होंने उसको बिल्कुल बदल दिया। इस समय वहां पर इतनी रिश्वत चल रही है कि अगर जांच कराई जाय तो कितने ही कर्मचारी बरखास्त हों।

श्री चरणसिंह––बावजूद कई बार कहने के भी आपने कभी भी लिखकर तो नहीं दिया।

श्री रामचन्द्र विकल––मैं सबको तफसीलवार लिख कर दूंगा। मैं यहां भी उसको कहने के लिये तैयार हूं। जब पहले चकबन्दी शुरू हुई थी तो तमाम चकबन्दी अधिकारी किसी गांव में पानी भी नहीं पीते थे। हम उनसे कहते थे कि आपको डेढ़ साल तक काम करना है। पानी पीना और खाना-खाना यह रिश्वत में नहीं हो सकते। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के नोटिस के लिये मैं बता देना चाहता हूं वे इस बात की जांच करा लें। आज पानी की कौन कहे ए०सी० ओज० को शराब दी जा रही है। इस प्रकार मैं उनसे विनम्र शब्दों में कहता हूं, जैसा वह कहते हैं कि यह बड़ा भारी कठिन कार्य है, जमीन का तबादला करना किसान को अखरता है, और यह भी मानता हूं कि किसान रिश्वत देता है पर उसको इस दोष के लिये मजबूर किया जाता है उससे चकों के काटने के नाम पर रिश्वत ली गयी है। यह बहुत जरूरी है और यह बहुत खतरनाक स्टेज है और बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और जो सुधार वह इसमें ला सकें तो हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इसके अलावा मैं बाढ़ के संबंध में भी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ आया करती है और जमुना गंगा और हिन्डन आदि बड़ी नदियां जो हैं उन में हर साल प्रायः बाढ़ आती है और हर चौथे पांचवें साल तो बहुत ही भीषण बाढ़ आती है जिस से तमाम गांव और फसल बरबाद हो जाती है और इस साल की बाढ़ का अनुभव तो मंत्री जी को भी है। हमारे इलाके में और पच्चिमी जिलों के दूसरे इलाकों में दिल्ली से लेकर ऐसी बाढ़ आई कि वह प्रदेश से बिल्कुल कट गये और दिल्ली से भी अलग हो गये और जब अम्बाला और दिल्ली से सहायता के लिये कहा गया और तब हवाई जहाज से सामान गिराया गया लेकिन अफसोस है कि हमारी मांग के बावजूद फलड कमेटी में कोई भी मेम्बर हमारी तरफ का नहीं रखा गया और जब भी कोई जानकारी कराई जाती है तो पश्चिमी जिलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और किसी से नहीं पूछा

[श्री रामचन्द्र विकल]

जाता है कि उधर क्या तकलीफ और परेशानी लोगों की है लेकिन बात यह है कि हमारी तरफ के किसान ज्यादा रोना पीटना नहीं जानते और उनका ऐसा स्वभाव बना हुआ है और इसी कारण से सरकार का ध्यान उस तरफ कम जाता है वर्ना वहां भी बाढ़ के इलाके में तमाम मकान गिरते हैं, बीमारी फैलती है, मवेशियों को चारे की तमाम तकलीफ होती है और वह सब बरबाद हो जाता है। हमारे जिले में जमुना की बाढ़ से जो बरबादी आती है वह सब जानते हैं लेकिन जो सहायता वहां के लिये दी गई उस की चर्चा मैं अवश्य करना मुनासिब समझता हूं और उसके लिये हम मंत्री जी के कृतज्ञ हैं, वहां तकावी भी दी गई और मालगुजारी भी माफ की गई, माननीय माल मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां गये लेकिन वहां के लोगों को इतने से सान्त्वना नहीं हुई है। वहां पर अभी कोई योजना बाढ़ को रोकने की, गांवों को ऊंचा उठाने की और मवेशियों और आदमियों को बीमारियों से बचाने की नहीं बनाई गई है इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को प्रदेश में जो कार्य उन के विभाग द्वारा हुये हैं उनके लिये बधाई देता हूं।

श्री खयालीराम (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय माल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अभी हम ने माल विभाग के संबंध में कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने, लेकिन मेरा इस मामले में बिल्कुल विपरीत तजुर्बा है। सब से पहले मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सीमित साधनों के रहते हुये भी हमारे प्रदेश में जितने उन्नति के काम हुये हैं और हमारी सरकार ने जितने उन्नति और विकास के कार्य यहां किये हैं उन सबको अगर मिला लिया जाय तो उस में से ५० प्रतिशत कार्य तो अकेले माल मंत्री जी के ही निकलेंगे। हमारे प्रदेश की ८५ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। उसके कल्याण और विकास के लिये यहां तमाम कार्य किये गये हैं और उस में दो तीन बातें विशेष हैं। एक तो जमींदारी का विनाश दूसरे चकबन्दी और तीसरे पंचायतों का काम। इसमें से पहली २ चीजें तो केवल माल मंत्री जी से ही संबंधित हैं और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जमींदारी बिनाश के बाद हमारे प्रांत के किसानों और देहात में रहने वाले मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में एक आमूलभूत क्रांति हुई है और समाजवाद की जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं वह इन दो बातों के आधार पर ही करने जा रहे हैं जिसपर समाजवाद की रचना प्रांत में हो रही है।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने देखा कि चकबन्दी के संबंध में यहां बहुत सी बातें की गई। इस संबंध में मैं तो यह कहने को तैयार हूं कि इस प्रदेश में जो विकास और प्रसार क्षेत्र खोले जा रहे हैं उनका पूर्ण विकास और उन्नति तब तक नहीं हो सकती जबतक चकबन्दी योजना को हम अमल में न लायें। मैं समझता हूं कि २५ प्रतिशत विकास तो उस क्षेत्र की चकबन्दी होने से ही स्वयं हो जाता है क्योंकि वहां के जो रात-दिन के झगड़े हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाते हैं और यदि चकबन्दी में काश्तकारों की जमीन एक जगह हो जाती है तो वह उसके लिये आबपाशी और खाद आदि के साधन ठीक कर लेता है और जो आज रास्ते आदि की समस्या है वह भी इस प्रकार थोड़ी सी कोशिश करके ठीक की जा सकती है और वह चकबन्दी से हल हो सकती है। इसी प्रकार से गांव के विकास के लिये जो चीजें हैं वे सारी चीजें स्वयं चकबन्दी के अन्दर आ जाती हैं। मैं स्वयं अपने साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले की एक तहसील में चकबन्दी का कार्य हो रहा है और वह जल्दी ही मेरे खयाल से समाप्त होने जा रहा है। मैं यह अनुभव करता था कि जब चकबन्दी का कानून बना कि पता नहीं इसमें कितना भ्रष्टाचार हो जायगा लेकिन जब अपने जिले की तहसील का चकबन्दी का कार्य देखा तो मैं आश्चर्य में रह गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां चकबन्दी के कार्य में ९९ फीसदी ईमानदारी से कार्य हो रहा है और वहां लेखपाल, नायब तहसीलदार या कोई भी चकबन्दी अधिकारी हो उस पर एक किस्म का भय सा छाया हुआ है कि कोई गलती उसने की नहीं कि वह बरखास्त कर दिया जायगा।

पहले मैं यह समझता था क्योंकि वह तहसील मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं थी कि शायद बाहर से शिकायतें न मिलती हों इसलिये वहां जा कर देखना चाहिये तो मैंने उस तहसील में एक हफ्ता लगाया, बहुत से हमारे निजी कार्यकर्त्ता थे और कुछ रिश्तेदारियां थीं उनमें बैठा और एक हफ्ते तक रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़ी ईमानदारी से वहां कार्य हो रहा है। और कोई जरा सी गल्ती करता है तो फौरन उसके खिलाफ जांच होती है और जो जांच नीचे के अधिकारी द्वारा होती है उसी की जांच से संतोष नहीं होता है, बल्कि चकबन्दी अधिकारी फौरन मौके पर जाकर जांच करता है। जनता इतनी संतुष्ट है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। इतनी ईमानदारी से वहां पर कार्य हो रहा है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। माननीय मंत्री और अधिकारी वर्ग से यह कहना चाहता हूं कि जो तरीका चकबन्दी में भ्रष्टाचार के न घुसने देने के लिये अख्तियार किया गया, वह यदि सारे माल विभाग में इस्तेमाल किया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें जरूर सफलता होगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो बात है उसमें अपनी तरफ भी देखना चाहिये। मेरी निश्चित राय है कि भ्रष्टाचार समाप्ति का कार्य शासन के ऊपर छोड़ दिया जाय कि वह उसे दूर कर देगा तो मैं स्पष्ट कहने के लिये तैयार हूं कि किसी शासन में यह शक्ति नहीं है कि वह भ्रष्टाचार दूर कर दे क्योंकि इसके लिये जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह नैतिक स्तर की है। जब तक वह ऊंचा न हो तब तक शासन कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि भ्रष्टाचार दूर करने में आर्थिक व नैतिक स्तर का आन्योन्याश्रित एक दूसरे से संबंधित हैं एक जनता का नैतिक स्तर ऊंचा हो, दूसरे देश की जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। जब तक यह चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, जब तक यह न हो तब तक भ्रष्टाचार दूर करने की कल्पना नहीं की जा सकती। रहा यह कि कुछ आदमी यह कहते हैं कि चीन ने तो भ्रष्टाचार दूर कर दिया तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो चीन ने तरीका इस्तेमाल किया है वह हम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते आप किसी को गोली से शूट नहीं कर सकते। जब कि आप जानते हैं कि एक कर्मचारी ४५ रुपया पाकर एक रुपये की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या उसे गोली से शूट कर देंगे। क्या आप यह नहीं समझते कि वह ५० रुपये में अपनी या अपनी बीवी का खर्चा चला सकता है? मेरे यह कहने का यह मतलब नहीं कि हम उन के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें या सरकार न करे। सरकार तो इसके बावजूद जिसको शिकायत मिलती है जहां तक हो सकता है उसकी इंक्वायरी करती है और साबित होने पर दंड दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति हमारे देश की सम्भल जाय और हम उनको इतनी पे दे सकें जिससे कि वह समझ सकें कि वे अपनी जीविका चला सकते हैं, अगर इतनी पे देने पर भी भ्रष्टाचार करते हैं तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है। रहा समाजिक जीवन, जब हम कोई शिकायत करते हैं तो कम से कम गवाही की आवश्यकता होती है और जब तक वह शिकायत साबित न हो तब तक कोई भी अधिकारी हो उसको दंड नहीं दे सकता। सिद्ध करने की स्थिति आज यह है कि हम शिकायत तो कर देते हैं लेकिन फिर बाद में शिकायत को साबित नहीं कर पाते। आज हमारी जनता की स्थिति यह है कि केवल यही नहीं सत्य है कि कर्मचारी रिश्वत लेते हैं बल्कि जनता भी रिश्वत देती है। मैं बतलाना चाहता हूं एक उदाहरण के रूप में, कि मैंने माल विभाग के तहसीलदार की शिकायत की और मैं जानता हूं कि वह शिकायतें बिल्कुल ठीक थीं। लेकिन जब उनकी जांच हुई तो जो शिकायत करने वाले हैं, जिनसे रिश्वत ली गयी, मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने तहसीलदार से रिश्वत ले ली। लेकिन किसी न किसी प्रलोभन में आकर के मुकर गये। ऐसी स्थिति में यह जानते हुये कि यह भ्रष्टाचारी है, लेकिन अगर सिद्ध न हो तो किस प्रकार उसको दंड दिला सकते हैं। मैं आपको इसी तरह की एक और बात बता देना चाहता

[श्री खयालीराम]

हूं। मैं गन्ना विभाग में निरीक्षक था। वहां मैंने चालान किया अंडरवेमेंट का। लेकिन उस गवाह के अलावा जिसकी वह गाड़ी थी, उसके अलावा और किस को वहां गवाह बनाया जाता वही काश्तकार रिश्वत ले लेता है मुलजिमों से जिनके खिलाफ वह केस था। और वह अपनी गवाही बदल देता है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि जब तक नैतिक स्तर ऊंचा न हो तब तक हम उसको दूर नहीं कर सकते। चाहे ज्यादा पैसा दे दें, लेकिन जब तक नैतिक स्तर ऊंचा नहीं है तो ज्यादा पैसा मिलने के बावजूद भी, जबतक उसमें चरित्र न हो, तब तक ईमानदारी नहीं आ सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भ्रष्टाचार की बातें कहीं गयी हैं, उसमें जहां सरकार को सचेत करने का प्रयत्न करना चाहिये उससे अधिक हमें समाज में जाना चाहिये और जनता के अन्दर यह प्रयत्न करना चाहिये कि उसके अन्दर नैतिक स्तर हो और वह कर्मचारियों को रिश्वत लेने के लिये मजबूर न करें।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, यह, वादविवाद के संबंध में मैंने देखा कि बहुत सी बातें ऐसी कही गयीं जिनके संबंध में इस सदन में बहुत पहले से उन पर प्रकाश डाला गया था। मान्यवर, मैंने यह भी सुना कि भूमि वितरण के संबंध में और उसके विषय में यह कहा जाता है कि उसका होना परमावश्यक है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं और मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि जहां तक इसका प्रश्न उठता है, आंकड़ों के संबंध में ज्यादा न जा कर सिर्फ अगर मैं इतना ही कहूं कि उससे बहुत कम लोगों को फायदा पहुंच सकता है, बहस के लिये भले ही कुछ कहा जाय, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कितने लोग हैं जिनके पास इतनी भूमि है कि जिससे लेकर दूसरों को दी जाय।

श्री चरणसिंह--आंकड़े आ गये न?

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मैंने कहा, श्रीमन्, यह भी अगर कहा जाय जैसा कि बताया गया है और दूसरी तरफ से कहा गया कि लैंड पर एक सीलिंग भी होनी चाहिये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कि यह नारा है, एक स्लोगन है, जिससे हमारे माननीय मंत्री महोदय को अच्छी तरह सचेत रहना चाहिये। अगर आप सीलिंग आफ दि लैंड इस समय करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। एक तरफ श्रीमन्, न तो पुराने जमींदारों ने कोई डकैती की और न उन्होंने कोई ऐसा काम किया, बल्कि उनका एक अधिकार था वह ऐसा था कि भारतीय संविधान या किसी के भी प्रतिकूल नहीं था, बल्कि अनुकूल था। जमींदारी टूटने के बाद उन्होंने अपने पुनर्वासन के लिये फार्म्स बनाये। कोई नियम नहीं, न किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया न किसी भी कानून का विरोध किया गया। एक चीज उनके पास थी उन्होंने रुपया लगाया और यही नहीं इनवेस्टमेंट जो है वह काफी तादाद में है। अब उसके बाद जब आपने यह देखा तो दूसरी तरफ से यह आवाज है कि आज सीलिंग आफ दी लैंड होना चाहिये। अगर आप यह करते हैं तो यह न भूलिये कि आप उत्पादन में एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे उत्पादन को क्षति पहुंचेगी। मैंने माना कि हाथ हिलाना और मुंह बनाना यह तो एक ऐसी चीज है जिसके लिये मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन नतीजा यह है कि उधर बुद्धि तब आती है जब केस खत्म हो जाता है। यही नहीं, यह सुनाई देता है कि बहुत से मुल्क रशिया या चाइना उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया और उसको आगे रख कर अग्रसर हुये। लेकिन दुर्भाग्यवश यह हमारे मित्रगण जो दूसरी तरफ बैठे हुये हैं सोचते नहीं समझते नहीं कि कहां जा रहे हैं। कभी वह श्री झारखंडेराय के वशीभूत हैं, कभी श्री गेंदासिंह के वशीभूत हैं और कभी इनको प्रसन्न करना है। वह जनता को कहां तक लाभ पहुंचा सकेंगे इससे कोई मतलब नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैंने यह देखा है कि गलतियां दुनिया में सभी करते हैं और बहुतों को पश्चाताप और ग्लानि होती है, लेकिन हमारे मंत्री महोदय उनमें से हैं जो कभी गलती कबूल नहीं करते और अगर कबूल कर लें तो पश्चाताप या फिर उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते। उन्हीं के जो मित्र उधर बैठे हैं वे कहते हैं कि आपने जमींदारी तोड़ दी, क्या फायदा किया ? आपके बहुत से साथी हैं जो कहते हैं कि जमींदारी टूटी लेकिन किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। चकबन्दी के संबंध में आपके दल के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है उसी तरह के माननीय खूब चन्द अपनी तहसील में बता रहे थे तो श्रीमन्, मंत्री जी को क्रोध न उत्पन्न हो, कोई ऐसी गलती न करें, मैं केवल समझाना चाहता हूं, वह देखें और सोचें कि आखिर वह क्या कर रहे हैं। अगर अवधेशप्रताप सिंह कहते हैं तब तो ठीक है कि उनका वेस्टड इंटरेस्ट है, लिहाजा उनके कहने का कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ आपको मैं नेक सलाह देना चाहता हूं। जब कि आपके दोस्त ही जो आप करते हैं उसको नहीं मानते हैं तो गलतियों को क्यों बारबार दोहराते चले जाते हैं। डिस्ट्रिब्यूशन आफ दी लैंड या सीलिंग आफ दी लैंड ऐसी चीज है जो यह न समझें मुमकिन है १० साल बाद समझें कि यह गलती करते चले जा रहे हैं, और नासमझी अगर वह करना चाहते हैं तो रोकें नहीं। यह मैजारिटी में जो बैठे हुये हैं किसी के सुनने समझाने से मानते हैं ? मैं कोसूं किस बात के लिये, मेरे कोसने का उनको मलाल नहीं हो सकता।

श्रीमन्, अब तीसरी बात यह कहनी थी समयाभाव के कारण कहीं मैं उसे कह न पाऊं कि भूतपूर्व जमींदारों के संबंध में मुझे यह कहना है कि जो कुछ भी प्रतिकर दिया गया वह आज भी श्रीमन्, ५० फीसदी से कम है। जमींदारी टूटे हुये आज चार वर्ष हो रहे हैं और यह कहा जायगा कि दूसरे सूबे में तो कुछ नहीं दिया, जब कि हमने ५० फीसदी तो दे दिया यह तर्क है जो कि माननीय माल मंत्री महोदय दो मिनट बाद या १० मिनट बाद इस सदन के सम्मुख रखेंगे लेकिन यह श्रीमन्, किन कठिनाइयों से वह रुपया मिलता है और किन कठिनाइयों और कष्ट और दुख के साथ जब लोग यह बांड्स पाते हैं, तो आज उसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वह उसे आधे या तिहाई दामों में बेंचे। यह मैं समझता हूं श्रीमन्, कि कोई जमींदार मूर्ख नहीं है कि वह जाकर १०० रुपये का बांड चालीस या पचास रुपये पर बेंचें लेकिन जो मजबूरियां उसके सामने हैं उनके आगे उसको झुकना पड़ता है। श्रीमन्, उसके पास बुद्धि भी है, वह अर्थशास्त्र भले ही न समझे, लेकिन तो भी लाभ व हानि का कम से कम उसको परिज्ञात तो होता ही है। परन्तु दुर्भाग्यवश वह मजबूर है, उसके पास कोई और साधन नहीं, कोई और उपाय नहीं। तो निस्सहाय होकर और निरुपाय होकर आज वह छोटे-छोटे बनियों के हाथ में उन बांड्स को बेंच रहा है। यही नहीं मैंने माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर पिछले साल भी आकृष्ट किया था। लेकिन वह फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके आब्जेक्शंस से अगर बेड़ा पार हो सके, वह अगर इसके लिये जरूरत समझ सके कि सरकार बांड्स के अगेंस्ट कुछ रुपया एडवांस कर दे तो उसके इस बाजार में भी इसका एक भाव हो सकता है। तकावी में अगर वह कुछ रुपया इन बांड्स के खिलाफ एडवांस या लोन के रूप में दे। सकें तो मैं इस सदन में यह अधिकारपूर्वक कह सकता हूं कि कल बाजार में भी इसका भाव बढ़ जायगा इन बांड्स को जिस उद्देश्य से दिया गया है, क्या वह यही था कि एक हाथ से बांटकर दूसरी तरफ से कुछ थोड़े से लोगों के पास जो कि अपने को पूंजीपति कहते हैं उनके पास यह धन जाय। अगर जमींदारों से उनकी सम्पत्ति ली गई तो एक तरफ अगर आपने उन्हें प्रतिकर दिया हालांकि आप उसे भले ही प्रतिकर मानते हैं लेकिन वह मैं यह कह सकता हूं कि कान्फिस्केशन था, लेकिन जो कुछ भी आप उसे कहते हों, जो कुछ उसमें मिलता भी है अगर उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है तो यह इस सरकार की जिम्मेदारी और सरकार जो इस जिम्मेदारी से भाग रही है इसका जवाब उसके पास आगे चलकर कुछ न होगा। रिहेबिलिटेशन ग्रांट के संबंध में मुझे यह कहना है कि

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

वह ग्रांट जमींदारी टूटने के दिन से नहीं दी जा रही है, बल्कि जब से कि वह रोल तैयार हो जायं तब से दी जा रही है और साथ ही साथ यह डिस्क्रिमिनेशन भी है कि जहां पर चैरिटेबुल इंस्टीट्यूशंस है या बड़े बड़े महन्त हैं या बड़े बड़े दिगज मठाधीश लोग हैं जो कि उतने ही बड़े गुनहगार है जितने बड़े कि जमींदार कहे जाते है तो उनको तो यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट उस दिन से दी जा रही हैं जिस दिन से उनकी सम्पत्ति जब्त हुई। तो जब एक तरफ आप यह चिल्लाते है कि भेदभाव इस देश में नहीं है, इस प्रदेश में नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नारा बुलन्द करते है तो दूसरी तरह यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो जहां तक उसका संबंध है माननीय मंत्री महोदय का दोष उतना नहीं है इसमें जितना कि कैबिनेट का या फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। क्यों नहीं वह इसकी तरफ ध्यान देते हैं? क्या ये बांड्स रद्दी के टुकड़े हैं। तहसीलों में जाकर देखा जा सकता है कि बड़े बड़े सेठ साहूकार वहां जमे हुये हैं और जैसे ही जमींदार वहां से निकले अगर उनको बांड मिल चुका है तो वह उसी तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं जैसे कि घाट पर पंडे किसी के पीछे पड़ते हैं। कोई कहता है कि ३० को दोगे कोई कहता है कि ४० को दोगे? जमींदारों ने भी श्रीमन्, रुपया देखा है, लेकिन आज यह पूंजीपति बनिये उसको रुपये दिखाते हैं और लालच देते हैं। श्रीमन्, समय नहीं है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है उसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में जहां चकबन्दी का कार्य आपने शुरू किया है मैं उसके सम्बन्ध में समय समय पर वहां के कार्यों के सम्बन्ध में आगाह करता रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मन्त्री जी की तरफ से जो व्यवस्था चकबन्दी की की गयी है वह जनता के हित की दृष्टि से की गयी है और इसमें भी शक नहीं है कि जो कर्मचारी वहां पर कार्य कर रहे हैं वे बहुत मेहनत और परिश्रम से कार्य कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि जनता का हित हो। जहां तक चकबन्दी अधिकारी का सम्बन्ध है उनका एक ध्येय रहा करता है कि यह कार्य सुचारु रूप से, और शान्तिपूर्ण ढंग से इस तरह हो जिस से जनता को सुविधा हो और उसका हित हो, परन्तु कुछ वातावरण में वहां जो खराबी होती है वह वहां की पार्टीबन्दी और गुटबन्दियों के कारण होती है। जनता में आज यह मानवना नहीं है कि देश में जो आजादी प्राप्त हुई है उस आजादी के लिए जिन लोगों ने प्राणों को गंवाया है और जिन लोगों ने उसको कामयाब बनाने के लिए तकलीफें उठायी हैं वह इसी लिए कि जनता हर प्रकार से सुखी रहे। तो उस ध्येय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो योजना बनायी वह जिन लोगों के लिए बनायी है उनकी शिकायतों को सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अपने सरल किन्तु प्रखर भाषण में जौनपुर में जाकर जनता को समझाया है और जनता भी उनके समझाने बुझाने से प्रभावित हुई और सरकारी कर्मचारियों में कुछ लग्न के साथ काम करने की मनोवृत्ति आयी है, लेकिन जहां तक कि कुछ निम्न कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनमें यह भावना नहीं आयी है और उनके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने इशारा किया है कि जब माननीय मन्त्री जी जिलों में जाते हैं अपने दौरे के सम्बन्ध में तो जहां वे कर्मचारियों की खूबियों का बखान करते हैं और सरकार के बनाये हुए कानूनों का वर्णन करते हैं वहां उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जनता में किस प्रकार का असन्तोष है, जनता क्या चाहती है। जनता में काम करने वाले जो लोग हैं, वे ईमानदारी से काम करते हैं या बेईमानी से काम करते हैं या पक्षपात से करते हैं। इस बात की खोजबीन उन्हें अवश्य स्वयं करनी चाहिए और यदि वे स्वयं नहीं कर सकते हैं तो उन सब बातों का विश्वस्तरूप से पता लगाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान कार्यों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसके लिए जमींदारी खास तरीके से मिटायी गयी। सरकार का एक ही ध्येय था कि जमींदारी खत्म की जाय और गरीबों का उसकी वजह से हित हो। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जिनके पास काफी जमीन है या जो भूतपूर्व जमींदार थे या जिनके पास जमीन बची है उनसे वह

निकाल कर उन गरीबों को दे दी जाय जिनके पास नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जमीनें आज जिनके पास है वह उनके पास रहें, और उन जमीनों से वे फायदा उठावें, लेकिन जो जमीन कानून द्वारा और वैधानिक रूप से जिनको प्राप्त हो चुकी है उनमें देखना है कि कहां तक सफलता प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है तो मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जो आपके बनाये हुए कानूनों के अनुसार गरीबों को जमीनें मिल पायी है, उनके लिए क्या-क्या दिक्कतें हैं और कुछ तो सरकारी कर्मचारी ऐसे जरूर हैं जो चाहते हैं कि जिनका हक है और जिनका कागज में इन्दराज है और मौकेपर काबिज हैं उनको जमीन अवश्य मिले, लेकिन कुछ ऐसे उनमें हैं कि वह नहीं चाहते हैं चाहे उनका कागज में इन्दराज है मौके पर काबिज हैं, लेकिन उन की आत्मा खुद नहीं कहती कि यह जमीन उनके हक में जाय उनकी नीयत खाम है । कुछ हैं जिन की शिकायत मैं माननीय मन्त्री जी से कर चुका हूं उनकी जांच भी हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके अभी तक मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे इतना ही सामना नहीं करना पड़ रहा है बल्कि यहां तक कि गरीब बेचारों को जो कानूनों की रक्षा करना चाहते हैं जो सरकार के बनाये हुए कानूनों से फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें यहां तक तकलीफ उठानी पड़ रही है कि उस प्रसंग को लेकर उनके ऊपर तरह-तरह के मुकदमे चलाये जा रहे हैं, तरह-तरह के जाल में उनको फांसा जा रहा है, तरह-तरह के दुःख उनको दिये जा रहे हैं । वह जनता आज परेशान है । उनके लिये कोई रास्ता दिखलाने पर और सरकार की तरफ से जो इस बचत के लिए थाने बनाये गये हैं या और सरकारी कर्मचारी रखे गये हैं उनके यहां भी अगर जनता की तरफ से कोई पुकार जाती है, तो उनमें भी इतनी जागृति नहीं है या मैं उनकी कमजोरी कहूं या क्या कहूं कि वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती । वे जानते हैं कि उनका मौके पर कब्जा है, कागज में उनके नाम इन्दराज हैं, उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन न मालूम क्यों वे सच्ची रिपोर्ट देने की हिम्मत नहीं करते, वे सही रिपोर्ट सरकार के सामने आने नहीं देते हैं । तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरकार की तरफ से जो कानून बनाये गये हैं, जो योजनायें बनायी गयी हैं, यह मैं मानता हूं कि वे बहुत अच्छी हैं, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, सब लोग उनकी सरहाना करते हैं, लेकिन वे इस बात का भी प्रयास करें कि उनमें कहां तक कामयाबी हो रही है ।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान जौनपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की तरफ ले जाना चाहता हूं । इसमें शक नहीं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जो कुछ भी हो सकता था, बहुत काफी मात्रा में सहायता पहुंचायी गयी, लेकिन जो वहां गांव ऊंचे किये जा रहे हैं, तो गांव ऊंचे होने के बाद मकान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी । वे मकान तभी बन सकते हैं जब सरकारी सहायता मिले । वह सरकारी सहायता तकावी के रूप में मिलनी अवश्य चाहिए लेकिन जो तकावी अभी तक सरकार की ओर से मिलती है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उससे गरीबों का फायदा नहीं हो पाता है । इस लिए जो तकावी दी जाय, उस से कम से कम उन गरीबों का फायदा तो अवश्य हो जो बाढ़ में बिलकुल ध्वस्त हो चुके हैं और जिनके लिए सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके गांव ऊंचे करने की व्यवस्था की है । अभी अगर किसी को १०––५, रुपये मिल भी गये, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । इसके अलावा जो रुपया देने के लिए सरकार की तरफ से योजना बनायी गयी है उसमें ऐसे फार्म हैं कि जब तक उसको पूरे तरीके से ६ आदमी मिल कर भरें न तब तक वे रुपया पा नहीं सकते । तो गरीबों के लिए इसमें बड़ी कथिनाई है । इस लिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था सोच कर निकालें जिस से गरीबों की कठिनाई दूर हो और उनको कुछ फायदा हो । इस से ज्यादा मुझको और कुछ नहीं कहना है ।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने आज सदन में सब महानुभावों के भाषण सुने, मगर पर्वतीय प्रदेश के बारे में अभी तक किसी का भी भाषण नहीं हुआ। वहां की कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको इस सदन के सामने रखना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं उन विषयों पर ही अपने को सीमित रखूंगा। मैंने प्रश्नों के दौरान में और पहले भी इस सदन में यह चर्चा की कि पर्वतीय प्रदेश में अन्न का बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है चारों जिलों में लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं। वहां अनाज न मिलने से समस्या दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। तो आज यह दुर्भिक्ष सहायता का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है। इसके अन्तर्गत मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। अब तक जो सब्सिडाइज्ड अनाज मिला करता था, उसके एक साल से बन्द हो जाने से वहां की परिस्थिति काफी बिगड़ गयी है और वहां अनाज न मिलने से लोगों में भूख का भय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और खाने की कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। इसी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा गल्ला तो भेजा गया है, लेकिन देखना यह है कि जहां यह अनाज के गोदाम खोले गये हैं, उनसे वहां के लिए यथोचित प्रबन्ध हो सका है या नहीं, सब्सिडाइज्ड ग्रेन के जो गोदाम बने हैं वह खास कर अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बने हैं, इनसे इन्टीरियर को कोई फायदा नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जो तिब्बत से मिला हुआ है। खासकर इन्डो तिब्बतन बार्डर के लिए कहा जाता है कि जो गल्ला वहां लोगों को मिलेगा और उसको वह अपने भाड़े से ले जायं, तो वह कम से कम ४० रुपये मन पड़ेगा। यह सदन स्वयं समझ सकता है कि कैसे वहां की गरीब जनता जिनके पास पैसे नहीं हैं ऐसे मंहगे गल्ले को लेकर भूख की रक्षा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखें, क्योंकि ५ बज गये हैं। अब ७ मिनट और आपके बाकी हैं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की नामावली

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। यह सूचना चेयरमैन विधान परिषद की ओर से आयी है, जो इस प्रकार है:---

"महोदय,

विधान परिषद की नियमावली के नियम ११८ (३) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मार्च, १९५६ की बैठक में शिक्षा मन्त्री का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है:---

'उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५६ के गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक की दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है :

(१) श्री जगन्नाथ आचार्य
(२) श्री काशीनाथ पांडेय
(३) डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव
(४) श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी
(५) श्री परमात्मानन्दसिंह
(६) श्री रामनन्दनसिंह
(७) डाक्टर ईश्वरीप्रसाद
(८) श्री हृदयनारायणसिंह ।"

तो इस सूचना के बाद नियम के अनुसार इस सदन का भी यह अधिकार है कि इस सदन की ओर से सदस्यों का, मैं समझता हूं कि निर्वाचन हो जाना चाहिए । शिक्षा मन्त्री जी प्रस्ताव कब करेंगे आज या कल ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---अध्यक्ष महोदय, कल ।

श्री अध्यक्ष---कल ५ बजे के बाद यह विषय रख दिया जायगा ।

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)----श्रीमन्, 'वारणसीय' इसमें गलती से छप गया है ।

श्री अध्यक्ष---पहले भी यही छपा था । सही क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---वारणसेय है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

इस समय हम यह अनुरोध करेंगे कि इस पर जनरल डिस्कशन उस समय हो जब कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आजाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तापव का समर्थन करता हूं । क्योंकि मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि इस पर बाद को बहस होगी और आपने भी कह दिया था कि इस पर बाद को जनरल बहस हो सकेगी । इसलिए हम बाद को ही बहस करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---तो सदन की इस विषय में अनुमति है कि इस के ऊपर आम वाद-विवाद जो है वह सेलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन आ जाने के बाद हो ।

अब प्रस्ताव इस प्रकार है :---

प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ।
२१ मार्च, १९५६ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

---

*२१ नवम्बर, १९५५ को कार्यवाही में छपा है ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)।

आजमगढ़ जिले में करघा उन्नति के लिए सन् १९५४–५५ में तथा इस वर्ष अब तक सरकार द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनका विवरण निम्नलिखित है :—

(१) निम्नलिखित करघा सहकारी समितियां बनायी गयीं :—

(अ) करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़।
(ब) करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, पूर्वाज, आजमगढ़।
(स) करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, छतरपुरा, आजमगढ़।
(द) हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, फूलपुर, आजमगढ़।
(ह) बुनकर सहकारी एसोसिएशन, लिमिटेड, चिरयाकोट, आजमगढ़।
(न) मोहम्मदाबाद-खैराबाद हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, आजमगढ़।

२—निम्नलिखित बिक्री केन्द्र खोले गये :—

(क) बिक्री केन्द्र, आजमगढ़।
(ख) बिक्री केन्द्र, कोपागंज, आजमगढ़।

३—मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़, में रंगाईघर खोला गया।

४—निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गयी।

(अ) बिक्री केन्द्रों के लिए अनुदान :—

	रु०	आ०	पा०
(१) बिक्री केन्द्र, मऊनाथभंजन	२,२७५	०	०
(२) बिक्री केन्द्र, घोसी	२,२७५	०	०
(३) अन्सार कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, खैराबाद बिक्री केन्द्र	३,०००	०	०

(ब) उन्नतिशील यंत्रों के लिए अनुदान :

(१) डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड मऊ	८५०	१२	०

(स) ऋण:—

विभिन्न करघा सहकारी समितियों को	३२,१९५	०	०

(द) रिबेट (छूट)—

(१) जिला हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लि० मऊ, आजमगढ़	४९,३२५	८	३
(२) हिमातुल अन्सार करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० गोपागंज, आजमगढ़	६,९६७	७	०
(३) सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लि० घोसी, आजमगढ़	२,३२४	८	०
(४) सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लि० मऊ, आजमगढ़	२२२	६	९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

सूची उन सड़कों की जो गत श्रमदान सप्ताह में विकास योजना केन्द्र मोठ में बनाई गई

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		कहां से कहां तक	किस्म सड़क	मरम्मत या निर्माण
१	भरोसा	..	भरोसा सड़क	कच्ची सड़क	मरम्मत
२	बुड़ावली		बुड़ावली सड़क	,,	,,
३	अटरिया	..	अटरिया सड़क	,,	नव निर्माण
४	रेव	..	रेव सड़क	,,	मरम्मत
५	चिरगांव खुर्द	..	धोरखा से चिरगांव	,,	नव निर्माण
६	कुइया	..	कुइया से रजवाहा	,,	मरम्मत
७	बड़ोखरी	..	ग्राम से नहर तक	,,	मरम्मत
८	जोंरा जोंरा	..	जोरा सड़क	पक्की सड़क	,,
९	गोपुरा	..	गोपुरा सड़क	"	निर्माण
१०	टांडा	..	टांडा से जोरा	कच्ची सड़क	निर्माण
११	बेलमां खुर्द	..	बेलमां सड़क	,,	मरम्मत
१२	बरथरी	..	बरथरी मार्ग निर्माण	,,	निर्माण
१३	कड़ूंरा	..	कड़ूंरा ग्राम से नहर तक	,,	,,
१४	महेलुआ	..	ग्राम से सड़क तक	,,	,,
१५	सेरसा	..	सेरसा से नहर तक	,,	,,
१६	पहाड़पुरा	..	कच्ची उसड़क	,,	मरम्मत
१७	बाबई	..	बाबई सड़क	,,	,,
१८	ग्यारई	..	सड़क ग्राम ग्यारई	,,	,,
१९	धोरखा	..	कच्ची सड़क	,,	,,
२०	धोरखा	..	सिकन्दरा से समथर	पक्की सड़क	निर्माण
२१	लावन	..	लावन सड़क	सड़क	मरम्मत
२२	बाबई	..	बाबई से ग्यारई मार्ग	कच्ची सड़क सुधार	मरम्मत
२३	पचो बई	..	सड़क निर्माण	कच्ची सड़क निर्माण	निर्माण
२४	दतावली कलां	..	सड़क निर्माण	,,	,,
२५	बरनाया	..	कच्ची सड़क	,,	,,
२६	बेलमां	..	सड़क ग्राम से नहर तक	,,	,,
२७	छपार	..	सड़क ग्राम से नहर तक	,,	,,
२८	पुलिया	..	सड़क ग्राम से नहर तक	,,	,,
२९	वसोना	..	ग्राम से नहर तक	,,	,,
३०	कुम्हरिया	..	सड़क की मरम्मत	,,	मरम्मत
३१	खिल्ली	..	ग्रामगांव से खिल्ली सड़क	,,	,,
३२	चितगवां	..	चितगवां से सिकन्दरा	,,	,,
३३	भुजोंद	..	नवीन सड़क जरहा तक	पक्की सड़क	निर्माण
३४	खिरिया घाट	..	पुरादी सड़क	,,	मरम्मत

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		कहां से कहां तक	किस्म सड़क	मरम्मत या निर्माण
३५	सौजना	..	पुरानी सड़क मरम्मत	कच्ची सड़क	मरम्मत
३६	मनकपुरा	..	कच्ची सड़क पुरानी	,,	,,
३७	सेसा	..	सेसा कच्ची सड़क	,,	,,
३८	खरैला	..	खरैला सड़क	,,	निर्माण
३९	काशीपुरा	..	काशीपुरा सड़क	,,	,,
४०	जरहां कलां	..	जरहां सड़क	,,	,,
४१	पहाड़पुरा	..	(अ) पहाड़पुरा से बांगरी	,,	,,
			(ब) पहाड़पुरा से समथर	,,	,,
४२	मड़ोरा	..	ग्राम से सड़क तक मार्ग	,,	सुधार
४३	साकिन	..	साकिन से नहर तक	,,	,,
४४	सेना	..	सेना से टांडा तक	,,	निर्माण
४५	अम्मरगढ़	..	नवीन सड़क	सड़क	निर्माण
४६	सिकन्दरा	..	सिकन्दरा मार्ग	कच्चा मार्ग	सुधार
४७	बड़ेरा	..	बड़ेरा मार्ग	,,	,,
४८	फतेहपुर	..	फतेहपुर सड़क	,,	,,
४९	गढ़का	..	गढ़का सड़क	,,	,,
५०	तुरसनपुरा	..	ग्राम से नहर तक	,,	निर्माण
५१	पनारी	..	मार्ग सुधार	,,	मरम्मत
५२	समथर	..	समथर से अलमपुरा	सड़क	निर्माण
५३	शाहजहांपुर	..	शाहजहांपुर से खड़ोआ तक	,,	मरम्मत
५४	बुढ़ेरा घाट	..	बुढ़ेरा घाट	कच्ची सड़क	निर्माण
५५	बिरगवां	..	बिरगुवां सड़क	,,	,,

सूची उन सड़कों की जो गत श्रमदान सप्ताह में विकास योजना केन्द्र मऊ रानीपुर में बनाई गई ।

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		कहां से कहां तक	किस्म सड़क	मरम्मत या निर्माण
१	स्यावरी	..	स्यावरी से कोटरा	कच्ची	मरम्मत
२	बरोरी	..	बरोरी मऊ गरोठा	पक्की सड़क तक कच्ची सड़क	,,
३	धमना	..	धमना ग्राम से सड़क तक	कच्ची	निर्माण
४	स्यावनी	..	स्यावनी से कोटरा	,,	,,
५	पृथ्वीपुरा	..	पृथ्वीपुरा से कोटरा	,,	,,
६	रेवन	..	रेवन से ककवारा	,,	,,
			रेवन से बेरवई	,,	मरम्मत
७	बड़ा गांव	..	बड़ा गांव से पक्की सड़क	,,	,,

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		कहां से कहां तक	किस्म सड़क	मरम्मत या निर्माण	लम्बाई
८	झांकरी	..	झांकरी से पक्की सड़क तक	कच्ची	मरम्मत	
९	अक्सेव	..	अक्सेव से नहर तक	,,	निर्माण	
१०	गढ़वां	..	गढवां से मड़वां	,,	सुधार	
११	चुरारा	..	चुरारा से पक्की सड़क	,,	,,	
१२	रौनी	..	रौनी से सड़क तक	,,	निर्माण	
१३	धवाकर	..	धवाकर से कच्ची सड़क तक	,,	सुधार	
१४	घाट लहचूरा	..	घाट लहचूरा ग्रामान्तर्गत	,,	निर्माण	
१५	भंडरा	..	भंडरा सड़क	,,	,,	

सूची उन सड़कों की जो गत श्रमदान सप्ताह में विकास योजना केन्द्र गुरसराय (झांसी) में बनाई गई

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		कहां से कहां तक	किस्म सड़क	मरम्मत या निर्माण	लम्बाई
१	भदरवारा खुर्द	..	पक्की सड़क से भदवारा	कच्ची सड़क	नव निर्माण	डेढ़ मील
२	वीरपुरा	..	वीरपुरा से रधौली	,,	मरम्मत	
३	सिमिरधा	..	जशवन्चपुरा से सिमिरधा	,,	,,	
४	पुछी	..	पुछी से ताई	,,	सुधार	
५	सिमिरधा	..	सिमिरधा से पुरा	,,	मरम्मत	
६	पंढवाहा	..	पंडवाहा से छिरौरा	,,	सुधार	
७	पंडवाहा	..	पंडवाहा से ग्रामान्तर्गत	पक्का रपटा	नव निर्माण	
८	बररैनी	..	बररौनी से ऐवनी	कच्ची सड़क	मरम्मत	
९	लिधौरा	..	लिधौरा से बगरौनी	कच्ची सड़क	मरम्मत	
१०	बरबार	..	बरबार से इटौरा पहाड़ी सड़क	निर्माण	पहाड़ पर सड़क	
११	भसनेह	..	भसनेह से अमेली	कच्ची सड़क	सुधार	
१२	बंका पहाड़ी	..	बंका पहाड़ी से बरौरा	,,	,,	
१३	हेवतपुरा	..	हेवतपुरा से खेड़ा	,,	,,	
			नुमार चौकरी से सिरबो	,,	,,	
			हेवतपुरा से मड़ा	,,	,,	
१४	डुमरई	..	डुमरई से गरौठा	,,	,,	
१५	धुरैया	..	धुरैया से गढ़ीफरगांव	,,	,,	
१६	छिरौरा	..	छिरौरा से राजापुर	,,	,,	
			छिरौरा से पड़वाहा	,,	,,	
			छिरौरा से देवारा खुर्द	,,	,,	

विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	कहां से कहां तक	किस्म सड़क	मरम्मत या निर्माण	लम्बाई
१७	सैपुरा खुर्द ..	सैपुरा से मारकुआं	कच्ची सड़क	सुधार	
१८	मडौरी ..	मड़ौरी से गुरसराय	,,	निर्माण	
१९	अस्ता ..	अस्ता से मडौरी	,,	सुधार	
२०	सुट्टा ..	सुट्टा से गुरसराय	,,	,,	
२१	भड़पुरा ..	भड़पुरा से सुट्टा	,,	,,	
२२	लखावती ..	लखावती से गुरसराय	,,	,,	
२३	रमपुरा ..	रमपुरा से ढिवकई	,,	,,	
२४	सिमिरधा ..	सिमिरधा से गरोठा	,,	,,	
२५	महेवा ..	महेवा से बगरौनी	,,	,,	

इसके अतिरिक्त मड़ोरी व हेवतपुरा की सड़कों पर पुलियां और सड़कों को पक्का करने के लिये ७२,२०० घनफीट पत्थर एकत्र किया गया, जिसके द्वारा कच्ची सड़कों को पक्का किया जायेगा।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

सूची

एलोपैथिक अस्पताल

१—तहसील रायबरेली

(१) केसिहर स्ताऊ (जिला बोर्ड)
(२) जिला अस्पताल रायबरेली (राजकीय)
(३) जनाना अस्पताल (रायबरेली) (राजकीय)।

२—तहसील महाराजगंज

(१) बछरावां (राजकीय)
(२) महाराजगंज (जिला बोर्ड)
(३) करी सधौली (जिला बोर्ड)
(४) सेमरी (जिला बोर्ड)
(५) शिवगढ़ (जिला बोर्ड)

३—तहसील सालौन

(१) सालौन (जिला बोर्ड)
(२) अरखा (जिला बोर्ड)
(३) जायस (जिला बोर्ड)

४—तहसील डलमऊ

(१) लालगंज (राजकीय)
(२) बहता कलां (मर्दाना राजकीय)
(३) बहता कलां (जनाना राजकीय)
(४) खिरौन (राजकीय)
(५) डलमऊ (जिला बोर्ड)
(६) खजर गांव (जिला बोर्ड)
(७) गौरा (जिला बोर्ड)
(८) जगतपुरा (जिला बोर्ड)
(९) अइहर (सब्सीडाइज्ड) यहां शीघ्र राजकीय अस्पताल खुल जायगा।

आयुर्वेदिक/यूनानी (राजकीय)

१—तहसील रायबरेली—लोधावरी (आयुर्वेदिक)
२—तहसील डलमऊ—घरुवारा (आयुर्वेदिक)
३—तहसील सालौन—कन्दरावां (आयुर्वेदिक)
४—तहसील सालौन—मुस्तफाबाद (यूनानी)
५—तहसील रायबरेली—मेजरगंज (आयुर्वेदिक)
६—तहसील रायबरेली—हरचन्दपुर (आयुर्वेदिक)
७—तहसील महाराजगंज—राजामऊ (आयुर्वेदिक)
८—महाराजगंज तहसील—बहुआ (यूनानी)

जिला बोर्ड के आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

तारांकित प्रश्न सख्या ४९ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विवरण १

प्राथमिकता के अनुकूल क्रम-संख्या	खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों का क्षेत्र	प्राथमिकता के अनुकूल क्रम-संख्या	खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों का क्षेत्र
१	सरेनी (डलमऊ)	८	लालगंज (डलमऊ)
२	बछरावां (महाराजगंज)	९	तिलोई (महाराजगंज)
३	नसीराबाद (सलोन)	१०	मऊ (सलोन)
४	सलोन (रायबरेली)	११	डलमऊ (डलमऊ)
५	निहरता (डलमऊ)	१२	जगतपुर (डलमऊ)
६	ऊंचाहार (सलोन)	१३	सिंहपुर (महाराजगंज)
७	राही (रायबरेली)		

विवरण २

वर्ष	प्राथमिकता के क्रम में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खन्डों की संख्या
१९५६–५७ ..	१
१९५७–५८ ..	२
१९५८–५९ ..	३
१९५९–६० ..	३
१९६०–६१ ..	४
योग ..	१३

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७ एल० ए०-१९५६-७९६।